Wednesday 11, August, 1971

# लोक-सभा वाद-विवाद

## का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
# 5th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

## अंक 58, बुधवार, 11 अगस्त, 1971/20 श्रावण, 1893 (शक)

## *No. 58, Wednesday, August 11, 1971/Sravana 20, 1893 (Saka)*


| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| **ता० प्र० संख्या** **S. Q. Nos.** | | |
| 1681. बंगला देश में याहया शासन के समर्थन में शिलांग में तथाकथित प्रदर्शन | Alleged Demonstration in Shillong in support of Yahya Regime in Bangla Desh .. | 1—2 |
| 1683. आकाशवाणी केन्द्रों के जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रम | Tribal Programmes of A.I.R. Stations | 2—4 |
| 1684. इलैक्ट्रानिक्स आयोग का मुख्यालय | Location of Headquarters of Electronics Commission .. | 4—6 |
| 1688. रेयन सिंथेटिक के कपड़े तथा धागे के मूल्यों के ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन | Tariff Commission's Report on Price Structure of Rayon Synthetic Fabrics and Yarn .. | 6 |
| 1689. पटना में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर | Weak Transmitter at Patna .. | 7—8 |
| 1690. शिलांग में आकाशवाणी केन्द्र | Radio Station at Shillong .. | 8—9 |
| 1691. पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में पुलिस के अत्याचारों सम्बन्धी ज्ञापन पर कार्यवाही | Action on Memorandum re : Police Atrocities in Burdwan District of West Bengal .. | 9—11 |
| 1692. यौन, हिंसा और अपराध संबंधी अमरीकी फिल्मों के आयात पर रोक लगाये जाने का प्रस्ताव | Ban on Import of U. S. Films Depicting Sex, Violence and Crimes | 11—13 |
| 1693. कपड़े के निर्यात में कमी और निर्यात करने वाली मिलों के आधुनिकीकरण की योजना | Decline in Exports of Textiles and Plan to Modernise Exporting Mills | 14—16 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.** | | |
| 1694. पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचार सुविधाएं | Communication Facilities in Eastern U. P. .. | 16—17 |
| 1695. टेलीविजन पर राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के दृष्टिकोण के प्रसारण हेतु सुविधायें | Facilities to National Political Parties to propogate their view points over T. V. .. | 17—19 |


प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| | | |
|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.** | | |
| 1682. प्रशासकों और गैर-सरकारी व्यापार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | United Nations Development Programme to provide Training to Administrators and non-officials Business Executives .. | 19—20 |
| 1685. त्रिपुरा सरकार द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों पर कथित रोक लगाया जाना | Alleged imposition of Ban by Tripura Government on Bangla Desh Evacuees .. | 20 |
| 1686. नई दिल्ली में हुआ दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति का सम्मेलन | Convention of Delhi Pradesh Sampradayikta Virodhi Committee held in New Deihi .. | 20—21 |
| 1687. राज्यों की योजनाओं को वित्त देने हेतु राज्यों के लिए विकास बैंक | Development Banks for States for Financing State Projects .. | 21 |
| 1696. कृत्रिम रेशा उद्योग में नये एककों के लिए वर्तमान एककों के विस्तार के लिए लायसेंस जारी करना | Licensing of New Units and Expansion of Existing Units in Man made Fibre Industry | 22 |
| 1697. अफगानिस्तान और बर्मा के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने की योजना | Plan to improve Trade relations with Afghanistan and Burma | 22—23 |
| 1698. भारत में भेजे गये पाकिस्तानी गुप्तचर | Pak Spies Deployed in India | 23 |
| 1699. पश्चिम बंगाल के जादवपुर टी० बी० अस्पताल में पुलिस का कथित प्रवेश | Alleged entry of Police Personnel into Jadavpur T. B. Hospital in West Bengal .. | 23 |
| 1700. 'रूफिंग टाइलों' का निर्यात | Export of Roofing Tiles .. | 23—24 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या** **S. Q. Nos.** | | | |
| 1701. राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना और पुन: चालू करना | Revival and Taking Over of Sick Mills by National Textile Corporation | | 24 |
| 1702. कनाडा में राज्य व्यापार निगम की उपशाखा का बन्द किया जाना | Winding up of S. T. C. Subsidiary in Canada | .. | 25 |
| 1703. राजस्थान में जैसलमेर जिले के नचना स्टेशन एरिया में मुजाहिदों की गिरफ्तारी | Arrest of Mujahids in Nachna Station area of Jaisalmer District (Rajasthan) | .. | 25 |
| 1704. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सरकारी कर्मचारियों की हत्या | Murder of Government Employees in District Birbhum (West Bengal) | .. | 25—26 |
| 1705. पश्चिम बंगाल में पोटाशियम कलोरेट के अधिकृत विक्रेता | Authorised Sellers of Potassium Chlorate in West Bengal | .. | 26 |
| 1706. नेशनल जूट मिल, शंकरेल, पश्चिम बंगाल के बन्द किये जाने का नोटिस | Notice of Closure by National Jute Mills, Sankrail (West Bengal) | .. | 27 |
| 1707. हिंसात्मक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की जेलों में हिरासत में रखे गये बन्दियों का वर्गीकरण | Classification of Detenus kept in Jails in West Bengal under P. V. A. Act. | .. | 27 |
| 1708. कलकत्ता में चित्तपुर रोड आदि से घिरे क्षेत्र पर गुण्डों के एक गिरोह द्वारा कथित हमला | Alleged Attack by a Gang of Hooligans on the area bound by Chitpur Road etc. in Calcutta | .. | 28 |
| 1709. बोटेनिकल गार्डेन्स, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में रखी गई सेना | Army Camped in Botanical Gardens, Howrah (West Bengal) | .. | 28—29 |
| 1710. महाराष्ट्र के सूती कपड़ा मिलों में प्रस्तावित हड़ताल | Proposed Strike in cotton Textile Mills of Maharashtra | .. | 29 |
| **अता० प्र० संख्या** **U. S. Q. Nos.** | | | |
| 7575. पंजाब में अधिकारियों का स्थानान्तरण | Transfer of Officers in Punjab | .. | 29 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|

अता० प्र० संख्या
**U. S. Q. Nos.**


| | | |
|---|---|---|
| 7576. बिहार के मुसलमानों द्वारा बंगला देश में अवामी लीग के समर्थकों तथा हिन्दुओं पर तथा कथित अत्याचार | Alleged Atrocities by Bihari Muslims on Awami League Supporters and Hindus in Bangla Desh .. | 29—30 |
| 7577. मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु अतिरिक्त योजनाएं | Additional Schemes for Removal of Backwardness of some Areas in Madhya Pradesh .. | 30—31 |
| 7578. भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, साल्टलेक कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में छत का गिरना | Roof Collapse at Bhabha Atomic Research Centre, Salt Lake, Calcutta (West Bengal) .. | 31 |
| 7579. गोआ, दमन और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप | Charges Against Chief Minister of Goa, Daman and Diu .. | 32 |
| 7580. पटना और डाल्टन के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क | Direct Telephone Link between Patna and Daltonganj .. | 32 |
| 7581. आन्ध्र प्रदेश के गांवों में डाकघर | Rural Post Offices in Andhra Pradesh .. | 32—33 |
| 7582. सरकारी उपक्रमों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग | Demand for more Autonomy for Public Undertakings .. | 33 |
| 7583. सर्वश्रेष्ठ धावक मिखा सिंह पर वृत्त चित्र | Documentary Film on Ace Sprinter Milkha Singh .. | 33—34 |
| 7584. चलचित्रों का निर्यात | Export of Motion Pictures .. | 34—37 |
| 7585. असिस्टैंट डिवीजनल इंजीनियरों (जूनियर क्लास I) की सीधी भरती | Direct Recruitment of Assistant Divisional Engineers ( Junior Class I) .. | 37 |
| 7586. विभिन्न राज्यों को आयातित ऊन का आवंटन | Allotment of Imported Wool to various States | 38—39 |
| 7587. आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां | Activities of anti social elements in Border areas of Assam .. | 39 |
| 7588. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में में अनुसूचित जाति के वरिष्ट अनुसंधाताओं की नियुक्ति | Appointment of Scheduled Caste Senior Investigators in the Central Statistical Organisation .. | 39—40 |
| 7589. रंगीन साड़ियों का उत्पादन | Production of coloured sarees | 40—41 |
| 7590. आंध्र प्रदेश के गोदामों में जमा हुए हथकरधा कपड़े को बाजार में लाना | Release of Handloom Cloth Stocks piled up in Andhra Pradesh .. | 41 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7591. पश्चिमी देशों को रेशम के निर्यात में कमी | Decline in Exports of silk to Western Countries | 41—42 |
| 7592. स्टैटसमैन और हिन्दुस्तान टाइम्स के मान्यता प्राप्त गैर सम्वाददाता कर्मचारी | Non-Correspondent Employees of the Stateman and the Hindustan Times given accreditation .. | 42 |
| 7593. इंजीनियरिंग टाइम्स का प्रकाशन और वितरण | Publication of Engineering Times and its circulation .. | 42—43 |
| 7594. भारत द्वारा उपग्रह का छोड़ा जाना | Launching of a satellite by India .. | 43 |
| 7595. दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए उप-प्रधानाचार्यों की भर्ती | Recruitment of Vice-Principals for Higher Secondary Schools in Delhi .. | 43—44 |
| 7596. शेषनाग दुर्घटना की जांच | Enquiry into the Sheshnag Tragedy .. | 44 |
| 7597. गृह मंत्रालय के श्री जैदी द्वारा पश्चिम बंगाल का कथित दौरा | Alleged visit of West Bengal by Shri Zaidi in Home Ministry | 44—45 |
| 7598. भारत में चोरी छिपे आये पाकिस्तानी नागरिक | Intrusion of Pakistan Citizens into India .. | 45 |
| 7599. भारत में विदेशी | Foreigners in India .. | 45 |
| 7600. पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पोटाशियम क्लोरेट की खपत | Consumption of Potassium Chlorate in West Bengal, Bihar and Orissa | 45—46 |
| 7601. अभ्रक का निर्यात | Export of Mica | 46 |
| 7602. पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधि निवारक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिहा किया जाना | Persons arrested under Prevention of Violent Activities Act in West Bengal set at Liberty by Calcutta High Court .. | 46—47 |
| 7603. भारत-अफगान वार्ता | Indo-Afghan talks | 47 |
| 7604. राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे | Communal Riots in States | 47—48 |
| 7605. एक एडवोकेट को इस समय हिरासत में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बद्रुदुजा से मिलने के लिये अनुमति न दिया जाना | Denial of permission to an M. P. and Advocate to see Shri Baddruduja, Ex-MP. now under detention .. | 48—49 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7606. वीरभूम जिले (पश्चिम बंगाल) में पुलिस अधिकारियों और बन्दूक छीनने वालों के बीच कथित सांठ गांठ का आरोप | Allegation of alleged collusion between Police Officers and Gun Snatchers in Birbhum District (West Bengal) .. | 49 |
| 7607. इंदौर और उज्जैन में मिलों का बन्द होना | Closure of Mills in Indore and Ujjain .. | 49—50 |
| 7608. सहकारिता के आधार पर उज्जैन में लेबर कोआपरेटिव काटन टैक्सटाइल इन्डस्ट्री लि० की स्थापना | Setting up of Labour Co-operative Cotton Textile Industry Ltd. Ujjain on Co-operative basis .. | 50 |
| 7609. मोटर गाड़ियों के रेडियटरों के उत्पादन के लिये इस्पात का प्रयोग | Use of Steel for manufacturing Automobile Radiators .. | 50—51 |
| 7610. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का क्रय | Iron Ore purchased by M. M. T. C. .. | 51 |
| 7611. लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore .. | 51—52 |
| 7612. ए० वी० बी० कर्मचारी संघ कार्यालय दुर्गापुर का टेलीफोन कनेक्शन काटना | Telephone connection cut off from A. V. B. Employees Union Office, Durgapur .. | 52 |
| 7613. 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति की वापसी | Recovery of properties confiscated by Pakistan during India-Pak conflict of 1965 .. | 53 |
| 7614. यूरोनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया और इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड में भेज | Distinction between Uranium Corporation of India and Indian Rare Earths Limited .. | 53 |
| 7615. भारतीय यूरेनियम निगम | Uranium Corporation of India .. | 54 |
| 7616. बिहार में जादुगुडा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम के अहाते में औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति | Posting of Industrial Security Force in Premises of Uranium Corporation of India at Jadugoda (Bihar) | 54 |
| 7617. पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय किसानों का अपहरण | Kidnapping of Indian Farmers by Pakistani Troops .. | 55 |
| 7618. रेयन का उत्पादन | Production of Rayon .. | 55—56 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** **U. S. Q. Nos.** | | |
| 7619. चीनी सैनिकों तथा नागरिकों द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन | Violation of Indian Border by Chinese Soldiers and Citizens | 56 |
| 7620. टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस | Licences issued to Foreign Companies to Manufacture T. V. Sets .. | 56 |
| 7621. प्रभा मिल्स, वीरमगाम के बन्द किये जाने के बारे में गुजरात के राज्यपाल को ज्ञापन | Memorandum to Governor of Gujarat re. closure of Prabha Mills, Viramgam .. | 57 |
| 7622. सेन बाड़ी हत्या जांच आयोग का प्रतिवेदन | Sainbari Murder Enquiry Commission Report | 57 |
| 7623. श्री नागरवाला की फाइल से महत्वपूर्ण कागजात का खोया जाना | Important Papers missing from Shri Nagarwala's File .. | 57—58 |
| 7624. रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्य में कमी | Price Reduction of Rayon Filament Yarn .. | 58 |
| 7625. राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की योजना मंत्रालय द्वारा जांच | Examination by Ministry of Planning Re. Performance of State Trading Corporation .. | 58 |
| 7626. केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति का ग्रेड II में ही रुक जाना | Stagnation of Officers of Central Information Service in Grade II | 58—59 |
| 7627. एल्लपी (केरल) में ट्रांसमीटर का कार्य | Functioning of transmitter at Alleppy (Kerala) .. | 59 |
| 7628. शान्तिपूर्ण प्रयोजनों हेतु परमाणु शक्ति के विकास के लिये कार्यक्रम | Programme for Development of Atomic Energy for Peaceful purposes .. | 59—60 |
| 7629. औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को संश्लिष्ट रेशों के ऊंचे मूल्य संबंधी प्रश्न का भेजा जाना | Reference of High Prices Issue of Synthetic Fabrics to Bureau of Industrial Costs and Prices .. | 60 |
| 7630. चौथी योजना का पुनर्मूल्यांकन | Reappraisal of Fourth Plan .. | 60 |
| 7631. मणिपुर में उप डाकघर | Sub-Post Offices in Manipur | 61—62 |
| 7632. आकाशवाणी से रचनात्मक संगीत का प्रसारण | Creative Music over A. I. R. | 62—63 |
| 7633. आसाम की नई राजधानी बनाने के लिये व्यय का अनुमान | Estimates of expenditure to build a New Capital of Assam .. | 63 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7634. 'राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता में छात्रों के एक समूह द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ कथित हाथापाई | Alleged Man handling of Government Servants by a group of Students within Writers Building, Calcutta .. | 63 |
| 7635. पंजाब में पुलिस की कथित ज्यादतियां | Alleged Police excesses in Punjab | 63—64 |
| 7636. पश्चिम बंगाल और आसाम के चाय बागानों को अधिकार में लेना | Take over of Tea Gardens in West Bengal and Assam .. | 64 |
| 7637. कपड़ा की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि | Upward Revision of Prices of Controlled varieties of Cloth .. | 64 |
| 7638. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा ताश खेला जाना | Playing of Cards by Central Government employees .. | 64—65 |
| 7639. विदेश व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण | Simplification of Foreign Trade procedures .. | 65 |
| 7640. बेरोजगार इंजीनियरों को सरकारी ठेके देने की योजना | Scheme for Awarding Government contracts to Unemployed Engineers .. | 65 |
| 7641. ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों आदि की पदोन्नति और भर्ती के नियम | Recruitment Rules of Promotion of Draftsmen and Surveyors .. | 65—66 |
| 7642. हावड़ा जेल के नक्सली कैदियों और जेल अधिकारियों के बीच मुठभेड़ | Clash between Naxalite prisoners and Jail authorities in Howrah Jail .. | 66 |
| 7643. भिलाई इस्पात कारखाने में नक्सलवादियों की गतिविधियां | Naxalite activites in Bhilai Steel Plant .. | 66 |
| 7644. टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान पूना के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता | U. N. assistance for Television Training Institute at Poona .. | 67 |
| 7645. चौथी योजना में पर्यटन के लिये धन की व्यवस्था | Provision of Funds for Tourism in Fourth Plan .. | 67 |
| 7646. चाय उद्योग में संकट | Crisis in Tea Industry .. | 67—68 |
| 7647. ब्राडकास्टिंग इन इण्डिया पुस्तक | Broadcasting in India | 68 |
| 7648. थुम्बा राकेट केन्द्र (केरल) के निकट के विस्थापित परिवारों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन | Representation received from Displaced Families near Thumba Rocket Station (Kerala) .. | 68—69 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |


| | | |
|---|---|---|
| 7649. डाक तथा तार महानिदेशक, नई दिल्ली और वरिष्ठ अधीक्षक रेलवे डाक सेवा के विरुद्ध चल रही कार्यवाही | Contempt of Court proceedings against D. G., P. & T. New Delhi and Senior Superintendent, R.M. S. .. | 69—70 |
| 7650. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस | Indo-Tibet Border Police | 70 |
| 7651. थुम्बा राकेट स्टेशन से छोड़े गये स्पिलिंटर राकेट को छोड़े जाने के कारण मछुओं की सम्पत्ति को हुई क्षति | Damage caused to the Properties of Fishermen by Splinter Rockets fired from Thubma Rocket Station .. | 70—71 |
| 7652. संगणक 'सोफ्टवेयर' का निर्यात | Export of Computer 'Software' .. | 71 |
| 7653. बिना मुकदमा चलाये भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व संसद सदस्य को हिरासत में लेना | Detention of Ex-M. L. A. and Ex-M. P. without Trial .. | 71—72 |
| 7654. काफी उद्योग में संकट | Crisis in Coffee Industry .. | 72 |
| 7655. लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों को काफी का निर्यात | Export of Coffee to Latin American and African Countries .. | 72 |
| 7656. अतिरिक्त कच्चे रबड़ और रबड़ से बनाई जाने वाली वस्तुओं का निर्यात | Export of Surplus Raw Rubber and Rubber manufactured Goods .. | 72—73 |
| 7657. बंगाल देश में पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गये नरसंहार को उचित ठहराते हुए जमात-ए-इस्लामी द्वारा इश्तहारों का कथित वितरण | Alleged Distribution of a leaflet by Jamait-e-Islami Justifying Genocide of Pak Troops in Bangla Desh | 73 |
| 7658. डाक घरों और रेल डाक सेवा का नियंत्रण | Control of Post Offices and Railway Mail Service .. | 73—74 |
| 7659. डाकघरों तथा रेलवे डाक सेवा में लोअर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था | Provision of Lower Selection Grade in Post Offices and Railway Mail Service .. | 74 |
| 7660. काली मिर्च, इलायची, अदरक, तेजपात व हल्दी का निर्यात | Export of Pepper, Cardamom, Ginger, Tejpat and Turmeric .. | 74—75 |
| 7661. स्कूलों के लिये टेलीविजन कार्यक्रम | T. V. Programme for Schools | 75 |
| 7662. आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के एक एडवोकेट की कथित गिरफ्तारी और पिटाई | Alleged Arrest and Manhandling of an Advocate of Asansol (West Bengal) .. | 76 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7663. सर्प की कच्ची खाल के निर्यात करने के स्थान पर सर्प की खाल की वस्तुयें निर्यात करने सम्बन्धी योजना | Scheme to Export Snake Skin's goods instead of raw Snake Skins .. | 76—77 |
| 7664. पूर्वी कलकत्ता में पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों को दी गई कथित सहायता | Alleged help given to anti socials by Police in East Calcutta .. | 77 |
| 7665. कलकत्ता और दुर्गापुर के बीच टेलीफोन तथा तार सेवाओं का खराब हो जाना | Telephone and Telegraph services out of order between Calcutta and Durgapur .. | 77—78 |
| 7666. सिविलियन राइफल प्रशिक्षण योजना | Civilian Rifle Training Scheme .. | 78 |
| 7667. टीपू सुल्तान की स्मृति में डाक टिकट | Commemorative Stamp on Tippu Sultan .. | 78 |
| 7668. मैसूर में सेवाओं के अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना | Finalisation of Inter-state seniority cases of services in Mysore .. | 78 |
| 7669. भारत में जन-बोलियां | Folk dialects of India .. | 79 |
| 7670. समाजवादी देशों के साथ व्यापार को नई दिशा | Reorientation of trade with Socialist Countires .. | 79 |
| 7671. सुन्दरबन का विकास | Development of Sunderbans .. | 79—80 |
| 7672. राष्ट्रपति की अनुमति के लिए बिहार सरकार द्वारा भेजा गया दुकान तथा संस्थापन कर्मचारी विधेयक | Shops and Establishments workers Bill sent by Bihar Government for President's Assent .. | 80 |
| 7673. मृत्यु दण्ड का समाप्त किया जाना | Abolition of Capital Punishment | 80 |
| 7674. 'फ्रेण्ड्स आफ ह्यूमैनिटी इन्टर-नेशनल' की विदेश यात्राएं | Foreign Tours of Friends of Humanity International .. | 80—81 |
| 7675. कूच बिहार जिले (पश्चिम बंगाल) के दीवानहाट में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना | Opening of Telephone Exchange at Dewanhat in Cooch-Behar District (West Bengal) | 81 |
| 7676. पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के स्थानीय पुलिस कर्म-चारियों के विरुद्ध अभ्यावेदन | Representation Against Local Police Officials of District Cooch Behar (West Bengal) .. | 81—82 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** | | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | | |
| 7677. समाचार पत्रों के मूल्य | Prices of Newspapers | .. | 82 |
| 7678. दिल्ली टेलीफोन कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जमाराशि का लौटाया जाना | Refund of Security Deposit by Delhi Telephones | .. | 82—83 |
| 7679. परमाणु शक्ति आयोग तथा इलक्ट्रोनिक्स आयोग के बीच तालमेल | Working of Electronics Commission | .. | 83 |
| 7680. ब्लैक आउट अभ्यास की हिदायतों की उपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही | Action Against Persons for Ignoring Instructions re. Black out Exercise | .. | 83 |
| 7681. साम्प्रदायिक तथा भ्रष्टाचार के मामलों का अध्ययन करने के लिये सब दलों की इंदौर में हुई बैठक | All Parties, Meeting held in Indore to Study Corruption and Communal Issues | .. | 84 |
| 7682. बिहार के भागलपुर जिले में 100 गज की दूरी पर स्थित दो डाकघरों का कार्यकरण | Functioning of two Post Offices at 100 Yards' Proximity in Bhagalpur District (Bihar) | .. | 84 |
| 7683. भागलपुर (बिहार) में डाक-घरों का खोला जाना | Opening of Post Offices in Bhagalpur (Bihar) | .. | 84 |
| 7684. बिहार में लट्टीपुर डाक-घर का बन्द किया जाना | Closure of Lattipur Post Office (Bihar) | .. | 85 |
| 7685. जम्मू और काश्मीर में स्थानीय जनता के रूप में पाकिस्तानी घुसपैठियों का गिना जाना | Enrolement of Pak Infiltrators as local population in Jammu and Kashmir | .. | 85 |
| 7686. नगरों तथा गांवों में डाक वितरण में विलम्ब | Delay in delivery of Dak in Towns and villages | .. | 86 |
| 7687. आकाशवाणी केन्द्र पटना से विज्ञापनों का प्रसारण | Broadcast of Advertisements over Patna A. I. R. Station | .. | 86 |
| 7688. पटना स्थित आकाशवाणी केन्द्र के लिए सलाहकार समिति | Advisory Committee for Patna Station of A. I. R. | .. | 86—87 |
| 7689. सेवा में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की संख्या | I.C.S. Officers in Service | .. | 87—88 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.** | | |
| 7690. समाचार-पत्रों के फोटोग्राफरों द्वारा प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन | Memorandum submitted by News Cameramen to Prime Minister .. | 88 |
| 7691. कलकत्ता में डाकघर पर आक्रमण | Attack on Calcutta Post Office | 88—89 |
| 7692. मध्य प्रदेश में डाकू विरोधी अभियान | Anti Dacoit Campaign in Madhya Pradesh .. | 89 |
| 7693. कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र से जयपुर को परमाणु ऊर्जा की सप्लाई | Supply of Atomic Power to Jaipur from Atomic Power Station, Kota .. | 89 |
| 7694. सामुदायिक टेलीविजन सेट | Community Television Set .. | 89—90 |
| 7695. हुगली जिले में एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु | Death of a Bank employee in Hoogly District .. | 90 |
| 7696. बेरोजगार इंजीनियरों के सहकारी प्रयासों द्वारा ट्रान्समीटरों का निर्माण | Manufacture of transmitters through the Co-operative efforts of unemployed Engineers .. | 90—91 |
| 7697. देश में रिवाल्वरों का असैनिक उपयोग हेतु निर्माण | Manufacturing of Revolvers for Civilian .. | 91 |
| 7698. सरकार द्वारा विज्ञापन एजेंसियों का अपने अधिकार में लिया जाना | Government take over of Advertising Agencies .. | 91 |
| 7699. बीरभूम (पश्चिम बंगाल) के डाकघरों के लिये सरकारी इमारतें | Government buildings for Post Offices of Birbhum (West Bengal—1) .. | 91—92 |
| 7700. सेंसर प्रमाणपत्र की प्राथमिकता तिथि के अनुसार चलचित्र को रिलीज करना | Release of films as per priority date of Censor Certificate .. | 92 |
| 7701. पूर्वी क्षेत्र के लिये चलचित्र वित्त निगम की शाखा | Film Finance Corporation branch for Eastern Region .. | 92 |
| 7702. पश्चिम बंगाल में अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाने वाली वस्तुएं | Highest Foreign Exchange Earning Commodity in West Bengal | 92 |
| 7703. पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा हरिजनों के लिये रखी गई सरकारी भूमि पर कृषि फार्म की स्थापना | Setting up of agricultural farms by officers of Punjab Government on Government owned land earmarked for Harijans .. | 93 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** <br> **U. S. Q. Nos.** | | |


| | | |
|---|---|---|
| 7704. कनाडा की कम्पनियों द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई | News Print from Canadian Companies .. | 93 |
| 7705. सरकारी विभागों के सचिवों की नियुक्ति | Posting of Secretaries in Government Departments .. | 94 |
| 7706. आकाशवाणी के महानिदेशक और प्रेस सूचना विभाग के प्रमुख के पदों पर नियुक्त नये अधिकारी | New Incumbents for Posts of D.G. A.I.R. and Chief of P.I.B. .. | 94 |
| 7707. पश्चिम बंगाल में हिंसक कार्यवाही निरोध अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारियां | Arrest of Persons under Violent Activities Act in West Bengal .. | 94—95 |
| 7708. टी गार्डन स्टाफ और सब स्टाफ एसोसियेशन, दार्जिलिंग की मांगों की कार्यान्विति | Implementation of demands of tea gardens staff and sub-staff association Darjeeling .. | 95 |
| 7709. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | Marine products Export development Authority .. | 95 |
| 7710. समुद्री उत्पादों के निर्यात में केरल का भाग | Kerala's share in Marine Exports .. | 95—96 |
| 7711. काजू के बागान के विकास का प्रस्ताव | Proposal to Develop Cashew Plantation .. | 96—97 |
| 7712. सरकारी कार्यालयों में पानी और बिजली के प्रयोग में मितव्ययता | Economy in consumption of water and Electricity in Government Offices .. | 97 |
| 7713. पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों की हत्या और आतंक की राजनीति | Politics of terror and individual murder in West Bengal .. | 97 |
| 7714. एडवर्ड टैक्सटाइल मिल, बम्बई का बन्द होना | Closure of Edward Textile Mills, Bombay .. | 98 |
| 7715. विदेशों में भारतीय फल और सब्जियों को लोकप्रिय बनाने के लिये मेलों का आयोजन | Fair Organized in Foreign Countries to popularize Indian Vegetable and Furits .. | 98 |
| 7716. उपग्रह प्रसारणों को प्रसारित करने के लिये टेलीविजन सेटों का निर्माण | Manufacture of T.V. Sets for Catching Satellite Broadcasts .. | 99 |
| 7717. अराजकता, हत्याओं और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के मामले | Cases of Lawlessness, murders and Subversive Activities .. | 99 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7718. सूचना सेवाओं द्वारा अधिक प्रचार सम्बन्धी मांग का पूरा न किया जाना | Information series unable to cope with Demand for more Publicity .. | 99 |
| 7719. प्रभा मिल्स, वीरामगाम (गुजरात) के कार्य के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट | Report of Investigation Committee re-Affairs of Prabha Mills, Viramgam (Gujarat) .. | 100 |
| 7720. प्रभा मिल्स, लिमिटेड, विरामगाम (गुजरात) का बन्द किया जाना | Closure of Prabha Mills Ltd., Viramgam (Gujarat) .. | 100 |
| 7721. दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में चन्द्रचूढ़ जांच आयोग पर किया गया व्यय | Expenditure incurred on Chandrachud Inquiry Commission into the death of Shri Deendayal Upadhyay .. | 100 |
| 7722. महात्मा गांधी की हत्या की जांच पर किया गया व्यय | Expenditure incurred in connection with enquiry into Assassination of Mahatma Gandhi .. | 101 |
| 7723. निर्यातार्थ तैयार प्रत्येक मीटर कपड़े पर 'भारत में निर्मित' छाप | 'Made in India' mark on every Metre Length of Export Oriented Textile Goods .. | 101 |
| 7724. केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें | Central Government Class I Officers prosecuted under Prevention of Corruption Act .. | 101 |
| 7725. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के लिये तालिका | Panel for promotiont o Selection Grade posts of Central Secretariat Service .. | 102 |
| 7726. विभागीय पदोन्नति समिति | Departmental Promotion Committee .. | 102—103 |
| 7727. मेंथोल का आयात | Import of Menthol .. | 103 |
| 7728. पी० एम० जी० सर्किल उड़ीसा में एल० एस० जी० मोनिटरों के रिक्त स्थान | Vacant Posts of I.S.C. Monitors in P.M.Gs Circle, Orissa .. | 103 |
| 7729. मध्य प्रदेश के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें | Provision of Telephone Facilities in Dacoit infested areas of Madhya Pradesh .. | 104 |
| 7730. मध्य प्रदेश के पोरस कस्बे में टेलीफोन | Telephone in Porasa Town of Madhya Pradesh | 104 |
| 7731. आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों को स्थायी बनाना | Confirmation of A.I.R. and T.V. Staff .. | 105 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |


| | | |
|---|---|---|
| 7732. प्रसारण विभाग के कर्मचारियों के लिए यूनियन | Union for Employees of Broadcasting Department .. | 105 |
| 7733. मछली के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange earned by Export of Fish .. | 105 |
| 7734. इंजीनियरिंग निर्यात संबर्धन परिषद की बैठक | Meeting of Engineering Export Promotion Council .. | 106 |
| 7735. सेंसर बोर्ड के वैतनिक सदस्य | Paid Members on Censor Board .. | 106 |
| 7736. श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति के लिए टेलीग्राम इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के लिये परीक्षा | Examination for Engineering Supervisors Telegraph for promotion to Class II Posts .. | 106--107 |
| 7737. जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में जासूसी गतिविधियों में संलग्न तथा एक हत्या के मामले में अन्तर्ग्रस्त पाकिस्तानी राष्ट्रिक | Pak Nationals engaged in spying activities and involved in a murder case in district Bulandshahr (Uttar Pradesh) .. | 107 |
| 7738. आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन | A.I.R. News Bulletins .. | 107—108 |
| 7739. सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना | Hindi Teaching Scheme for Government employees .. | 108 |
| 7740. सरकारी क्षेत्र में प्रतिनियुक्तियों पर निर्भरता समाप्त करने सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश | A.R.Cs Recommendation re-elimination of dependence on deputationists in Public Sector .. | 108—109 |
| 7741. सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छिक सेवा निवृति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश | A.R.C's Recommendation on voluntary Retirement of Government Officers .. | 109 |
| 7742. गोआ, दमन, दीव में पेंशन संबंधी नियम | Pension Rules in Goa, Daman and Diu .. | 109—110 |
| 7743. आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता | Part time Correspondents of A.I.R. | 110 |
| 7744. आपराधिक व्यक्तियों के जेल से छूटने पर उनके पुनर्वास में कठिनाई | Difficulty for criminals in rehabilitating themselves after coming out of Jails .. | 110 |
| 7745. भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच टेलेक्स सेवा | Telex Service between Bhubaneshwar and New Delhi .. | 110 |

| विषय | Subject | पष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 7746. उड़ीसा में डाकघरों में टेलिप्रिन्टर सेवा | Teleprinter Service in Orissa Post Offices .. | 111 |
| 7747. रूरकेला के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर | Government Quarters for Rourkela P & T staff .. | 111 |
| 7748. मसालों का निर्यात | Export of spices .. | 111—112 |
| 7749. ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा धन की मांग | Demand for funds by rural electrification Corporation .. | 112 |
| 7750. ट्रांसिस्टरों और रेडियों का निर्यात | Export of transistors and radios .. | 112—113 |
| 7751. जेनेवा में होने वाली 'शांति के लिये अणु' विषय पर चौथे सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना | Participation by India in Fourth Atoms for Peace Conference being held at Geneva.. | 113 |
| 7752. आमों के विमान भाड़े का पुनरीक्षण | Review of Air freight on Mangoes .. | 114 |
| 7753. नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू से एक मोटरकार की चोरी | Theft of a Motor-Car from North Avenue, New Delhi .. | 114 |
| 7754. कलकत्ता स्थित 'रानीगंज कोल हाउस, की खरीद | Purchase of Raniganj Coal House in Culcutta .. | 114—115 |
| 7755. तेलंगाना समस्या के समाधान के लिए चार-सूत्री फार्मूला | 4-Point Formula for solution of Telengana Problem. .. | 115 |
| 7756. उद्योगों की स्थापना करने के लिए चुने गये जिलों में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले को सम्मिलित न करना | Non-inclusion of Cuddapah District in Andhra Pradesh in the List of Districts selected for setting up of Industries .. | 115 |
| 7757. केन्द्रीय सहायता के लिये आन्ध्र प्रदेश में जिला स्तर के पिछड़े ब्लाकों का चयन | Identification of backward district sized blocks in Andhra Pradesh for Central Subsidy .. | 116 |
| 7758. हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने के लिये आन्ध्र प्रदेश हथकरघा सलाहकार बोर्ड के सुझाव | Suggestions by Andhra Pradesh Handloom Advisory Board to Protect the Industry .. | 116 |
| 7759. केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही | Disciplinary Action against C. R. P. Constables . | 116—117 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| अता॰ प्र॰ संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | | |
| 7760. तम्बाकू का उत्पादन | Production of Tobacco | .. | 117 |
| 7761. पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण | Transfers of Police Officers in West Bengal | .. | 117—119 |
| 7762. विदेशों में आकाशवाणी के संवाददाता | A. I. R. Correspondents Abroad | .. | 119 |
| 7763. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के लिये दिये गये विज्ञापन | Posts Advertised by U. P. S. C. | .. | 120 |
| 7764. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सेवाकाल में वृद्धि | Extension in Service granted to Central Government Employees | .. | 120 |
| 7765. पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनायें | Ceasefire Violations by Pak Army | .. | 120 |
| 7766. आसाम में दूर संचार व्यवस्था में गड़बड़ी | Disruption of Telecommunications in Assam | .. | 121 |
| 7767· वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों के बीच गुटबन्दी | Factions Among Scientists in C. S. I. R. | .. | 121 |
| 7768. टेलीविजन निर्माताओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों से अभ्यावेदन | Representation by Small Scale Industries for ISSUE of Licences to T. V. Manufacturers | .. | 122 |
| 7769. स्वतंत्रता सेनानियों की शिकायतों संबंधी ज्ञापन | Memorandum re-Grievances of Freedom Fighters | .. | 122 |
| 7770. फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋण | Loans Advanced to Film Producers by Film Finance Corporation | .. | 122—123 |
| 7771. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया को ट्रस्टों में बदलना | Conversion of P. T. I. and U. N. I. into Trust | .. | 123 |
| 7772. एक पुरस्कार विजेता द्वारा टेलीविजन-रेडियो का निर्माण | Manufacture of TV-cum-Radio Set by an Award Winner | .. | 123—124 |
| 7773. जापान में हुई एक्सपो-70 प्रदर्शनी में क्लेरिज होटल द्वारा लगाया गया रेस्टोरेन्ट | Restaurant put up by Claridge's Hotel at Expo-70 Japan | .. | 124 |
| 7774. नवाब और बेगम रामपुर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन | Violation of Foreign Exchange Regulations by Nawab and Begum of Rampur | .. | 124—125 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** U.S. Q. Nos. | | | |
| ढाका से भारतीय दूतावास कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के बारे में | Re : Repatriation of Indian Embassy Staff from Dacca | .. | 125 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | .. | 125—127 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति | Committee on Absence of Members from sittings of the House | .. | 127 |
| कार्यवाही सारांश | Minutes | | .. |
| राज्य सभा से सन्देश | Message from Rajya Sabha | .. | 127 |
| सदस्यों की दोष सिद्धि के बारे में सूचना (डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे सर्व श्री रामचन्द्र बड़े और मुख्तियार सिंह मालिक) | Conviction of Members (Dr. Laxminarain Pandey and Sarvashri R. V. Bade and Mukhtiar Singh Malik) | .. | 128 |
| प्राक्कलन समिति— | Estimates Committee— | | |
| चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश | Fourth Report and Minutes | .. | 128 |
| लोक सेवा समिति— | Public Accounts Committee— | | |
| नवां प्रतिवेदन | Ninth Report | .. | 129 |
| विधेयक पुरः स्थापित | Bills Introduced | .. | 129 |
| (1) नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक (के कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 | (i) Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill | .. | 129—130 |
| (2) लोक पाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1971 | (ii) Lokpal and Lokayuktas Bill | .. | 129 |
| चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा | Discussion Re. Sugar Policy | .. | 130—141 |
| श्री विभूति मिश्र | Shri Bhibhuti Mishra | .. | 130—131 |
| श्री डी० के० पंडा | Shri D. K. Panda | .. | 131—132 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय | Dr. Laxminarain Pandeya | .. | 132 |
| श्री कमल नाथ तिवारी | Shri K. N. Tiwary | .. | 132 |
| श्री नरसिंह नारायण पाण्डे | Shri N. N. Pandey | .. | 132—133 |
| श्री राम सहाय पाण्डे | Shri R. S. Pandey | .. | 133 |
| श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य | Shri S. P. Bhattacharyya | .. | 133—134 |
| श्री शिवाजी राव एस० देशमुख | Shri Shivaji Rao S. Deshmukh | .. | 134—135 |
| श्री एम० राम गोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy | | 135 |
| श्री सी० चित्तिबाबू | Shri C. Chittibabu | .. | 135—136 |
| श्री आनन्द सिंह | Shri Anand Singh | .. | 137 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |


| | | |
|---|---|---|
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana .. | 137—138 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel .. | 138 |
| श्री ई० वी० विखे पाटिल | Shri E. V. Vikhe Patil .. | 139 |
| श्री शिब्बन लाल सक्सेना | Shri S. L. Saksena .. | 139 |
| श्री शेर सिंह | Shri Sher Singh .. | 139—141 |
| राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक, 1971 | Prevention of Insult to National Honour Bill 1971 | |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider .. | 141—146 |
| श्री दशरथ देव | Shri Dasaratha Deb .. | 141—142 |
| श्री रुद्र प्रताप सिंह | Shri Rudra Pratap Singh .. | 142 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri .. | 142—143 |
| श्री धामनकर | Shri Dhamankar .. | 143 |
| श्री हुकुम चन्द कछवाय | Shri Hukan Chand Kachwai | 144 |
| श्री नरसिंह नारायण पांडे | Shri N. N. Pandey .. | 144 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan .. | 145 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M. C. Daga .. | 145 |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo .. | 145—146 |
| श्री रामसहाय पांडे | Shri R. S. Pandey .. | 146 |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा | Discussion Re. Working of Nationalised Banks .. | 146—157 |
| श्री श्याम नन्दन मिश्र | Shri Shyamnandan Mishra .. | 146—148 |
| श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami .. | 148 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee .. | 148—149 |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H. M. Patel .. | 149—151 |
| श्री भोगेन्द्र झा | Shri Bhogendra Jha .. | 151 |
| श्री था किरुतिनन | Shri Tha Kiruttinan .. | 151—152 |
| श्री जगन्नाथ राव जोशी | Shri Jaganathrao Joshi .. | 152—153 |
| प्रो० मधु दण्डवते | Prof. Madhu Dandavate | 153 |
| प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना | Prof. S. L. Saksena .. | 153 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jaganath Rao | 154 |
| श्री यशवन्तराव चह्वाण | Shri Yeshwantrao Chavan .. | 156—157 |
| अशिक्षित बेरोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के बारे में आधे-घण्टे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion Re. Crash Programme for uneducated Unemployed .. | 157—159 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या**<br>**U. S. Q. Nos.** | | |
| श्री नरसिंह नारायण पांडे | Shri N. N. Pandey .. | 157—158 |
| श्री शेर सिंह | Shri Sher Singh .. | 159 |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात गलाने के कारखाने की छत का एक भाग गिर जाने के बारे में चर्चा | Discussion Re. Collapse of a Portion of Roof of Steel Melting Shop of Rourkela Steel Plant .. | 160—165 |
| श्री जानकी बल्लभ पटनायक | Shri J. B. Patnaik .. | 160—161 |
| श्री पी० के० देव | Shri P. K. Deo .. | 161—162 |
| श्री सरजू पांडे | Shri Sarjoo Pandey .. | 162 |
| श्री श्याम सुन्दर महापात्र | Shri S. S. Mohapatra .. | 162—163 |
| श्री स्वर्ण सिंह सोखी | Shri Swaran Singh Sokhi .. | 163 |
| श्री गजाधर माझी | Shri Gajadhar Majhi .. | 163—164 |
| श्री मोहन कुमारमंगलम | Shri Mohan Kumaramangalam .. | 164—165 |

# LOK SABHA
# लोक-सभा

**बुधवार**, 11 **अगस्त**, 1971/20 **श्रावण**, 1893 (**शक**)
*Wednesday, August 11, 1971/Sravana 20, 1893 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### बंगला देश में याह्या शासन के समर्थन में शिलांग में तथाकथित प्रदर्शन

*1681. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जून, 1971 को शिलांग में शिलांग के दो मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में कुछ स्थानीय समाज विरोधी तत्वों के सहयोग से बंगला देश में याह्या शासन के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों द्वारा 'पाकिस्तान जिन्दाबाद', 'याह्या जिन्दाबाद', 'मुजीब मुर्दाबाद' मेघालय में 'बंगालियों के लिए कोई स्थान नहीं' आदि नारे लगाये गये थे ;

(ग) क्या मेघालय सरकार ने आसाम सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को इन दोनों व्यक्तियों और अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने को कहा था जिन पर पाकिस्तान के एजेन्टों के रूप में कार्य करने का सन्देह है ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) असम तथा मेघालय की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 9 जून, 1971 को जनजाति युवक कल्याण संघ ने शिलांग में एक हड़ताल का आयोजन किया और बाद में यह मांग करते हुए एक सार्वजनिक सभा की कि शिविरों के बाहर ठहरे विस्थापितों को शिविरों में भेज दिया जाय। पाकिस्तानी शासकों की कार्यवाही के लिए कोई समर्थन व्यक्त नहीं किया गया और कोई भी मुस्लिम व्यापारी हड़ताल तथा सार्वजनिक सभा के आयोजन से सम्बद्ध नहीं था।

(ख) तथा (ग) . जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री समर गुह :** मैं नहीं जानता कि मैं किस पर विश्वास करूं। मेघालय के मुख्य मंत्री दो अन्य मंत्रियों के साथ दिल्ली आये थे। मुझे मेघालय के मुख्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने आसाम सरकार से विशेष रूप से प्रार्थना की है क्योंकि वह गृह कार्य से सम्बन्धित नहीं हैं तथा उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भी सूचित कर दिया है कि श्री शरीफ तथा श्री नागी ने वहां पर उपद्रव शुरू किये थे। समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि "पाकिस्तान जिन्दाबाद", "याह्या जिन्दाबाद" तथा "मुजीब मुर्दाबाद" के नारे वहां लगाये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेघालय के मुख्य मंत्री से उन्हें इस प्रकार की सूचना मिली है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा, आसाम और मेघालय राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों में हमें यह सूचना नहीं मिली है ।

**श्री समर गुह :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि शिलांग तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से आसाम में पाकिस्तानी लोग जासूसी की गतिविधियों में लगे हुए हैं जो मुक्ति सेना के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं ? क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी मिली है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** माननीय सदस्य ऐसा मानते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनकी जानकारी सही है, पर जैसा कि मैं बता चुका हूं मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि जनजाति युवक कल्याण संघ ने, जिसका उल्लेख मैंने अपने मुख्य उत्तर में किया है, सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, जिसमें मांग की गई कि यदि विस्थापितों को कैम्पों में ही रखा जाये तो बेहतर होगा। उस सभा में हड़ताल की मांग का आधार यही था।

**श्री एच० एम० पटेल :** श्री गुह के इस स्पष्ट वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि इस जानकारी का स्रोत स्वयं मेघालय के मुख्य मंत्री थे, क्या मंत्री महोदय आसाम तथा मेघालय राज्यों से पुनः पूछताछ करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह मेघालय तथा आसाम राज्य का ही उत्तर है।

**श्री एच० एम० पटेल :** सरकार से सूचना मिलना अलग बात है, परन्तु श्री गुह ने कहा है कि उनकी सूचना का स्रोत मुख्य मंत्री हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। क्या आप समझते हैं कि यह अलग बात है ?

## आकाशवाणी केन्द्रों के जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रम

*1683. **श्री टुना उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किये जाने वाले जन-जाति सम्बन्धी कार्यक्रमों का समय बहुत कम होता है और वे सप्ताह में केवल एक बार प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस कार्यक्रम का समय और दिनों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :** (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से जन-जाति क्षेत्रों के श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी हुई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-881/71**]

(ख) इन कार्यक्रमों की फ्रिक्वैंसी तथा अवधि को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रों में कई सुझाव मिले हैं। जहां भी समय और साधन उपलब्ध हुए हैं, इन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। इसको बड़े पैमाने पर तभी किया जा सकता है, जब हम विशेषकर जन जाति क्षेत्रों के लिए नए केन्द्रों को स्थापित करने में समर्थ हो जायेंगे।

**श्री टुना उरांव :** क्या यह सच है कि जन जातियों से भिन्न व्यक्तियों को ही वार्ताओं में समय दिया जाता है ? यदि हां, तो जन जातियों को समय क्यों नहीं दिया जाता ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** यह सत्य नहीं है । हम जनजातियों में से ही कलाकार लेने की चेष्टा करते हैं, परन्तु जब किसी विशेष जनजाति क्षेत्र से अथवा जनजाति बोली के व्यक्ति नहीं मिल पाते तभी हमें अन्य व्यक्तियों को लेना पड़ता है।

**श्री सुबोध हंसदा :** पश्चिम बंगाल तथा बिहार में जनजातियों के लोगों की अधिकांशत: सन्थाल, मुण्डा तथा उरांव लोगों की घनी आबादी है। विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता केन्द्र से सप्ताह में एक बार 15 मिनट का कार्यक्रम होता है। रांची में भी ऐसा लगता है कि कुछ बोलियों के लिए 5-7 मिनट ही मिलते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन प्रसारणों को सप्ताह में 5-7 मिनट अथवा 15 मिनट देने का क्या लाभ है ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** सन्थाल क्षेत्रों के कार्यक्रमों की अवधि विशेषत: कलकत्ता तथा रांची केन्द्रों से बहुत कम है। बेशक हम इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं परन्तु हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि इन केन्द्रों को कई अन्य बोलियों तथा अन्य व्यक्तियों की मांगों को पूरा करना पड़ता है। फिर भी हम रांची केन्द्रों को शक्तिशाली बना रहे हैं तथा मुझे आशा है कि सन्थाली श्रोताओं की मांग को और अधिक सीमा तक पूरा किया जा सकेगा।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** As the tribal people are living in almost all the States and the different stations of AIR give very little time to tribal programmes and even these programmes are not satisfactory, would he, therefore, consider broadcasting their programmes satisfactorily keeping in view their culture, religion, language etc., so that they may develop and whether he considers it necessary to prepare some special films for exhibition in those areas in order to bring about awakening among them ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** यह आकाशवाणी के प्रसारणों के बारे में है। मैं नहीं समझता कि उन व्यक्तियों के लिये विशेष फिल्मों के निर्माण से उनका क्या अभिप्राय है।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I wanted to know whether the Hon. Minister would arrange to make their programmes satisfactory and allot more time for them ?

**Mr. Speaker :** Hon. Minister has already replied to it earlier.

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य ने कौन सी जनजातियों से सम्बन्धित कार्यक्रम सुने हैं और वह उनकी कौन सी बोलियां समझते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिये

कार्यक्रम तो रखे जाते हैं परन्तु जैसा कि एक अन्य सदस्य ने बताया, वे अपर्याप्त होते हैं। विभिन्न जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक केन्द्र खोलने का हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम है। हम जन-जाति क्षेत्रों के लिये प्रसारण केन्द्र तथा प्रसारण की सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते हैं।

**Shri Nathu Ram Ahirwar :** So many tribal people live in Madhya Pradesh also. In the manner they are propagating their language and culture through the radio stations in Bengal and Bihar, have they started similar programmes from other radio stations.

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** मध्य प्रदेश में रींवा और छत्तरपुर में पहले से ही केन्द्र हैं, यद्यपि वे विशेषरूप से जनजातियों के लिये नहीं हैं। हमारा विचार इन दो केन्द्रों से जनजाति क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम रखने का है। उनके साथ ही जगदलपुर और अम्बिकापुर में केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

**Shri Nathu Ram Ahirwar :** It has not been started in Chatarpur.

**Shrimati Nandini Satpathy :** It would be started.

**श्री जगन्नाथ राव :** जेपोर उप-केन्द्र है और इस समय वहां से 15 मिनट के प्रसारण होते हैं। क्या सरकार का कोई कार्यक्रम जनजाति के लोगों को चर्चाओं तथा वार्त्ताओं द्वारा शिक्षित करने का है, जिससे कि उनमें आत्मीयता की भावना पैदा हो जाये ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** जेपोर केन्द्र से मुख्य रूप से कोरापुर जिले के लोगों की मांग को पूरा किया जाता है। चौथी योजना में जेपोर केन्द्र की प्रसारण क्षमता 10 किलोवाट से 20 किलोवाट करने का है। इसके साथ ही हम इसे पूर्ण केन्द्र भी बनाना चाहते हैं।

## इलैक्ट्रानिक्स आयोग का मुख्यालय

*1684. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स आयोग ने मुख्यालय और इलेक्ट्रानिक्स विभाग को दिल्ली से बाहर स्थित किया जायेगा ; और

(ख) इलेक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा जन सम्पर्क और प्रेस सूचना के लिये कौन से प्रबन्ध किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) इलेक्ट्रानिक्स आयोग के मुख्यालय तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग क्रमश: बम्बई तथा दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) इलैक्ट्रानिक्स आयोग के जन सम्पर्क तथा प्रेस सूचना के कार्य की देख भाल वर्तमान में सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों द्वारा की जा रही है।

**श्री एस० सी० सामन्त :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विभिन्न विभाग इसकी देख-भाल कर रहे हैं। क्या सरकार का विचार इस विभाग, विज्ञान तथा औद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग की देखभाल के लिए एक पृथक वरिष्ठ सूचना अधिकारी नियुक्त करने का है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। तीनों विभाग स्वतन्त्र

रूप से कार्य कर रहे हैं। आज कल जिस प्रकार अन्य विभागों के प्रचार के देखभाल का कार्य सरकार की सामान्य एजेंसियां करती हैं, इसी प्रकार इस विभाग के प्रचार की देखभाल का कार्य भी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रख लिया है।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि इलैक्ट्रानिक्स आयोग के कुछ सदस्य परमाणु ऊर्जा आयोग में सहायकों के रूप में कार्य कर रहे हैं; यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे नई संस्था का दर्जा कम नहीं हो जाता ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपने मुख्यालयों की स्थिति के बारे में प्रश्न किया है, न कि आयोग के गठन के बारे में, किन्तु यदि मन्त्री महोदय इस बारे में सूचना दे सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** इलैक्ट्रानिक्स आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि दोनों आयोगों का एक साथ सदस्य हो। इलैक्ट्रानिक्स आयोग के अध्यक्ष प्रो० एम० जी० के० मेनन टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामैन्टल रिसर्च, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, के निदेशक हैं और यह संस्था परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया मूल उत्तर निम्न प्रकार है :

"इलैक्ट्रानिक्स आयोग का अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग का भी सदस्य है।" प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया उपरोक्त उत्तर मूल उत्तर के स्थान पर बाद में भेजा गया था। किन्तु यह संस्था का अवनयन नहीं, मेरे विचार में यदि कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक आयोग के कार्य की देखभाल करता है तो इससे उसका उन्नयन ही होता है और उसे आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है।

**श्री संजीवी राव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग बंगलौर तथा हैदराबाद में स्थित हैं, क्या मंत्री महोदय मुख्यालयों को बम्बई से हैदराबाद अथवा बंगलौर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मुख्यालयों को बम्बई में बनाए रखने में कुछ लाभ हैं। एक तो आयोग के अध्यक्ष प्रो० मेनन वहां के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामैन्टल रिसर्च में, जो कि देश का एक मुख्य अनुसंधान केन्द्र है, अनुसंधान कर रहे हैं। दूसरे बम्बई में अनेक इलैक्ट्रानिक्स उद्योग हैं, वहां कम्प्यूटर की सुविधाएं भी देश के अन्य भागों की अपेक्षा सबसे अधिक उपलब्ध हैं। किन्तु मेरे कहने का यह अर्थ न लगाया जाए कि हैदराबाद अथवा बंगलौर का महत्व कम है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलैक्ट्रानिक्स के विकास को आजकल अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है तथा इसी उद्देश्य हेतु हाल ही में प्रथम बार इस आयोग की स्थापना की गई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी प्रचार सामग्री लोगों के समक्ष क्यों नहीं रखी जाती ताकि उन्हें पता चल सके कि आयोग क्या कार्य कर रहा है तथा भविष्य में इसकी क्या योजनाएं हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** यदि प्रचार कम है तो इसके लिए मैं आयोग को कहूंगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** अपने मूल उत्तर में आपने कहा है कि जनसम्पर्क तथा प्रेस सूचना के कार्य की देखभाल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय कर रहा है । इस सम्बन्ध में आयोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रहा । इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मंत्रालय भी इस कार्य में रुचि ले रहा है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है ।

## रेयन सिंथेटिक के कपड़े तथा धागे के मूल्यों के ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

*1688. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन सिंथेटिक के कपड़ों तथा धागे के मूल्यों के ढांचे सम्बन्धी, टैरिफ सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) और (ख). रेयन धागे पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन अन्तिम चरण में विचाराधीन है तथा सरकार के विनिश्चय का शीघ्र ही एलान कर दिया जाएगा ।

**श्री सी० चित्तिबाबू :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या इनमें से एक आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बारे में है ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तब तक मेरे लिए यह बताना कठिन है कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें क्या हैं ।

**श्री सी० चितिबाबू :** मैं यह जानना चाहता हूं कि टैरिफ आयोग की रिपोर्ट कब पेश की गई और रिपोर्ट पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** आयोग ने प्रतिवेदन जुलाई में प्रस्तुत किया था । हमें इस सम्बन्ध में कई सम्बद्ध विभागों से, विशेषकर औद्योगिक, वित्त तथा कुछ अन्य मंत्रालयों से परामर्श करना है, अतः इस कार्य में समय लगना स्वाभाविक है । बाद में हमें इस रिपोर्ट को पुनः प्रशुल्क आयोग को, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के कारण वापिस भेजना है ।

**श्री सी० चित्तिबाबू :** इस कार्य के लिए क्या समय अवधि निश्चित की गई है ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** हमें उनसे रिपोर्ट वापिस मिल गई है तथा उस पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है । कुछ सप्ताहों के भीतर हम अपना अंतिम निर्णय घोषित कर देंगे ।

**श्री सी० चित्तिबाबू :** आपका 'थोड़े समय' से क्या आशय है ?

## Weak Transmitter at Patna

*1689. **Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri R. P. Yadav :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether most of the people in North Bihar and tarai areas of Nepal know Bhojpuri language ;

(b) whether the transmitter installed at Patna is so weak that the radios and transistors do not give clear reception in North Bihar and tarai areas of Nepal ; and

(c) if so, whether Government propose to set up any radio station for the Bhojpuri area of North Bihar ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :** (a) Along with Bhojpuri they speak Maithili and Hindi.

(b) No, Sir. The Patna Station of A. I. R. can be heard in North Bihar and the Tarai regions of Nepal.

(c) There is no such proposal at present.

**Shri Bibhuti Mishra :** Few days ago it was revealed is this House that China is going to start cultivation on the border area of India and the Chinese are helping the Nepalese and giving them all sorts of training. The Patna radio broadcast can not be heard in the border areas of Nepal and Champaran. The hon. Minister affirms to the contrary. This is tantamount to oath against oath. The Prime Minister is present in the House. She can go there and see if Patna radio covers this area. May I know whether a radio station will be set up in the Bhojpuri area of North Bihar where primarily Bhojpuri and Maithili language is being spoken.

**Shri Dharam Vir Singh :** Mr. Speaker, Sir, there is a proposal to set up a radio station at Gorkhpur and Darbhanga near Patna. Gorakhpur station will broadcast in Bhojpuri also and the powerful transmitter of Darbhanga station will cover Champaran area.

**Shri D. N. Tiwari :** What about the area of Saran.

**Shri Dharam Vir Singh :** Patna and Gorakhpur stations cover that area.

**Shri Bibhuti Mishra :** Mr. Speaker, Sir the hon. Minister says that there is a proposal to set up a radio station. Bhojpuri is the language of Gorakhpur. It is alien to Hindi but it is not true Bhojpuri. There is a lot of Chinese propaganda in Nepal. In the context of present International situation does not the Government consider it expedient to set up a radio station in North Bihar so that these broadcasts are heard not only in Nepal but also in Tibet to enable us to carry our propaganda in such areas. We have no publicity media in these areas, if any emergency arises the Government will say that we forgot about it, it is therefore necessary that directions may now be given for taking necessary steps in this direction.

**Shri Dharam Vir Singh :** The Government is obliged to the hon. Member for drawing our attention to this matter.

**Shri R. P. Yadav :** Sir, my question was regarding the inaudibility of broadcasts from Patna station but it has been mixed up with Bhojpuri. Keeping in view the ever increasing danger from the side of Nepal, may I know whether Government propose to set up a radio station at Saharsa and if so, when and if not, the reasons therefor.

**Shri Dharam Vir Singh** : There is a proposal to set up radio station at Darbhanga and it is believed that this station will cover the Saharsa area.

**Shri N. N. Pandey** : Gorakhpur is quite near to Tarai area of Nepal and is an important place between Uttar Pradesh and Bihar. May I know when the high power radio station at Gorakhpur will start functioning ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी** : हम गोरखपुर में अधिक शक्ति वाला स्टेशन बनाना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में कार्य शुरू हो गया है । आशा है 1972-73 से यह स्टेशन कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

**Shri Ramavtar Shastri** : Mr. Speaker, Sir, the main question is about the weakness of transmitter at least the heading denotes so, therefore, I wish to know whether it is a fact that the regional news which is broadcast at 7.30 in the evening from Patna station cannot be heard at Delhi ; if so what steps the Government proposes to take to remove the said drawback.

**Shri Dharam Vir Singh :** Regional news are for the region only.

**Shri Ramavtar Shastri :** We also want to hear. We have come from Bihar and we want to hear the news of our own region.

**Shri Dharam Vir Singh** : These news cannot be heard at Delhi.

**Shri D. N. Tiwari** : It is strange whenever there is a proposal to set up railway zone or radio station Bihar is always considered as adjunct of U. P. I wish to know why don't you set up a radio station at Chhapra or Motihari and why at Gorakhpur.....

**श्री एन० एन० पाण्डे** : मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं ।

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही भारत के बहुत पिछड़े हुए और बड़े राज्य हैं । मेरे विचार से हमें मिलकर यह सुनिश्चय करना चाहिये कि दोनों राज्य अच्छी तरह विकसित हों ।

## शिलांग में आकाशवाणी केन्द्र

*1690. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिलांग में एक पूरे दर्जे का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी होगी तथा यह नया केन्द्र कब तक खोला जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : (क) और (ख). शिलांग में पहले ही एक रेडियो स्टेशन है । तथापि, इसकी स्टूडियो सुविधायें सीमित हैं और इसका ट्रांसमिटर अल्पशक्ति वाला है । सुद्धृत सुविधाओं सहित एक स्थायी स्टूडियो स्थापित करने का काम हाथ में ले लिया गया है और यह चौथी योजना अवधि के दौरान पूरा हो जायेगा । उच्चशक्ति वाला एक ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : पूर्वी क्षेत्र में बांगला देश से सम्बन्धित हुई घटनाओं की शक्ति से तथा बर्तमान आदिवासियों के उपद्रवों के कारण शिलांग प्रसारण केन्द्र के महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं पेश किया जा सकता ? इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शिलांग में प्रसारण का समय बढ़ाने के साथ-साथ एक उच्च शक्ति वाला प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा सीमा पार से किये जाने वाले शत्रुतापूर्ण प्रचार का मुकाबला किया जा सके ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी** : सरकार पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम यथा संभव शीघ्र शिलांग केन्द्र की शक्ति बढ़ाने का तथा वहां प्रसारण करने की सुविधायें भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वहां केवल एक ही प्रसारण होता है और ज्यों ही वहां एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लग जायेगा। शिलांग केन्द्र से तीन प्रसारण होने लगेंगे।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : वर्तमान केन्द्र से अब कितने घण्टे का प्रसारण होता है तथा किस भाषा में होता है ? क्या यह भी सच है कि वहां भारतीय संस्कृति के स्थान पर पाश्चात संस्कृति का प्रचार अधिक होता है जो गारो तथा खासी पहाड़ियों···

**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न, वहां एक शक्तिशाली ट्रान्समीटर लगाने के बारे में है। परन्तु माननीय सदस्य इस प्रश्न की सीमा से कहीं बाहर चले गये हैं। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

### पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पुलिस के अत्याचारों सम्बंधी ज्ञापन पर कार्यवाही

*1691. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पुलिस के अत्याचारों तथा उसकी निष्क्रियता के सम्बन्ध में श्री समर मुखर्जी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा 1 जून, 1971 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान के समाज विरोधी तत्वों का एक दल छात्र परिषद् का रूप धारण करके स्थानीय कांग्रेस में कोई न कोई प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त किये हुये है और बर्दवान में हुई हत्याओं में उस दल का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आरोप निराधार है। ज्ञापन के लेखक जिस राजनैतिक दल के हैं ; वह दल इस ढंग से अपने प्रतिद्वन्द्वियों की निन्दा करता है।

(ग) सरकार हत्या तथा हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी सम्भव निरोधात्मक व दण्डात्मक उपाय किये जा रहे हैं। समाज-विरोधी, आपराधिक व उग्रवादी तत्वों की हिंसात्मक तथा अवैध गतिविधियों से कारगर रूप से निपटने के उद्देश्य से कानून व व्यवस्था बलों को मजबूत करने के लिए उचित प्रशासनिक उपाय किये

जा रहे हैं । केन्द्र सरकार आवश्यक सहायता दे रही है जैसे आसूचना का एकत्रीकरण और अतिरिक्त पुलिस कुमुक व उपकरण । इसके साथ-साथ हत्या तथा आतंक का संयुक्त रूप से विरोध करने तथा उसे रोकने के लिए सभी राजनैतिक दलों का सहयोग मांगा गया है ।

**श्री ए० के० साहा :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ज्ञापन में वर्णित हत्याओं तथा आक्रमणों की सभी घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा मामले आरम्भ कर दिये गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं, जिन्हें उक्त घटनाओं के लिये उत्तरदायी माना गया है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** श्री अरुण दत्त की हत्या के मामले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा आगे जांच होने तक पुलिस की हिरासत में रखे गये थे । सर्व श्री अनवर हुसैन, भाबादिश राय, लक्ष्मी चोंगदार तथा कृष्ण बिस्वास सम्बन्धी घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति अभी फरार हैं । अन्य मामलों में दोषी व्यक्तियों का कोई पक्का सुराग नहीं मिल पाया है । पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है ।

**श्री ए० के० साहा :** क्या सरकार को मालूम है कि बर्दवान के पुलिस अधीक्षक तथा बर्दवान सदर स्टेशन के ओ० सी० समाज विरोधी तत्वों तथा कांग्रेसी गुंडों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं ? क्या सरकार इन अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के बारे में तुरन्त ही कोई कदम उठायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** यह बड़ी ही भड़काने वाली टिप्पणी है और मुझसे इसका सही उत्तर मांगा जाये तो फिर यह प्रश्न और इसका उत्तर दोनों ही निरर्थक सिद्ध होंगे ।

**श्री कृष्ण हाल्दार :** ज्ञापन में किन्ही विशिष्ट मामलों का जिक्र है । उनमें से 10 व्यक्तियों की हत्या की गई तथा एक को छुरा घोंपा गया था । ज्ञापन में कहा गया है कि श्री कृष्ण बिस्वास को 6 अप्रैल, 1971 को बर्दवान सदर पुलिस स्टेशन से 75 गज की दूरी पर छुरा घोंपा गया । अपनी मृत्यु के समय श्री कृष्ण बिस्वास ने मजिस्ट्रेट को अपनी हत्या करने वालों के नाम बताये थे, परन्तु अब तक उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है । साहीबारी मामले के प्रमुख बचाव वकील तथा अधिवक्ता श्री भाबादिश राय की 19 अप्रैल, 1971 को उस समय हत्या की गई, जबकि वह सदर पुलिस स्टेशन से कोई 15-20 गज दूर कचहरी से वापस आ रहे थे ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

**श्री कृष्ण हाल्दार :** उनकी हत्या छतरा परिषद के गुंडों ने की । परन्तु जैसाकि मैंने कहा, उनमें से एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सका । क्या यह सब कुछ राजनैतिक कारणों से हुआ है कि उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत :** जैसा कि मैंने पहले कहा, अभियुक्त अभी तक बचने में सफल रहे हैं ।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्यों ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत :** पश्चिम बंगाल में कुछ इस प्रकार का वातावरण व्याप्त है कि माननीय सदस्य को "क्यों ?" प्रश्न करते समय उसे अपने ध्यान में रखना चाहिये। वहां आतंक का वातावरण है और वहां की जनता से ऐसी स्थिति में पुलिस को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरे, पुलिस के पास बहुत अधिक कार्य है और यही कारण है कि हम वहां पुनः शांति तथा सामान्य स्थिति स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, ताकि पश्चिम बंगाल में हत्या और हिंसा की राजनीति का बोलबाला समाप्त हो जाये। इसके पश्चात ऐसे मामलों को और अधिक सरलता से निपटाया जा सकेगा।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** श्रीमन, मुझे यहां एक तेलुगु कहावत याद आती है अर्थात् कि एक औरत ने पति को पीटा और फिर शोर मचा दिया कि उसके पति ने उसे पीटा है। इसी प्रकार साम्यवादी (मार्कसवादी) लोग कतिपय लोगों की हत्या कर रहे हैं और साथ ही चिल्ला रहे हैं कि स्वयं उन्हें ही मारा जा रहा है। क्या मंत्री महोदय मेरे विचारों से सहमत हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** May I know whether it is a fact that a particular political party which believes in violence, issues threatening letters to those people who have come from northern part of India to Burdwan and adjacent districts for business etc., and asks them to pay certain amounts of money otherwise they would be killed ? If so, what strict measures are being taken to check such activities.... (**Interruptions**).

Such incidents are going on there. The memorandum relates to murders. Have the Government received such reports ?

**Mr. Speaker :** Mr. Kachwai, this does not arise out of the main question.

**श्री दशरथ देब :** यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञापन में मारे गये व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। फिर मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि इस ज्ञापन के लेखक का दल ही अपने विरोधियों का दमन कर रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय :** बिना अनुमति मत बोलिये।

**श्री दशरथ देब :** मंत्री महोदय हमारे विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से नाम लिखे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** शांति; शांति अगला प्रश्न।

## यौन, हिंसा और अपराध सम्बंधी अमरीकी फिल्मों के आयात पर रोक लगाये जाने का प्रस्ताव

*1692. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यौन, हिंसा और अपराध को गौरवान्वित करने वाली अमरीकी फिल्मों का बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष भारत में आयात किया जा रहा है ; और

(ख) क्या देश में ऐसी फिल्मों के आयात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). जी नहीं। 1952 के सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी फिल्म केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाण-पत्र लिये बिना सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जा सकती। बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखता है कि जो फिल्में मर्यादा तथा नैतिकता और इसके साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हैं, उनका जनता में प्रदर्शन न किया जाये। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हाल में हुये नगर वाला बैंक डकैती के मामले में अभियुक्त ने पुलिस को बताया था कि अपराधपूर्ण विदेशी फिल्मों को देखकर मुझे प्रोत्साहन मिला था तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुये कि ऐसी फिल्में लोगों को अपराध करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं अथवा भड़काती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी फिल्मों के आयात को बन्द करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** मैंने कहा है कि इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड है। किसी फिल्म का आयात करने तथा उसे जनता में दिखाये जाने से पहले यह बोर्ड उसकी जांच करता है। उसके पश्चात ही जनता में उस चल चित्र को दिखाया जाता है।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** महोदय ! क्या आप समझते हैं कि यह उत्तर संतोषजनक है ? मैं तो नहीं समझता। कुछ विनियमों के अन्तर्गत चलचित्रों का आयात किया जाता है तथा उन्हें जनता में प्रदर्शित किया जाता है और ये फिल्म जनता को अपराध करने को उत्साहित करती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी तथा ऐसी फिल्मों के आयात पर रोक लगाएगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को पता है कि अमरीका से बहुत सी अश्लील फिल्मों का आयात किया जा रहा है तथा उन्हें भारत में प्रदर्शित किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार इस कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री एल० एन० मिश्र** : केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को बोर्ड तक पहुंचा दूंगा।

अमरीका से फिल्मों के आयात के बारे में सदन में कुछ दिन पूर्व चर्चा की गई थी तथा मैंने कहा था कि तत्सम्बन्धी करार 30 जून को समाप्त हो चुका है। हम उसकी अवधि नहीं बढ़ा रहे हैं। किन्तु अमरीका से हम कुछ फिल्मों का आयात करेंगे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर विचार किया जा सकता है तथा मैं केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड तक उनका सुझाव पहुंचा दूंगा।

**Shri B. P. Maurya :** It seems that there is a lack of coordination between his Ministry and the Ministry under which the Central Board of Film Censors is functioning.

**Mr. Speaker :** The hon. Member should ask the question.

**Shri B. P. Maurya :** May I know whether the Central Board of Film Censors has one yard stick for the Indian Films and the other for the Foreign Films ?

**Mr. Speaker :** You are repeating the question.

**Shri B. P. Maurya :** I am coming to the question. The hon. Minister has stated just now that double standard is not adopted. Without referring to any particular film may I know whether

any film has been imported in the country which depicts sexual intercourse between the son and the mother? Is it a fact that certain other obscene films, which should not have been exhibited in our country in view of our traditions and cultural back ground have been exhibited in the public? Will the hon. Minister reconsider the entire question of the import and export of films?

**Shri L. N. Mishra :** The Ministry of foreign trade is concerned with the number of the films imported and exported. As I have already stated, the number of films imported by America for the commercial purpose was very low, we had suggested that the agreement could be revived only if an equal number of Indian films are imported by America. The agreement expired on 30th June.

The suggestion of the hon. Member regarding the quality of the films will be conveyed to the concerned Ministry. But these things depend on personal taste.

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये फिल्में हमारे देश के नवयुवकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, क्या सरकार फिल्म सेंसर सम्बन्धी नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिवर्तन करेगी ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** मेरा मंत्रालय मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सम्बद्ध नहीं है। मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि मैं इन प्रश्नों को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा।

**श्री समर गुह :** क्या यह सच है कि 1968 में हुई केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने लगभग एकमत होकर यह कहा था कि विद्यार्थियों में हिंसा का भाव जागृत होने का एक महत्व पूर्ण कारण विशेषकर अमरीका से आयातित फिल्में भी हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार नवयुवकों को इनके प्रभाव से बचाने के लिये इन फिल्मों के आयात पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगी।

**श्री एल० एन० मिश्र :** माननीय सदस्य ने जो कहा है, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उस बैठक में भाग नहीं लिया था। मैं केवल इतना आश्वासन दिला सकता हूं कि मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहूंगा कि वह माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों की ओर ध्यान दें।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि संसद सदस्यों को, जिनमें श्री समर गुह और हम सब सम्मिलित थे, अकादमी पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को बिना सेंसर किये दिखाया गया था किन्तु उन्हीं फिल्मों को जनता में सेंसर करने के बाद प्रदर्शित किया गया। इस भेदभाव का क्या कारण है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** उसे संसद सदस्यों को विशेषरूप से दिखाया गया था।

**श्री जी० विश्वनाथन :** केवल अंग्रेजी फिल्मों में ही अपराध और हिंसा निहित नहीं है, वरन भारतीय फिल्मों में भी निहित है। क्या मंत्री महोदय को पता है, फिल्म उद्योग ने यह मांग की है कि अमरीकी फिल्मों के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** हम पूर्णरूप से प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। करार की शर्तों पर बातचीत करनी है। पुराना करार 30 जून को समाप्त हो गया है। हमने उसे अभी पुनः लागू नहीं किया है। हम नया करार इसी शर्त पर करेंगे कि अमरीका हमारी फिल्में खरीदने को तैयार हो।

## कपड़े के निर्यात में कमी और निर्यात करने वाली मिलों के आधुनिकीकरण की योजना

*1693. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े का हमारा निर्यात 1972 से कम हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्यात करने वाली मिलों में नवीनतम मशीनें लगा कर उसका अच्छा आधुनिकीकरण करने की सरकार की कोई योजना है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रतिस्पर्द्धा करने में समर्थ हो सकें ;और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) निर्यात करने वाले मिलों द्वारा जटिल वस्त्र-मशीनों के आयात को उदार बना दिया गया है ।

**श्री दिनेश जोरदार :** मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कि आगामी वर्ष में सूती कपड़े के निर्यात में कोई कमी नहीं होगी, अब भी यह आशंका है कि विश्व शक्तियों के हाल में नये गठबन्धन को ध्यान में रखते हुये तथा मांचेस्टर सूती कपड़ा उद्योग समूह के हितों की रक्षा करने के लिये ब्रिटिश सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुये, सम्भवतः हमारे देश से सूती कपड़े के निर्यात में कमी होगी। आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने विदेश व्यापार मंत्रालय के निर्यात करने वाली मिलों के आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है तथा यह समाचार सूती कपड़ा मिलों के मालिकों को चोरी-छिपे पता चल गया था, जिससे वे योजना आयोग पर दबाव डाल सकें तथा सरकार की नीति उनके पक्ष में संशोधित हो सके ? क्या यह भी सच नहीं है कि 1950 से आरम्भ होने वाली दशाब्दी में जब सूती कपड़ा मिलों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये स्वचालित कर्घे लगाने की अनुमति दी गई थी, कुछ ऐसी मिलों ने भी जो केवल आंतरिक उपयोग के लिये कपड़े का उत्पादन कर रही थीं, स्वचालित कर्घे लगाये थे, जिसके कारण हजारों श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा तथा छोटे कारखानें प्रतिस्पर्धा न कर सके और अन्त में बन्द हो गये । अतः मैं जानना चाहता हूं ···

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के बजाय भाषण दे रहे हैं ।

**श्री दिनेश जोरदार :** मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय मिलों को आधुनिक बनाये जाने की अनुमति देने से पूर्व इन सभी बातों पर विचार करेंगे ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा निर्यात व्यापार बना रहे तो हमें मिलों को आधुनिक बनाना पड़ेगा । हमने सूती कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी तथा उस समिति की सिफारिशों के अनुसार हमें 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से सम्बन्ध बनाये हुये हैं। यह कहना सच नहीं है कि

योजना आयोग ने मिलों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी हमारी किसी योजना को अस्वीकार कर दिया है। वास्तव में योजना आयोग सूती कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाये जाने में बहुत रुचि रखता है। ये प्रस्ताव चौथी योजना में कुछ आधुनिक मशीन मंगाने के बारे में हैं। मजदूरों की छंटनी सम्बन्धी समस्या का समाधान श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है किन्तु मैं सदन को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि आधुनिकीकरण के कारण श्रमिकों के भविष्य के बारे में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री दिनेश जोरदार :** मिलों को आधुनिक बनाने के लिये मिल मालिकों को वित्तीय सहायता देने की बजाय राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम बन्द पड़ी मिलों को अपने अधिकार में क्यों नहीं लेता तथा स्वयं ही उन्हें क्यों नहीं चलाता ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने 27 मिलों को अपने अधिकार में लिया है तथा उनके कार्य में सुधार हो रहा है। उन्हें आधुनिक बनाने की भी हमारी योजना है। उनमें आधुनिक मशीनें लगाने के बाद हम उन्हें उनके पुराने मालिकों को सौंपना नहीं चाहते। उन्हें सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलया जायेगा।

**श्री जगन्नाथ राव :** मंत्री महोदय की यह बात समझ में नहीं आती कि 1972 में कपड़े के निर्यात में कमी की कोई संभावना नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में कपड़े के निर्यात में पहिले ही 22 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक कमी हो चुकी है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

**श्री जगन्नाथ राव :** अब इंगलैंड ने वरीयता समाप्त करने की सूचना दी है। फिर भी मंत्री महोदय इतने आशावान हैं। मैं मंत्री महोदय के आशावान होने के कारण जानना चाहता हूं। वरीयता समाप्त करने से पूर्व ही निर्यात में 22 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की कमी आ चुकी है।

**श्री एल० एन० मिश्र :** निर्यात के संबंध में पिछले कुछ वर्षों के आकड़े हैं : 50 करोड़ रुपये, 82 करोड़ रुपये, 95 करोड़ रुपये और 104 करोड़ रुपये और चालू वर्ष के लिए अब तक के आंकड़े 46 करोड़ रुपये हैं। कपड़े के निर्यात के लिए हम नये बाजारों का विकास कर रहे हैं। परन्तु वह तभी सम्भव हो सकता है, यदि हम कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करें। जहां तक वरीयता समाप्त करने संबंधी ब्रिटेन की सूचना का संबंध है, इस प्रश्न पर यहां पर पहले ही विचार हो चुका है, परन्तु यूरोपीय साझा बाजार द्वारा दी गई वरीयता की सामान्य योजना के अधीन हमें कुछ अन्य नये बाजार मिल जायेंगे।

**श्री शिवाजी राव एस० देशमुख :** सरकार को यह बात समझने में कितना समय लगेगा कि यदि कपड़ा मिलों को निःशुल्क भी रुई दे दी जाए तो भी कपड़ा संसार भर में सब से कीमती ही होगा क्योंकि एक किलो लिंट में से 7 वर्ग मीटर कपड़ा प्राप्त होता है और कपड़े का लागत मूल्य एक किलो लिंट के मूल्य से 20 गुणा होता है। सरकार कब तक इस 'सस्ती रुई' नीति पर चलती रहेगी ?

**श्री एल० एन० मिश्र :** रुई संबंधी नीति एक भिन्न बात है। यह प्रश्न तो कपड़े के कुल उत्पादन के संबंध में है। हमारी मिलों के उत्पादन पर अधिक लागत का कारण यह है कि हमारी

मिलें पुरानी हैं। इस बात पर श्री देशमुख मेरे साथ सहमत होंगे कि रुई के 1300 अथवा 1400 रुपये प्रति गांठ के न्यूनतम मूल्य की तुलना में बाजार का भाव 3600 रुपये प्रति गांठ है। स्वभावत: इसका उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है।

## पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचार सुविधाएं

*1694. **श्री कृष्ण चंद्र पाण्डे** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अपर्याप्त संचार साधन उस क्षेत्र के विकास में बाधक सिद्ध हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)**: (a) No Sir, Postal and Telecommunication facilities already available in the Eastern districts are not considered inadequate. Within the resources available more could not have been achieved.

(i) Telecommunication :

There are 10 districts in the Eastern part of Uttar Pradesh. All the district Headquarters, Sub-divisional Headquarters, Tehsil Headquarters and places having population of more than 20,000 have been provided with telephone and Telegraph facilities in these districts.

More than 50% of the places having police stations under the charge of Sub-Inspector of Police, Block Headquarters and places having population more than 5000 have been provided with telegraph facilities.

At present there are 51 Telephone exchanges, 86 Public Call Offices and 209 Telegraph Offices working in these districts.

(ii) **Postal** : Postal facilities already available in the Eastern district of Uttar Pradesh are not considered inadequate as may be seen from the statement I laid on the Table of the Lok Sabha.

(b) Question does not arise. However, it is proposed to open 4 telephone exchanges, 40 public call offices and 68 Telegraph offices in these districts.

It is proposed to open new post offices in these districts during the remaining three years of the Fourth Five Year Plan period as per Statement No. II laid on the Table of the Lok Sabha.

**Statement I**

| Name of the districts | No. of P.Os. working as on 1.4.71 | Average areas in sq.km and average population served per post office | | Average radial distance, one has to walk to reach the post in kilo-meters. |
|---|---|---|---|---|
| | | Area | Population | |
| Azamgarh | 440 | 16 | 4631 | 2.00 |
| Ballia | 252 | 12 | 4915 | 1.70 |
| Basti | 328 | 22 | 7576 | 2.40 |
| Deoria | 337 | 15 | 7048 | 1.90 |
| Faizabad | 373 | 12 | 4475 | 1.70 |
| Ghazipur | 226 | 18 | 4903 | 2.10 |
| Gonda | 311 | 23 | 6420 | 2.40 |
| Gorakhpur | 442 | 13 | 4526 | 1.80 |
| Jaunpur | 284 | 13.80 | 5956 | 1.80 |
| Varanasi | 291 | 22.50 | 8034 | 2.10 |
| Uttar Pradesh as a whole as on 1.7.71 | 13320 | 21.84 | 5536 | 2.30 |

**Statement II**

| Name of Districts | Number of Post Offices proposed to be opened during 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|
| Azamgarh | 14 | 12 | 10 |
| Ballia | 11 | 8 | 10 |
| Basti | 7 | 7 | 7 |
| Deoria | 16 | 11 | 11 |
| Faizabad | 10 | 10 | 10 |
| Ghazipur | 13 | 11 | 8 |
| Gonda | 7 | 7 | 7 |
| Gorakhpur | 19 | 14 | 9 |
| Jaunpur | 10 | 10 | 10 |
| Varanasi | 12 | 9 | 3 |
| Uttar Pradesh as a whole | 300 | 300 | 300 |

**Shri K. C. Pandey** : Our Communication Minister is well aware of the problems of Eastern Uttar Pradesh. People from Doaba area, which is called Doaba of Sarju and Ghagra Rivers, have to cover a distance of 14 to 22 miles to reach Khalilabad in order to send telegrams. May I know whether a direct line between Maugarh and Basti would be sanctioned when a direct line is already there between Maugarh and Gorakhpur, because Basti is our District ?

**Shri H. N. Bahuguna** : Sir, this question is a very detailed one. It relates to providing communication facilities in the Eastern Districts of Uttar Pradesh. If any special suggestions are given by the hon. Member for this purpose, the Government would give due consideration to those.

**Shri Paripoornanand Painuli** : Has the Government received any Memorandum from the Members of Parliament to the effect that there should be separate forms for providing communication facilities in hilly areas as comparison to plains, as special conditions prevail in hilly areas. If so, what is his reaction thereto ?

**Shri H. N. Bahuguna** : Yes, Sir. All Members of Parliament belonging to hilly areas, right from Kashmir upto N.E.F.A. have submitted a Memorandum. It has been demanded therein that norms for opening Telegraph, Telephone and Post Offices in hilly areas should be different from the norms set up for plains. Their Memorandum is being considered.

**Shri Paripoornanand Painuli** : Is it being considered sympathetically ?

**Shri H. N. Bahuguna** : Yes, Sir. We do not do any work without sympathies ?

## टेलीविजन पर राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के दृष्टिकोण के प्रसारण हेतु सुविधाएं

*1695. **श्री एन० ई० होरो : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को टेलीविजन सुविधाओं के माध्यम से जनता के सामने अपना दृष्टिकोण रखने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) :** (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा टेलीविजन पर समय देने के प्रश्न पर सरकार का दिल साफ है, बशर्ते कि उन आधारभूत नियमों और प्रक्रिया पर सामान्य सहमति हो जाए जिनके अन्तर्गत देश में राजनीतिक चर्चा की जानी है। इस बीच माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन दोनों ही अपनी समाचार समीक्षाओं तथा अन्य कार्यक्रमों में हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक विचारों को स्थान देते हैं और उन्हें प्रतिबिम्बित करते हैं।

**श्री एन० ई० होरो :** सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि आकाशवाणी और टेलीविजन पर समय देने के प्रश्न पर सरकार की स्पष्ट विचारधारा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और टेलीविजन के साधनों का उपयोग करने की तत्काल अनुमति देने से सरकार डरती क्यों है ? सरकार का उत्तर गोल-मोल शब्दों में नहीं प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आकाशवाणी और टेलीविजन पर समय दे।

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को आकाशवाणी और टेलीविजन पर समय देने से सरकार डरती नहीं है। वस्तुतः पिछले चुनावों से पूर्व तथा उससे भी पूर्व, पिछले से पिछले आम चुनावों से पूर्व, राजनीतिक दलों को रेडियो का उपयोग करने की अनुमति देने का एक प्रस्ताव था, परन्तु क्योंकि उनमें आपस में कोई समझौता न हो सका, अतः इसका कार्यान्वयन न हो सका।

**श्री पीलू मोदी :** मतभेद किस बारे में था ?

**श्रीमती नंदिनी सत्पथी :** बहुत सी बातें थीं। आप उनके बारे में जानते हैं। मेरा विचार है, इस पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है· · **·अन्तर्बाधा**

अब इन्होंने पूछा है कि क्या इस समय भी कोई ऐसा प्रस्ताव है। जैसाकि मैंने अपने उत्तर में कहा है, रेडियो और टेलीविजन दोनों के विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों को प्रतिबिम्बित किया जाता है। माननीय सदस्य यदि आकाशवाणी एवं टेलीविजन कार्यक्रम सुनते तथा देखते हैं तो उन्हें अवश्य ही प्रतीत होगा कि विभिन्न समाचार समीक्षाओं, चर्चाओं और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार प्रतिबिम्बित किये जाते हैं।

**श्री एन० ई० होरो :** माननीय मंत्री ने कहा है कि इन साधनों का उपयोग करने के बारे में राजनीतिक दलों में मतैक्य न हो सका। क्या सरकार राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेंगी और यदि सरकार के सामने कठिनाइयां हैं तो क्या उन्हें विचार-विमर्श के द्वारा दूर करने के प्रयास किये जायेंगे ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी :** जैसाकि मैंने पहले बताया है, हमने राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया था और जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, सरकार का दिल साफ है। हम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने को तैयार हैं।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार कम से कम टेलीविजन से राजनीति एवं राजनीतिक दलों को दूर रखने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

**श्रीमती नन्दिनी सत्पथी** : यह विचार के लिए एक सुझाव है।

**श्री जी० विश्वनाथन्** : मुझे सत्ताधारी दल द्वारा टेलीविजन और रेडियो की सुविधा के प्रयोग से कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते कि यह सुविधा विपक्षी दलों को भी दी जाए। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह प्रबन्ध पहिले ही असफल हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में फिर से पहल करेगी और इसके लिए प्रयत्न करेगी कि कोई समझौता हो जाए, जिससे अन्य दलों को भी वह सुविधाएं दी जा सकें जो सुविधाएं सत्ताधारी दल को दी जाती हैं।

**श्रीमती नंदिनी सत्पथी** : सत्ताधारी दल को टेलीविजन पर दी जा रही किसी सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

———

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### प्रशासकों और गैर-सरकारी व्यापार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

*1682. **श्री राजदेव सिंह :**
**श्री एम० एम० जोसफ :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, विकासशील देशों द्वारा मनोनीत प्रशासकों और गैर-सरकारी व्यापार अधिकारियों को प्रशिक्षण और मन्त्रणा सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये एक योजना की घोषणा की है जिससे वे अधिमानों की केन्द्रीकृत पद्धति का पूरा लाभ उठा सकें और इस योजना के लिये 11,14,900 डालर की राशि और 560 शिक्षावृत्तियां नियत की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पेशकश का लाभ उठाने का निर्णय किया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) एक विश्वव्यापी कार्यक्रम बना रहा है, ताकि विकासशील देश हाल में आरम्भ की गई अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम में, जो तीन वर्ष की अवधि के लिये हैं, यह व्यवस्था करने का विचार है :

(1) व्याख्यात्मक मिशन द्वारा विकासशील देशों के दौरे ; और

(2) विकासशील देशों से अधिकारियों, मनोनीत व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिये अध्ययन सेमिनारों की व्यवस्था करना।

तीन वर्षों की अवधि के लिये विश्वव्यापी परियोजना की कुल लागत 11,14,900 अमरीकी डालर है। सभी सदस्य देशों को उपलब्ध शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु प्रत्येक देश से, जिसमें भारत भी शामिल है, केवल तीन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की सम्भावना है।

प्रस्थापित सेमिनारों के लिये उम्मीदवारों का चयन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से अध्ययन सेमिनारों के बारे में पूरी जानकारी, जैसे स्थान, तारीख और प्रशिक्षण को अवधि, पाठ्यक्रम की विषय सूची आदि के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायगा।

## त्रिपुरा सरकार द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों पर कथित रोक लगाया जाना

*1685. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बंगला देश के शरणार्थियों पर किसी सभा अथवा जुलूस में भाग लेने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख). साम्प्रदायिक सद्भावना अथवा लोक शांति भंग होने की सम्भावना को रोकने के लिये त्रिपुरा के उप-राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, 1950 की धारा 19 (1) के अधीन त्रिपुरा में लागू एक आदेश पास किया है जिसमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों द्वारा जलूसों में भाग लेने पर रोक लगाई गई है।

## नई दिल्ली में हुआ दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति का सम्मेलन

*1686. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1971 में नई दिल्ली में दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त सम्मेलन में किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन में अन्य के साथ साथ केन्द्रीय रेल उप-मंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरेशी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महा मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव और संसद सदस्य श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा भाषण दिया गया था।

(ग) बताया जाता है कि सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ कई संकल्प पारित किये गये हैं जैसे :

(i) बंगला देश की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने वाले कुछ साम्प्रदायिक तत्वों

के हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच संदेह और शंका पैदा करने के प्रयत्न के प्रति सतर्क रहने के लिये लोगों को चेतावनी दी गई।

(ii) राष्ट्रीय एकता परिषद् से जन संघ को निकालने की मांग की गई।

(iii) सरकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी पर कानूनी पाबन्दी लगाने की मांग की गई।

(iv) जन संघ द्वारा दिल्ली में किये गये साम्प्रदायिक बर्ताव की निन्दा की गई।

**राज्यों की योजनाओं को वित्त देने हेतु राज्यों के लिये विकास बैंक**

*1687. **श्री प्रभु दास पटेल :**
**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 16 जुलाई, 1971 को राज्यों के विकास सचिवों की एक बैठक बुलाई थी और यह सुझाव दिया था कि राज्यों के विकास बैंकों को उन राज्य परियोजनाओं के लिये धन देना चाहिए, जहां पर्याप्त स्थानीय साधन उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिनको केन्द्रीय सहायता देना व्यवहार्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में अन्य किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) योजना मंत्री ने 17 जुलाई, 1971 को कतिपय राज्य प्रशासकों की एक बैठक बुलाई थी तथा योजना मंत्री ने नहीं, अपितु उस बैठक में उपस्थित राज्य प्रशासकों में से एक ने यह सुझाव दिया था कि वित्तीय अनुशासन बनाने हेतु तथा जहां संसाधनों के अभाव में परियोजनायें रुक गई हैं, वहां स्थिति पर काबू पाने के लिये, बड़े राज्यों अथवा अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं की वित्त सहायता के लिये अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य विकास बैंकों जैसे नये संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ख) तत्पश्चात् बैठक में भाग ले रहे राज्य-प्रशासकों ने अपने सामान्य विचारों की अभिव्यक्ति की, तथा निम्नलिखित दो विशेष विषयों पर चर्चा की गई थी :

(1) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

(2) बेरोजगारी की समस्या

कोई निर्णय नहीं लिए गये क्योंकि इस अनौपचारिक बैठक का उद्देश्य केवल उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना था, जहां कि चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन तथा पांचवीं योजना के प्रारम्भिक कार्य की अवधि में नये अभिविन्यासों की आवश्यकता थी।

## कृत्रिम रेशम उद्योग में नये एककों के लिये और वर्तमान एककों के विस्तार के लिये लाइसेंस जारी करना

*1696. **श्री डी० पी० जदेजा :**
**श्री देविन्दर सिंह गरचा :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृत्रिम रेशा उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नये एककों की स्थापना तथा वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिये और अधिक लाइसेंस जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में कितने लाइसेंस जारी किये जायेंगे ; और

(ग) गुजरात में ऐसे वर्तमान उद्योगों की संख्या कितनी है, जिनके विस्तार के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). गुजरात स्थित निम्नलिखित एकक के सम्बन्ध में, विस्तार की अनुमति दे दी गई है :

बढ़ौदा रेयन्स को रेयन फिलेमेन्ट धागे की अपनी क्षमता 3000 मे० टन प्रति वर्ष से 6000 मे० टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिये ।

नायलन फिलेमेन्ट धागे के सम्बन्ध में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुए आवेदनपत्रों, जिनमें से कुछ गुजरात से प्राप्त हुए हैं, पर विचार किया जा रहा है । गुजरात से प्राप्त आवेदनपत्रों पर गुणावगुण के आधार पर यथाविधि विचार किया जायेगा ।

## अफगानिस्तान और बर्मा के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने की योजना

*1697. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान और बर्मा के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय माल को रियायती दरों पर विमान से अफगानिस्तान ले जाये जाने के प्रस्ताव की जांच कराती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) अफगानिस्तान तथा बर्मा के साथ भारत के व्यापार संबंध निरन्तर अच्छे रहे हैं । हमने बर्मा के साथ एक व्यापार करार और अफगानिस्तान के साथ एक व्यापार व्यवस्था की है । इन देशों को होने वाले हमारे निर्यात निरन्तर बढ़ रहे हैं । भारत से अफगानिस्तान के आयात 1967-68 में हुए आयात 7 करोड़ रु० से बढ़कर 1969-70 में 11 करोड़ रु० से भी अधिक के हो गये हैं । उन्हीं अवधियों के दौरान, बर्मा को होने वाले भारत के निर्यात क्रमश: लगभग 4 करोड़ रु० और 21 करोड़ रु० के थे ।

(ख) और (ग). भारत और अफगानिस्तान के बीच रियायती दरों पर विमान से माल ले जाये जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु इस समय ऐसी व्यवस्था साध्य प्रतीत नहीं हुई ।

**Pak Spies Deployed in India**

*1698. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan has deployed her spies in India on a large scale ; and

(b) if so, the number of such spies arrested and the steps taken to check such persons in future ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) and (b). According to available information, a number of persons have been arrested recently on suspicion. Investigations and interrogations are in progress and a statement will be laid on the Table of the House regarding the number of persons in respect of whom there is a reasonable suspicion of their being engaged in espionage. Government are fully alive to such possibilities. Adequate machinery exists to detect and prosecute persons indulging in espioage activities and utmost vigilance is maintained by all concerned agencies in this behalf.

**पश्चिम बंगाल के जादवपुर टी० बी० अस्पताल में पुलिस का कथित प्रवेश**

*1699. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस का एक बड़ा दस्ता 8 जुलाई, 1971 को पश्चिम बंगाल के जादवपुर टी० बी० अस्पताल में घुस गया था तथा उन्होंने डाक्टरों, नर्सों और रोगियों को परेशान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**रूफिंग टाइलों का निर्यात**

*1700. **श्री बालकृष्ण वैनकन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रूफिंग टाइलें किन-किन देशों को निर्यात की गईं ;

(ख) उनका मूल्य क्या था तथा उनकी कितनी संख्या थी ; और

(ग) क्या उनके निर्यात में मूल्यानुसार तथा संख्यानुसार वृद्धि हुई है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 (केवल जनवरी, 1971 तक) की अवधि के देशवार निर्यात आंकड़े, मात्रा तथा मूल्य दोनों में दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

**विवरण**

1968-69 से 1970-71 (जनवरी, 1971 तक) के दौरान रूफिंग टाइलों के देशवार निर्यात (मात्रा तथा मूल्य) दर्शाने वाला विवरण।

**मात्रा लाख संख्या में**
मूल्य लाख रुपये में

| देश | 1968-69 | | 1969-70 | | 1970-71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मात्रा** | **मूल्य** | **मात्रा** | **मूल्य** | **मात्रा** | **मूल्य** |
| श्रीलंका | — | — | 2.40 | .47 | — | — |
| मसकत | — | — | ·71 | .34 | — | — |
| कुवैत | — | — | .24 | .07 | 1.63 | .67 |
| नैपाल | .21 | .04 | 1.30 | .30 | .50 | .10 |
| सिंगापुर | 1.44 | .35 | 2.41 | .60 | .41 | .11 |
| सूडान | — | — | — | — | .90 | .14 |
| तंजानिया गणराज्य | .11 | .04 | 1.86 | .28 | — | — |
| अन्य | — | — | .35 | .11 | — | — |
| योग | 1.76 | .43 | 9.27 | 2.17 | 3.44 | 1.02 |

**राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को नियन्त्रण में लेना और पुनः चालू करना**

*1701. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिये इस वर्ष कितनी राशि निर्धारित की है ;

(ख) कितनी मिलों को नियन्त्रण में ले लिया गया है और कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या केरल में किन्हीं मिलों को नियन्त्रण में लिया गया है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) 332.07 लाख रु०।

(ख) 28 सूती वस्त्र मिलें। राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों को अब तक क्रमशः 617.55 लाख तथा 175.0 लाख रु० की राशि के ऋण दिये हैं।

(ग) जी नहीं।

**कनाडा में राज्य व्यापार निगम की उप-शाखा का बन्द किया जाना**

*1702. **श्री डी० एन० महाता :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कनाडा में अपनी उप-शाखा को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) उत्तर अमरीका में इस उप-शाखा में विदेशी मुद्रा किन स्रोतों से प्राप्त होती है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम पर विदेशी मुद्रा में अतिरिक्त दायित्व डाले बिना यह उप-शाखा स्वयं अपना समापन किस प्रकार कर सकेगी ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत से भेजी गई रकम ।

(ग) यदि आवश्यक हुआ तो विदेशी मुद्रा का और विप्रेषण करके ।

**राजस्थान में जैसलमेर जिले के नचना स्टेशन एरिया में मुजाहिदों की गिरफ्तारी**

*1703. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को पाकिस्तान की एक योजना का पता लगा है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित मुजाहिद जैसलमेर और बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या जैसलमेर जिले के नचना स्टेशन एरिया में ऐसे तीन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (ग). जी नहीं श्रीमान् । फिर भी ऐसी सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । सीमा सुरक्षा बल और राज्य प्राधिकारी स्थिति की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग हैं और सीमा क्षेत्रों पर पर्याप्त रूप से निगरानी रख रहे हैं । इस क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में सभी सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों के बीच पूरी तरह और लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है ।

**पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सरकारी कर्मचारियों की हत्या**

*1704. **श्री गदाधर साहा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कुछ सरकारी कर्मचारियों की हाल में हुई हत्या के बारे में पता है ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पत)** : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल के महीनों में बीर भूम जिले में दो पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के तीन कर्मचारी मारे गये हैं।

(ख) और (ग). मामले दर्ज किए गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। बीरभूम जिले में सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। बन्दूक छीनने, हत्या करने और अराजकता की अनेक घटनाओं को देखते हुये जो बीरभूम जिले में हुई है राज्य प्रशासन ने जिले में भारी तलाशी लेने और नक्सलवादियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए सेना की सहायता प्राप्त की है। हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।

## पश्चिम बंगाल में पोटाशियम क्लोरेट के अधिकृत विक्रेता

*1705. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पोटाशियम क्लोरेट के कितने अधिकृत विक्रेता हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि वास्तव में उनकी बिक्री कितनी है ;

(ग) क्या बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पोटाशियम क्लोरेट की बिक्री पर कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो पोटाशियम क्लोरेट को इन राज्यों में आवश्यकता से अधिक आने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) से (घ). लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को अपने स्टाक, बिक्री, आदि के नियतकालिक विवरण लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने पड़ते हैं। दुकानदारों के स्टाकों और रिकार्डों की भी समय-समय पर जांच की जाती है।

चूंकि यह रासायनिक पदार्थ दियासलाई व कपड़ा उद्योगों के लिए अनिवार्य है, अतः इसकी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने से इन उद्योगों विशेषतः दियासलाई उद्योग के कार्य में बाधा पड़ जायगी, जो काफी संख्या में लोगों को नौकरी देता है।

फिर भी, पोटैशियम क्लोरेट की बिक्री, उसके वितरण और लाने ले जाने पर कड़ी निगरानी बरतने के अनेक उपाय किये गये हैं और अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि जब ये समस्त उपायों को पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया जायगा तो पोटैशियम क्लोरेट की अवैध रूप से बिक्री को कारगर रूप से रोका जायगा।

**नेशनल जूट मिल, शंकरेल, पश्चिम बंगाल, के बंद किये जाने का नोटिस**

*1706. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल जूट मिल, शंकरेल, पश्चिम बंगाल के प्रबन्धकों ने मिल को बन्द करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों ने किन कारणों से मिल को बन्द करने का विचार किया है ;

(ग) उस मिल की ओर सरकारी ऋणों की कितनी राशि बकाया है और क्या मिल के विरुद्ध वित्त सम्बन्धी अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध के मामलों के आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मिल के मामलों की कोई जांच की गई है अथवा की जायेगी ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

ऐसा ज्ञात हुआ है कि नेशनल कम्पनी के प्रबन्धकों ने जून, 1971 में इस आधार पर मिल बन्द करने का नोटिस दिया था कि पर्यवेक्षण-अमले तथा कर्मचारियों द्वारा दृढ़ तथा प्रपीड़न के तौर तरीकों का बारम्बार प्रयोग तथा अनुशासनहीनता के अन्य कार्यों द्वारा मिल का लाभकर रूप में कार्य-चालन कठिन हो गया है।

2. सरकार ने इस मिल को कोई ऋण नहीं दिया है।

3. वित्तीय अनियमितताओं तथा कुप्रबन्ध और मिल के कार्यकलापों की जांच करने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**हिंसात्मक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की जेलों में हिरासत में रखे गये बन्दियों का वर्गीकरण**

*1707. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंसात्मक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेलों में हिरासत में रखे गये समस्त बन्दियों को डिवीजन-2 में ऐसे बन्दियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन पर मुकदमा चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा उन्हें 'सी' वर्ग के बन्दी न मानने, और निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दियों को प्राप्त समस्त सुविधाएं देने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

## कलकत्ता में चितपुर रोड आदि से घिरे क्षेत्र पर गुण्डों के एक गिरोह द्वारा कथित हमला

*1708. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जुलाई, 1971 को कलकत्ता में पूरी तरह शस्त्रों से लैस किराये के गुण्डों के एक गिरोह ने पश्चिम में चितपुर रोड से घिरे क्षेत्र पर, जिसके पूर्व में चितरंजन एवेन्यू, दक्षिण में ग्रेप स्ट्रीट और उत्तर में शाम बाजार है, बर्बरतापूर्ण हमला किया था और क्या इस हमले के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दस्ते ने 200 से अधिक गोलियां चलाई थीं और गुण्डों के गिरोह ने 300 से अधिक बम्ब फैंके थे ; और

(ख) यदि हां, तो किस व्यक्ति ने गिरोह का नेतृत्व किया था और उस व्यक्ति के विरुद्ध तथा उन गुण्डों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) 4 जुलाई, 1971 को इस क्षेत्र के कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) तथा कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट-लैनिनिस्ट) के संदिग्ध समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया था और दोनों दलों ने बम और पाइपगनों का प्रयोग किया। जब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस घटनास्थल पर पहुंची उन पर भी आक्रमण कर दिया गया। दंगाई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दोनों ने मिलकर 49 राउण्ड गोली चलाई। दो व्यक्ति बन्दूक की गोली से घायल हुए। उनमें से प्रणव वसू मलिक नामक एक व्यक्ति अपने घावों के कारण मर गया।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149, 307/427, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गये हैं और इस सम्बन्ध में अब तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

## बोटेनिकल गार्डन्स, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में रखी गई सेना

*1709. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले मध्यावधि चुनाव से पूर्व बोटेनिकल गार्डन्स, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में रखी गई सेना अभी भी वहां पर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सेना की गतिविधियों के कारण बोटेनिकल गार्डन्स में अनुसंधान कार्य रुका पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बोटेनिकल गार्डन्स से सेना को हटाने का विचार कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कानून व व्यवस्था की प्रचलित स्थिति को ध्यान में रख कर सेना की टुकड़ियों को ऐसे उपयुक्त स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां से वे आवश्यकता पड़ने पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिये जा सकें।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**महाराष्ट्र के सूती कपड़ा मिलों में प्रस्तावित हड़ताल**

*1710. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधीन संगठित बम्बई और महाराष्ट्र के लगभग 3 लाख सूती कपड़ा कर्मचारियों ने बन्द और कुप्रबन्ध वाली मिलों को शीघ्र ही अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में निर्णय न लेने तथा उपेक्षा बरतने के कारण सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए 30 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र की सूती कपड़ा मिलों में प्रस्तावित हड़ताल को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र)** : (क) सरकार को हड़ताल के सम्बन्ध में अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पंजाब में अधिकारियों का स्थानान्तरण**

7575. **श्री मान सिंह भौरा** :
**श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब विधान सभा के विघटन के पश्चात् पंजाब सरकार ने श्रेणी एक के अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है और यदि हां, तो कितने अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है ; और

(ख) इसके कारण क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां श्रीमान् । पंजाब विधान सभा के विघटन हो जाने के पश्चात् पंजाब सरकार ने श्रेणी एक के 133 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया था ।

(ख) ये स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं ।

**बिहार के मुसलमानों द्वारा बंगला देश में अवामी लीग के समर्थकों तथा हिन्दुओं पर तथाकथित अत्याचार**

7576. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश तथा अमरीकन समाचार पत्रों में बिहार के मुसलमानों द्वारा बंगला देश में

अवामी लीग के समर्थकों तथा हिन्दुओं पर तथाकथित अत्याचारों के समाचारों से बिहार में अप्रिय घटना घटने की सम्भावना पर बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Additional Schemes for removal of backwardness of some areas in Madhya Pradesh**

7577. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to undertake some additional schemes in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan with a view to removing backwardness of some areas and bringing those areas at par with other areas in the country from the point of view of development ; and

(b) if so, the particulars of the additional schemes and the names of places where these schemes are proposed to be undertaken ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)** : (a) and (b). A statement is laid down on the Table of the House.

**Statement**

Besides the specific schemes/programmes included in the State's Fourth Plan, the following additional schemes/programmes are envisaged for removing the economic backwardness in Madhya Pradesh :

(i) Two Pilot Tribal Development Projects in Bastar District.

(ii) 33 industrially backward districts of Madhya Pradesh have been selected to qualify for concessional finance from All-India term lending financial institutions to industries ; the districts selected are :

Bastar, Mandla, Surguja, Seoni, Jhabua, Balaghat, Bilaspur, Sidhi, Betul, Raipur, Raigarh, Dhar, Tikamgarh, Rajgarh, Khargone, Shajapur, Shivpuri, Chindwara, Rewa, Panna, Dewas, Vidisha, Narsimhapur, Raisen, Hoshangabad, Damoh, Bhind, Sagar, Mandsaur, Chhatarpur, Guna, Datia and Morena.

(iii) Two 'Areas' have been selected to qualify for the outright grant or subsidy by the Centre amounting to 1/10th of the fixed capital investment of new units having fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each ; the selected 'Areas' are :

**Area I—Eastern Region, comprising blocks of :**

| | |
|---|---|
| District of Bilaspur | Korba, Baloda, Champa, Kota, Basturi & Bilha (Bilaspur) |
| District of Raipur | Bhatapara, Simga, Tilda, Dharsiwa (Raipur), Abharpur & Rajim. |

**Area II—Western Region, Comprising blocks of :**

| | | |
|---|---|---|
| District of Dewas | .. | Dewas & Tonk Khurud. |
| District of Shajapur | .. | Gulana, Shujalpur & Shajapur. |
| District of Rajgarh | .. | Pachor (Sarangpur) & Biaora. |
| District of Guna | .. | Chachaura, Raghogarh & Guna. |

(iv) Three projects of Small Farmers' Development Agency in Ratlam-Ujjain, Bilaspur and Chhindwara.

(v) Two projects of Marginal Farmers and Agricultural Labourers in Durg and Sehore.

(vi) Four projects under the Rural Works Programme in the chronically drought affected areas Jhabua, Dhar, Sidhi and Betul.

(vii) Two pilot projects in Dry Land Farming : Rewa and Indore.

(viii) Crash programme for Rural Employment with an annual provision of Rs. 50 crores which will benefit all the districts of Madhya Pradesh.

(ix) A Rural Electrification Programme in backward areas with the assistance of Rural Electrification Corporation, recently set up for affording finance on concessional terms to State Electricity Boards including the one in Madhya Pradesh.

**भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, साल्टलेक कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में छत का गिरना**

7578. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र साल्टलेक कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में निर्माणाधीन इमारत की छत को 24 जुलाई, को गिर जाने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और बीस अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे ; और

(ख) क्या छत के गिरने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है ?

**प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां । कलकत्ता के साल्टलेक एरिया में बनाये जा रहे परिवर्त्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के त्वरक पक्ष के हाई वे की छत के शिलापट्ट का एक भाग कंक्रीट के भरे जाने का काम किया जाने के बाद 24 जुलाई, 1971 को गिर गया था । दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 12 घायल हुए । घायलों में से 7 की चिकित्सा बहिरंग रोगियों के रूप में करने के बाद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी दे दी । शेष घायलों की अवस्था तेजी से सुधर रही है ।

(ख) जी, हां ।

### गोआ, दमन और दीव के मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप

7579. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** गोआ, दमन और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में 14 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4835 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1970 में गोआ के कुछ प्रमुख नागरिकों द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध प्राप्त याचिका को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था जिन्होंने मामले के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के अनुसरण में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । ज्ञापन पर मुख्य मंत्री की टिप्पणियां मांगी गई थीं और वह प्राप्त हो गई हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

### पटना और डाल्टनगंज के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

7580. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और डाल्टनगंज के बीच 1968 में टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या इस लाइन को हटा दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त लाइन को पुनः लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । यह सर्किट हटाया नहीं गया है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

### आन्ध्र प्रदेश के गांवों में डाकघर

7581. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार ऐसे कितने डाकघर हैं जोकि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हानि उठा रहे हैं परन्तु जिनको स्थायी रूप से बनाये रखा हुआ है ;

(ख) निर्धारित सीमा का अर्थ कितनी हानि से है ;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार ऐसे कितने डाकघर हैं जो निर्धारित सीमा से अधिक हानि उठा रहे हैं ;

(घ) इनमें से जिला-वार ऐसे कितने डाकघर हैं जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे बहुत पिछड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए हानि की अधिकतम सीमा क्या है ; और

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को इस बारे में सशक्त करने अथवा अनुदेश देने का सुझाव स्वीकार कर लिया है कि यदि वे डाकघरों को लेना अथवा स्थायी रूप से बनाये रखना चाहते हैं तो अतिरिक्त हानि को पूरा करने के लिए धन का व्यय कर सकती है ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) देहाती क्षेत्रों में डाकघर आबादी, सबसे नजदीक के डाकघर से दूरी और गांव के महत्व को दृष्टि में रखते हुए घाटा होने पर भी खोले जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थितियों में घाटा 500 रुपये से 2500 के बीच हो सकता है। इस सम्बन्ध में विभाग की नीति अनुबंध 'क' में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-882/71**] इन डाकघरों को खोलते समय इस पर ज्यादा से ज्यादा जिसे घाटे की छूट दी जा सकती है, यदि घाटा उसके भीतर ही रहे तो इन्हें प्रयोग के तौर पर ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष तक बने रहने दिया जाता है। प्रयोग के तौर पर इनके काम करने के दस वर्ष की अवधि के अन्दर लगातार दो वर्षों की वित्तीय समीक्षा में यह पाया जाए कि प्रतिवर्ष घाटा 240 रुपये से अधिक नहीं है तो इन्हें स्थायी कर दिया जाता है। जो डाकघर दस वर्षों की प्रयोग की अवधि के भीतर स्थायी किए जाने की शर्तें पूरी नहीं करते उन्हें भी स्थायी कर दिया जाता है, यदि उन पर सबसे नजदीक के डाकघर से दूरी के आधार पर घाटा 240 रुपये या 360 रुपये वा 500 रुपये तक हो। इस सम्बन्ध में नीति अनुबंध 'ख' में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-882/71**]

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बतलाया है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति आम तौर पर बहुत खराब है और वे अपनी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से निभाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए आन्ध्र प्रदेश सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं हुई।

### सरकारी उपक्रमों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग

7582. **श्री देविन्द्र सिंह गरचा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के उच्च प्रबन्धकों ने अपनी हाल की बैठक में उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता देने की वकालत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### सर्वश्रेष्ठ धावक मिल्खा सिंह पर वृत्त चित्र

7583. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के सर्वश्रेष्ठ धावक मिल्खा सिंह पर एक वृत्त चित्र बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल व्यय कितना आयेगा ;

(ग) क्या इस प्रकार का वृत्त चित्र, पहले भी किसी भारतीय खिलाड़ी पर बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन खिलाड़ियों के नाम क्या है और उसमें कितना व्यय आया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 60 हजार रुपए।

(ग) तथा (घ). जी, हां, सूचना इस प्रकार है :—

| | **खिलाड़ी का नाम** | | **फिल्म पर हुआ व्यय रुपए** |
|---|---|---|---|
| 1. | रामनाथन् कृष्णन् | वृत्त चित्र | 58,555 /— |
| 2. | विजय मर्चेंट | विशेष न्यूजरील | 28,955 /— |
| 3. | तेन सिंह नोर्गे | विशेष न्यूजरील | 38,280 /— |

## चलचित्रों का निर्यात

7584. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 और जून, 1971 तक भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (आई० एस० पी० ई० सी०) द्वारा कितने चलचित्र निर्यात किये गये ;

(ख) निर्यात की गई फिल्मों के नाम क्या है ; और

(ग) इन फिल्मों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | 1969-70 | — | 21 |
| | 1970-71 | — | 29 |
| | 1971-जून तक | — | 16 |

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह जानकारी दी गई है।

(ग) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, पूर्णरूपेण खरीद, न्यूनतम गारंटी तथा एडवांस-सह-कमीशन आधार पर निर्यात हेतु भारतीय फिल्मों के लिए वितरण अधिकार प्राप्त करता है। निगम द्वारा विनियोजित राशि बताना सम्भव नहीं है। तथापि, 1969-70 (जून तक) के दौरान फिल्मों के निर्यात से भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा उपार्जित की गयी विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1969 | — | 22,71,115 रु० |
| 1970 | — | 43,48,160 रु० |
| जनवरी-जून, 1971 | — | 21,57,523 रु० |

**विवरण**

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा वर्ष 1969-70 तथा 1971 (जून, 71 तक) के दौरान निर्यातित फिल्मों की कुल संख्या तथा उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

| वर्ष 1969 | फिल्मों के नाम |
|---|---|
| | 1. जंग और अमन |
| | 2. लण्डन एक्सप्रेस |
| | 3. गौरी |
| | 4. चैम्मीन |
| | 5. मेरे हमदम मेरे दोस्त |
| | 6. सपनों का सौदागर |
| | 7. मझली दीदी |
| | 8. साथी |
| | 9. मन का मीत |
| | 10. उपकार |
| | 11. हर हर गंगे |
| | 12. प्यार किये जा |
| | 13. बूंद जो बन गई मोती |
| | 14. आम्रपाली |
| | 15. तस्वीर |
| | 15. दादी मां |
| | 17. विश्वास |
| | 18. लव एण्ड पीस |
| | 19. सत्य और अहिंसा |
| | 20. भाई बहन |
| | 21. चंदा और बिजली |

| वर्ष 1970 | फिल्मों के नाम |
|---|---|
| | 1. भाई बहन |
| | 2. डोली |

| वर्ष 1970 | फिल्मों के नाम |
|---|---|
| | 3. मेरे हमदम मेरे दोस्त |
| | 4. विश्वास |
| | 5. संबंध |
| | 6. पुष्पांजलि |
| | 7. सपनों का सौदागर |
| | 8. चंदा और बिजली |
| | 9. धरती |
| | 10. दो रास्ते |
| | 11. हमराज |
| | 12. साजन |
| | 13. आबरू |
| | 14. पगला कहीं का |
| | 15. प्यार का मौसम |
| | 16. धरती कहे पुकार के |
| | 17. आराधना |
| | 18. सच्चाई |
| | 19. प्यासी शाम |
| | 20. एक फूल दो माली |
| | 21. मझली दीदी |
| | 22. मन के मीत |
| | 23. खामोशी |
| | 24. सावन भादों |
| | 25. रातों के राजा |
| | 26. दुनियां |
| | 27. ममता |
| | 28. प्यार किये जा |
| | 29. दादी मां |
| **वर्ष 1971** | **फिल्मों के नाम** |
| | 1. सावन भादों |

| वर्ष 1971 | फिल्मों के नाम |
|---|---|
| | 2. मेरा नाम जोकर |
| | 3. उमंग |
| | 4. दो रास्ते |
| | 5. धरती |
| | 6. खामोशी |
| | 7. पगला कहीं का |
| | 8. एक फूल दो माली |
| | 9. राम और शाम |
| | 10. इन्सान और शैतान |
| | 11. अनमोल मोती |
| | 12. मन के मीत |
| | 13. रातों के राजा |
| | 14. मेरे हमदम मेरे दोस्त |
| | 15. डोली |
| | 16. राम भक्त हनुमान |

## असिस्टेंट डिवीजनल इंजीनियरों (जूनियर क्लास I) की सीधी भर्ती

7585. **श्री वयालार रवि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक एवं तार के असिस्टेंट इंजीनियरों की असिस्टेंट डिवीजनल इंजीनियरों की अनुपातहीन, सीधी भर्ती, के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन इंजीनियरों की पदोन्नति में 1:1 का अनुपात बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) :** (क) जी हां।

(ख) सहायक डिवीजनल इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों के पदों की अदला-बदली की जा सकती है। इसलिए नियमों में सहायक इंजीनियरों को सहायक डिवीजनल इंजीनियर (तार) के पदों पर स्थानापन्न रूप से लगाने की व्यवस्था नहीं है। उन्हें सहायक डिवीजनल इंजीनियर के तौर पर केवल सहायक डिवीजनल इंजीनियर के स्थायी पदों पर ही नियुक्त किया जा सकता है। तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी I (जूनियर स्केल) के स्थायी पदों पर सीधी भारतीय किये गए अधिकारियों और पदोन्नत अधिकारियों में निरन्तर समान अनुपात बनाए रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आगे और कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

**विभिन्न राज्यों को आयातित ऊन का आवंटन**

7586. **श्री राबिन ककोटी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा निरन्तर मांग किये जाने के बावजूद आसाम को निरन्तर कई वर्षों से आयातित ऊन नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1968-69 और 1970 में कुल कितनी ऊन का आयात किया गया था और उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी ऊन दी गई थी ;

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी नहीं। वर्ष 1968 तथा 1969 के दौरान आसाम की राज्य सरकार को आयातित ऊन दी गई थी। चालू अवधि के लिए आवंटन विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न हैं।

**विवरण-I**

**राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे ऊन के आयात**

| वित्तीय वर्ष | मूल्य (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 1968-69 (वर्ष का एक भाग) | 336.39 |
| 1969-70 | 1569.85 |
| 1970-71 | 1324.48 |

**विवरण-II**

**आयातित कच्ची ऊन के राज्यवार तथा अवधिवार आवंटन का मूल्य दर्शाने वाला विवरण**

| राज्यों के नाम | आवंटन की अवधि | विनिहित राशि |
|---|---|---|
| आसाम | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| बिहार | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| हरियाणा | अक्तूबर, 69/मार्च, 70 | 100,000 |
| | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| हिमाचल प्रदेश | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 3 लाख |
| जम्मू और कश्मीर | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 10 लाख |
| पंजाब | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 2 लाख |
| | अक्तूबर, 69/मार्च, 70 | 1 लाख |

| | | |
|---|---|---|
| केरल | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 1,875 } * |
| | अक्तूबर, 69/मार्च, 69 | 136,174 } * |
| महाराष्ट्र | अक्तूबर, 69/सितम्बर, 70 | 40,000 |
| मैसूर | अक्तूबर, 69/मार्च, 70 | 12,500 |
| | अक्तूबर, 70/सितम्बर, 71 | 40,000 |
| नागालैंड | अप्रैल, 70/सितम्बर, 70 | 20,000 |
| | अक्तूबर, 70/मार्च, 70 | 20,000 |
| **राज्यों के नाम** | **आवंटन की अवधि** | **विनिहित राशि** रुपये |
| उड़ीसा | अक्तूबर, 68/सितम्बर, 69 | 20,000 |
| | अक्तूबर, 69/मार्च, 70 | 40,000 |
| | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| राजस्थान | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| उत्तर प्रदेश | अप्रैल, 70/मार्च, 71 | 40,000 |
| दिल्ली | अक्तूबर, 70/सितम्बर, 71 | 40,000 |
| आन्ध्र | अक्तूबर, 70/सितम्बर, 71 | 40,000 |

*एयर इंडिया की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

**आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां**

7587. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के फैलने की सरकार को कोई सूचना है ; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1971 के अन्त तक कितने समाज-विरोधी तत्वों को बन्दी बनाया गया अथवा नजरबंद किया गया ?

**गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) :** (क) और (ख). असम सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अनुसंधाताओं की नियुक्ति**

7588. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **प्रधान मन्त्री** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अनुसंधाताओं को सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग चार में शामिल न किये जाने के बारे में 14 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में 1962 में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के

वरिष्ठ अनुसंधाताओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी तथा आयोग ने 1970 में पुन: यह सुझाव दिया था कि उनकी नियुक्ति को 1962 नियमित माना जाये ;

(ख) क्या सांख्यिकीय विभाग ने कार्मिक विभाग की सलाह पर उन्हें वर्ष 1960 से उपलब्ध वरिष्ठ अनुसंधाताओं के स्थायी आरक्षित पदों पर स्थायी बनाने का निर्णय किया है ; और

(ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चौथे संवर्ग की चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित किये जाने के लिये कार्मिक विभाग ने अब तक उनकी नियुक्ति को 1962 से किस आधार पर मान्यता नहीं दी है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, हां श्रीमान ।

(ख) स्थायी आरक्षित पदों पर स्थायी करने के एक प्रस्ताव में सांख्यिकीय विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग से सहमति देने के लिये अनुरोध किया है और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) कार्मिक विभाग ने इन अनुसन्धाताओं की नियुक्ति को अब 1962 से नियमित करने की मान्यता दे दी है । आशा कि उन्हें प्रवर सूची में शामिल किया जा सकता है, इस बात की अब जांच की जा रही है ।

**रंगीन साड़ियों का उत्पादन**

7589. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् चालित करघा समिति (1964) द्वारा रंगीन साड़ियों के उत्पादन को पूर्णतया हथकरघों के लिये आरक्षित रखने हेतु कोई सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस आशय का कोई आदेश जारी किया है ; और यदि हां, तो यह कब जारी किया गया था और इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस आदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ; और

(घ) आदेश को कठोरता से लागू करने तथा हथकरघा उद्योग के वर्तमान संकट पर काबू पाने के लिये उपचारी उपाय करने हेतु यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां, वस्त्र आयुक्त, बम्बई के कार्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं सं० सी० ई० आर०/10/66 तथा सी० ई० आर०/10ए/66 दोनों दिनांक 9 नवम्बर, 1966 के अन्तर्गत ।

(ग) और (घ). केवल हथकरघों द्वारा ही रंगीन साड़ियों का उत्पादन आरक्षित करने संबंधी उक्त आदेश सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किये जाने थे परन्तु कतिपय शक्तिचालित करघा मालिकों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के आधार पर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने इन आदेशों

के कार्यान्वयन को रोक दिया है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेशों को समाप्त किये जाने के बाद ही शक्तिचालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जा सकते हैं।

## आंध्र प्रदेश के गोदामों में जमा हुए हथकरघा कपड़े बाजार में लाना

7590. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष जून तक सहकारी और गैर-सहकारी क्षेत्र में अनुमानतः कितने मूल्य का हथकरघा कपड़ा अनबिका पड़ा है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जमा हुये हथकरघा कपड़े की बिक्री को बाजार में लाने हेतु वित्तीय सहायता देने और अन्य उपचारात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) 5 करोड़ रु० का, जिसमें से 2 करोड़ रुपये का सहकारी क्षेत्र में है और 3 करोड़ रु० का गैर-सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## पश्चिमी देशों को रेशम के निर्यात में कमी

7591. **श्री देविन्दर सिंह गरचा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों को हमारे रेशम के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या दीर्घकालीन आधारों पर निर्यात को संगठित करने हेतु सिल्क बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) और (ख). पश्चिमी देशों को वर्ष 1969 में हुए 11.78 करोड़ रु० के निर्यात कम होकर वर्ष 1970 में 10.86 तथा जनवरी जून 1971 में 2.25 करोड़ रु० के रह गये। निर्यातों में गिरावट के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) आयातक देशों में फैशन के रुख में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप स्कार्फों और स्टोलों की मांग में, जो वर्ष 1969 तथा 1970 में कुल निर्यातों का 60 प्रतिशत थे, गिरावट आई है।

(2) अन्य देशों में विशेषतः चीन और थाईलैण्ड से प्रतियोगिता ; और

(3) कच्चे माल विशेषत: टसर के कार्यों की लागत में वृद्धि जिसके फलस्वरूप निर्यात हेतु वस्त्र की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम उत्पादन उद्योग सम्बन्धी उत्पादों की कीमतें स्थिर करने के लिए कच्चा माल बैंक की स्थापना करेगा । इस योजना में निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चा माल यथा, आयातित कच्चा रेशम, स्वदेशी कच्चा रेशम, टसर के कोये, टसर झूट आदि और वास्तविक प्रयोक्ताओं/निर्यातकों को सस्ती कीमतों पर पूर्ति करने के लिये व्यवस्था शामिल है ।

**स्टेट्समैन और हिन्दुस्तान टाइम्स के मान्यता प्राप्त गैर सम्वाददाता कर्मचारी**

7592. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० सी० और पी० आई० बी०, ने बड़े समाचार-पत्रों के मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के कोटे को सीमित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन के अनेक संवाददाताओं के अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य प्रकाशनों के नाम पर मान्यता दी गई है ; और

(ग) क्या स्टेट्समैन के एक पूर्णकालिक संवाददाता को पी० आई० बी० के रिकार्ड में 'फाइनेंशियल टाइम्स' का पूर्णकालिक संवाददाता दिखा रखा है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों की ओर से प्रत्यायित किए जाने वाले संवाददाताओं की संख्या पत्र सूचना कार्यालय द्वारा केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति से परामर्श करके निर्धारित की जाती है और इस पर समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

(ख) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादकीय स्टाफ के दो सदस्यों को विदेशी समाचारपत्रों की प्रार्थना पर उनकी ओर से संवाददाता के रूप में प्रत्यायित किया गया है । स्टेट्समैन के डैस्क में काम करने वाले किसी भी पत्रकार को संवाददाता के रूप में प्रत्यायित नहीं किया गया है ।

(ग) स्टेट्समैन के एक प्रत्यायित संवाददाता को 'फाइनेंशियल टाइम्स', लन्दन की प्रार्थना पर उनके स्ट्रिंजर के रूप में भी प्रत्यायित किया गया ।

**इंजीनियरिंग टाइम्स का प्रकाशन और वितरण**

7593. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग टाइम्स ने गत वर्ष 'फ्रीक्वैंसी' में परिवर्तन कर दिया और अधिक अखबारी कागज की मांग की ;

(ख) क्या उनके प्रकाशन केन्द्र के कलकत्ता से बम्बई स्थानान्तरण की अधिसूचना दी गई है ;

(ग) इस प्रकाशक के विरुद्ध 'सरक्युलेशन इंस्पेक्शन' की जांच के दौरान मिथ्या खपत का भंडाफोड़ होने के बाद समाचार-पत्र पंजीयक ने अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को इस समाचार-पत्र की वास्तविक खपत के बारे में अधिसूचना दे दी गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां । प्रकाशन की आवधिकता 1 जनवरी, 1970 से पाक्षिक से साप्ताहिक कर दी गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई उस खपत संख्या, जिसके आधार पर पत्र को 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के लिये अखबारी कागज का कोटा अलाट किया गया था, के पता लगने पर पत्र के अखबारी कागज के कोटे में आवश्यक समंजन किया जा रहा है । इसका वर्ष 1970-71 का बुनियादी कोटा पहले ही 19.83 टन कम कर दिया गया है तथा शेष का इसके 1971-72 के बुनियादी कोटे में समंजन किया जायेगा ।

(घ) जी, हां ।

## भारत द्वारा उपग्रह का छोड़ा जाना

7594. **श्री देविन्दर सिंह गरचा : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 1974 में अपना प्रथम उपग्रह छोड़ने का प्रयास करेगा और यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ख) यह उपग्रह किस स्थान से छोड़ा जायेगा ;

(ग) क्या यह प्रयास किसी विदेशी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हां । भारत अपना पहला वैज्ञानिक उपग्रह सन् 1974 में छोड़ने का प्रयत्न करेगा तथा इस उपग्रह के विकास पर होने वाला अनुमानित व्यय लगभग 3 करोड़ रुपये है ।

(ख) यह उपग्रह श्री हरीकोट रेंज से छोड़ा जायेगा ।

(ग) यह प्रयास भारत द्वारा पूर्णतः स्वयं ही किया जायेगा तथा इस परियोजना में किसी भी अन्य राष्ट्र का सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए उप-प्रधानाचार्यों की भर्ती

7595. **श्री छत्रपति अम्वेश : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के उप-प्रधानाचार्यों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता, यद्यपि ये पद श्रेणी दो के हैं ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी कोई सूचना है कि दिल्ली प्रशासन ने 21 अध्यापकों को उप-प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत कर दिया है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**शेषनाग दुर्घटना की जांच**

7596. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेषनाग दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उनके द्वारा नियुक्त अमरनाथ यात्रा जांच समिति, 1970 की रिपोर्ट अब प्रकाशित कर दी है और समिति की सिफारिशों पर आदेश जारी कर दिये हैं। उनके द्वारा और आगे संशोधित की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर के पर्यटन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति नियुक्त की है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा दिए गये 1971 के आदेश संख्या 757-जी डी दिनांक 25-3-1971 की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-883/71]**

**गृह मंत्रालय के श्री जैदी द्वारा पश्चिम बंगाल का कथित दौरा**

7597. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के श्री जैदो बम्बई के तीन मुस्लिम व्यापारियों को साथ लेकर 10 जून, 1971 को पश्चिम बंगाल गये तथा पश्चिम बंगाल राज भवन में ठहरे ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों ने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया तथा वापसी में ये लोग कलकत्ता के बहुत से मुसलमानों से मिले ;

(ग) क्या इन्होंने यह प्रचार भी आरम्भ किया कि भारत में बंगला देश से कोई मुसलमान नहीं आया है ;

(घ) क्या इन्होंने कलकत्ता के मुसलमानों में भारत विरोधी प्रचार किया ; और

(ङ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में ब्यौरा क्या है तथा श्री जैदी का उनके साथ जाने का क्या कारण है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) से (ङ). बंगला देश से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न समस्या को आंखों देखा हाल प्राप्त करने के लिए कुछ खोजा

नेताओं ने कलकत्ता और सीमा क्षेत्रों में जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इन नेताओं की यात्रा तथा उनके कलकत्ता में राजभवन में ठहरने का प्रबन्ध किया गया था। उनके साथ गृह मंत्रालय से सम्बद्ध उप-प्रधान सूचना अधिकारी श्री एस० ए० जे० जैदी गये थे। उन्होंने स्वयं पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बंगला देश के शरणार्थियों की दुर्दशा तथा निर्दोष लोगों पर किए गये अत्याचारों को देखा। वे बड़ी संख्या में मुसलमानों समेत शरणार्थियों से मिले। सरकार द्वारा शरणार्थियों को दी गई सहायता तथा आवास के प्रबन्धों की उन्होंने बहुत प्रसंशा की। यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई भारत विरोधी प्रचार किया। दूसरी तरफ, उपलब्ध सूचना के अनुसार जब वे प्रिंस सदुद्दीन आगा खां से मिले। उन्होंने यू० एन० एच० सी० आर० से समस्या के आयाम को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक सहायता देने की आवश्यकता तथा बंगला देश में ऐसी स्थिति पैदा करने, जिससे और आगे शरणार्थियों के आने को रोका जाय और शरणार्थियों को सुरक्षा तथा इज्जत के साथ अपनी मातृभूमि में वापस जाने के लिए प्रबन्ध करने के लिए उनको प्रभावित किया।

**Intrusion of Pakistan Citizens into India**

7598. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan citizens have intruded into the Indian border areas in a large number ;

(b) if so, the approximate number of the said intruders who have entered into Rajasthan, Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland during the last two years (from 1.1.1968 to date) ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the number of those sent back to Pakistan.

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) to (c). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House in due course.

**भारत में विदेशी**

7599. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने विदेशी रह रहे हैं तथा उनके देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) ऐसे विदेशियों की संख्या क्या है जिनके बीजा समाप्त हो गये हैं और भारत सरकार ने जिनकी समयावधि बढ़ा दी है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : 1 जनवरी, 1971 को पंजीकृत विदेशियों के बारे में उपलब्ध सूचना का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-884/71**]

(ख) 19,661

**पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पोटाशियम क्लोरेट की खपत**

7600. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1968 से 1970 तक प्रत्येक वर्ष में राज्य-वार तथा उद्योग-वार पोटाशियम क्लोरेट की वार्षिक खपत कितनी है तथा जिन फर्मों में इसकी खपत हुई है, उनके नाम क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : 1970 की अवधि में बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पोटाशियम क्लोरेट की निम्नलिखित मात्रा में उत्पादकों द्वारा या तो सीधे या उनके उपभोक्ता भण्डारों, व्यापारियों द्वारा सप्लाई की गई थी : —

| | | |
|---|---|---|
| बिहार | — | 4650 कि० ग्रा० |
| उड़ीसा | — | 3180 कि० ग्रा० |
| पश्चिम बंगाल | — | 20,755 कि० ग्रा० |

पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में उस राज्य में स्थित दियासलाई के बड़े कारखानों को दी गई मात्रा के आंकड़े भी सम्मिलित हैं जो पश्चिम बंगाल को अधिक मात्रा में दी गई सप्लाई का कारण बताती हैं।

1968 तथा 1969 वर्ष के सम्बन्ध में इसी तरह की सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी। उद्योग वार आवंटन की सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

## अभ्रक का निर्यात

7601. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विदेशों को कितने मूल्य के अभ्रक का निर्यात किया गया है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये अभ्रक तथा अभ्रक के उत्पादों का कुल मूल्य निम्नलिखित है :—

| | **करोड़ रुपये में** |
|---|---|
| 1968-69 | 15.50 |
| 1969-70 | 17.47 |
| 1970-71 (अप्रैल-जनवरी) | 14.99 |

## पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधि निवारक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिहा किया जाना

7602. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधि निवारक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये 1600 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है, अपनी नजरबन्दी के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की है ; और

(ख) अपील करने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया है।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 30 जुलाई, 1971 तक 3694

व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे । उसी तिथि तक अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द लोगों की तरफ से प्रारम्भिक संव्यवस्था पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकायें प्राप्त हुई थीं । इनमें से उच्च न्यायालय द्वारा 103 मामलों की अन्तिम रूप से सुनवाई की गई और 60 व्यक्ति रिहा किए गये हैं । शेष 39 मामलों में, न्यायालय ने 14 मामलों में नजरबन्दी के आदेशों का समर्थन किया है और अन्य 25 मामलों में कैदियों को पहले ही रिहा कर दिया गया है । प्रारम्भिक संव्यवस्था रद्द कर दी ।

## भारत-अफगान वार्ता

7603. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काबुल में जुलाई मास में भारत-अफगानिस्तान में अधिकारी स्तर पर कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा क्या निर्णय किये गये थे ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी नहीं । जुलाई, 1971 में काबुल में आधिकारिक स्तर पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

7604. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितने-कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया तथा क्या दण्ड दिया गया और कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, सन् 1970 में प्रत्येक राज्य में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । ये घटनाएं भारतीय दण्ड संहिता में दी गई परिभाषा के अनुसार "दंगे" हो भी सकते हैं और नहीं भी ।

(ख) जो लोग साम्प्रदायिक दंगों के सिलसिले में दंडित किए गये थे, उनके नाम तथा उनमें से प्रत्येक को दी गई सजा का ब्यौरा एकत्रित करने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा । साम्प्रदायिक दंगों के कारण पैदा हुए ऐसे मामलों की संख्या के बारे में सूचना जिनमें दण्ड दिया गया, दोषमुक्त किया गया अथवा छोड़ दिया गया, यथासमय सभा पटल पर रखी जायगी ।

## विवरण

### साम्प्रदायिक घटनायें—1970

| राज्य | घटना |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 18 |
| असम | 34 |
| बिहार | 79 |
| गुजरात | 19 |
| हरियाणा | — |
| केरल | 5 |
| मध्य प्रदेश | 44 |
| महाराष्ट्र | 164 |
| तमिलनाडु | 7 |
| मैसूर | 8 |
| उड़ीसा | 7 |
| पंजाब | 1 |
| राजस्थान | 13 |
| उत्तर प्रदेश | 48 |
| पश्चिम बंगाल | 60 |
| दिल्ली | 8 |
| मणिपुर | 1 |
| नेफा | — |
| जम्मू व कश्मीर | 4 |
| त्रिपुरा | 1 |

शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

## एक एडवोकेट को इस समय हिरासत में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बद्रुदुजा से मिलने के लिये अनुमति न दिया जाना

7605. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी-परामर्श करने के लिये गये संसद सदस्य और एडवोकेट श्री ससांकर शेखर सान्याल को भूतपूर्व संसद सदस्य श्री बद्रुदुजा (जिन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उस समय जब संसद सदस्य श्री ससांकर शेखर सान्याल, श्री सैयद बद्रुदुजा से मिलने के लिए जून 1971 के प्रथम सप्ताह में प्रेजिडेन्सी जेल में गये थे तो राज्य सरकार द्वारा नजरबन्द लोगों से मिलने सम्बन्धी नियम नहीं बनाये गये थे । अत: इसलिए प्रेजिडेन्सी जेल के अधीक्षक ने मिलने की अनुमति नहीं दी । मिलने का अनुरोध जबानी किया गया था, जेल संहिता के अनुसार लिखकर नहीं । यदि मिलने का अनुरोध लिख कर गया होता तो राज्य सरकार उस पर विचार करने की स्थिति में होती । उसके पश्चात् श्री बद्रुदुजा को तीन मर्तबा अपने कानूनी सलाहकार से सलाह करने की अनुमति दी गई ।

**बीर भूमि जिले (पश्चिम बंगाल) में पुलिस अधिकारियों और बन्दूक छीनने वालों के बीच कथित सांठ गांठ का आरोप**

7606. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
**श्री जगदीश भट्टाचार्य :**
**श्रीमती सरोज मुखर्जी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 11 जुलाई और 12 जुलाई, 1971 के दैनिक जुगांतर में पश्चिम बंगाल के बीर-भूमि जिले के पुलिस स्टेशनों के कार्यभारी पुलिस कर्मचारियों और बन्दूक छीनने वालों में सांठ-गांठ और पूर्व समझौते के बारे में एक खुले आरोप की ओर तथा अन्य दैनिक समाचार पत्रों में इसी प्रकार के आरोपों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या उस जिले में बन्दूक छीनने की समस्या को इस पहलू पर अधिकारियों ने ध्यान दिया है चूंकि राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति ने अपने अधिकार में ले लिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

**Closure of Mills in Indore and Ujjain**

7607. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Malwa Mill and Kalyan Mill of Indore and Heera Mill of Ujjain are on the verge of closure because of financial crisis ;

(b) whether the management of these Mills have sought financial assistance from Government ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George)** : (a) Government have no information.

(b) and (c). The undertaking of the Hira Mills Ltd., Ujjain is already being managed by Government under the Industries (Development & Regulation) Act. As regards the Indore Malwa United Mills Ltd., Indore and Kalyanmal Mills Ltd, Indore the management approached the Govern ment of Madhya Pradesh for standing guarantee in respect of the loans to the extent of Rs. 35 lakhs and Rs. 10 lakhs, respectively to be obtained by them from the banks. The State Government agreed to stand the guarantee but the management could not arrange the loans.

**Setting up of Labour Co-operative Cotton Textile Industry Ltd., Ujjain on Co-operative basis**

7608. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the proposal for the setting up of Labour Co-operative Cotton Textile Industry Ltd. on co-operative basis in Ujjain District of Madhya Pradesh had been under consideration of Government since long ; and

(b) the reasons for not setting up the industry there so far and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :** (a) and (b). An application for a licence to set up a cotton spinning mill in Ujjain on cooperative basis was received in 1965 from M/s. Shramik Sahakari Sut Karkhana Maryadit, Ujjain. It was rejected in March, 1966 due to non-availability of funds.

**मोटर गाड़ियों के रेडियेटरों के उत्पादन के लिये इस्पात का प्रयोग**

7609. **श्री के० मालन्ना :**
**श्री मल्लिकार्जुन :**
**श्री पीलू मोदी :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ने देश में मोटर गाड़ियों के रेडियेटरों के उत्पादन के लिये इस्पात के उपयोग की एक तकनीक का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये अनुसंधान का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ग) रेडियेटर की अनुमानित लागत क्या है तथा बिक्री के लिये ये बाजार में कब तक आ जायेंगे ?

**योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) केन्द्रीय विद्युत रसायन संस्थान के रायकुड़ी ने एक ऐसा निरोधक तैयार किया है जो उन विविध प्रकार के धात्विक संघटकों को संक्षारण से बचाता है जो विकीरक (रेडियेटर) के अन्दर पानी के सम्पर्क में आते हैं।

(ख) और (ग). इस आविष्कार में इस्पात को संक्षारण से बचाने के लिए दो भिन्न विधियों का उपयोग किया गया है, अर्थात्, इस्पात में लगाए गए टांके की रक्षा के लिए लेप तथा इस्पात और टांके के बचाव के लिये उसमें संक्षारण रोधी की मिलावट इस विधि का प्रयोग करने पर चालू किस्म के रेडियेटरों को बनाने के लिए पीतल और तांबे का स्थान इस्पात ले सकता है। संस्थान ने स्वयं

रेडियेटर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। इससे विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी इसका अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का क्रय**

7610. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम उड़ीसा में गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित बराजमदा खानों से 19 रुपये प्रति टन की दर से लौह अयस्क खरीद रहा है जबकि यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किरीबुरु लौह अयस्क के लिए केवल 12 रुपये प्रति टन और बेलाडिला लौह अयस्क के लिए 16 रुपये प्रति टन दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कम मूल्य देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किरीबुरु और बेलाडिला में उत्पादित लौह अयस्क के लिये अधिक मूल्य देने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम बराजमदा क्षेत्र की गैर-सरकारी खानों से लौह अयस्क रेल पर्यन्त निशुल्क आधार पर खरीद रहा है जबकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से किरीबुरु तथा बेलाडिला क्षेत्र के अयस्क की खरीदें एफ ओ बी टी आधार पर हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लौह अयस्क की खरीद के लिए दिये जाने वाली कीमतों को बताना, निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कीमत ढांचे को एफ ओ बी टी से परिवर्तित करके रेल पर्यन्त निशुल्क आधार पर करने के लिए कहा है। इस पर विचार किया जा रहा है।

**लौह अयस्क का निर्यात**

7611. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से लौह अयस्क के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इसी अवधि में लौह अयस्क का निर्यात करने वाले अन्य देशों की तुलना में यह वृद्धि कितनी है ;

(ग) क्या लौह अयस्क के निर्यात में भारत को आस्ट्रेलिया से बड़ी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) लौह अयस्क के निर्यात, वर्ष 1968-69 में हुए निर्यातों की तुलना में, वर्ष 1970-71 के दौरान 30 प्रतिशत बढ़ गये।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से हुए लौह अयस्क के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

मात्रा : लाख मे० टन
मूल्य : करोड़ रु०

| | मात्रा | मूल्य |
|---|---|---|
| 1968-69 | 159.0 | 89.60 |
| 1969-70 | 176.9 | 100.45 |
| 1970-71 | 208.1 | 115.44 |

(ख) 30 प्रतिशत की कुल वृद्धि, इसी अवधि के दौरान विश्व में समुद्री मार्ग से हुए लौह अयस्क के व्यापार में हुई लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अनुकूल ठहरती है। तथापि, आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील जैसे लौह अयस्क के निर्यात करने वाले कतिपय प्रमुख देश अपने निर्यातों को अपेक्षाकृत काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) लौह अयस्क निर्यात कार्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त तीन क्षेत्रों अर्थात् खनन, रेलवे और पत्तन, में कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। खनन क्षेत्र में अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें, विभिन्न क्षेत्रों में निजी तौर पर ली गई खानों में उत्पादन के विस्तार के अलावा, बेलाडिला तथा डोनी मल्ले में नई तथा विशालयंत्रीकृत खानों का चालू करना भी शामिल है। रेलवे क्षेत्र में कटक पारादीप रेल मार्ग पहले ही से निर्माणाधीन है। रेलवे, क्षमता को बढ़ाने के लिये कदम उठा रही है जिनमें खनन क्षेत्र से पत्तन पर जाने वाले रेल मार्गों के लिए इंजन तथा डिब्बे आदि भी शामिल हैं। पत्तनों पर लौह अयस्क की लदान आदि के सम्बन्ध में पारादीप, जिसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, में लदान घाट के साथ-साथ गहरा तलकर्षण कार्य शुरू हो चुका है। हल्दिया, मर्मगुआ, मद्रास की बाहरी बन्दरगाह तथा विशाखापटनम् बाहरी बन्दरगाह पर लौह अयस्क की लदान आदि के लिये घाट बनाने का कार्य भी चल रहा है।

## ए० वी० बी० कर्मचारी संघ कार्यालय, दुर्गापुर का टेलीफोन कनेक्शन काटना

7612. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने हाल ही में ए० वी० बी० कर्मचारी संघ कार्यालय, दुर्गापुर का टेलीफोन कनेक्शन जबरदस्ती काट दिया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ए० वी० बी० कर्मचारी संघ कार्यालय को फिर से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). राज्य पुलिस के बारे में राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी। जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

**Recovery of Properties confiscated by Pakistan during India-Pak conflict of 1965**

7613. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the measures taken by India to recover the property confiscated by Pakistan during the Indo-Pak conflict of 1965 and the extent of success achieved in this regard ;

(b) whether efforts have also been made by India to enlist the co-operation of any foreign country to recover the said property from Pakistan ; and

(c) if so, the results thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :** (a) The Government of India have repeatedly called upon the Government of Pakistan to discuss the return of properties as envisaged under paragraph VIII of the Tashkent Declaration but the Government of Pakistan has adopted a negative and unhelpful attitude.

(b) and (c). No, Sir. The policy of the Government is to settle these matters bilaterally. However, friendly countries have been kept informed.

**यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया और इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड में भेद**

7614. **श्री बरके जार्ज :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के गठन में कोई भेद है और यदि हां, तो किन बातों में विभेद है ;

(ख) क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा बिहार सरकार को रायल्टी तथा बिक्री कर दिये जाने के फलस्वरूप सरकार को भारी हानि हुई है ;

(ग) क्या मामले की कोई जांच कराई गई थी और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का निगमन जादूगुडा खानों तथा मिल परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में परिवर्तित कर के किया गया था। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड प्रारम्भ में भारत सरकार तथा केरल राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा एक उपक्रम था। सन् 1955 में, केरल राज्य सरकार के शेयरों को केन्द्रीय सरकार ने ले लिया था।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया भारत के न्यूक्लीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये यूरेनियम की व्यवस्था करता है जबकि इंडियन रेयर अर्थ्स का काम बिरल मृदों तथा इल्मेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, आदि जैसे खनिजों का उत्पादन करना है। इसके अलावा ट्राम्बे स्थित थोरियम संयंत्र का प्रबन्धन भी इंडियन रेयर अर्थ्स द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारतीय यूरेनियम निगम**

7615. **श्री वरके जार्ज** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब हुई थी ;

(ख) क्या निगम के संघटक एककों के कर्मचारियों को अपने मूल एककों में रहने की छूट दी गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन कर्मचारियों की शिकायतों पर, जिनकी अन्य एककों में सेवा और उपदान सम्बन्धी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं ; उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, का निगमन 4 अक्तूबर, 1967 को किया गया था ।

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जादूगुडा खानों तथा यूरेनियम मिल परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में परिवर्तित कर के की गई थी । उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की कारपोरेशन में काम करने की सेवा सम्बन्धी शर्तों तथा अवस्थाओं को कारपोरेशन के प्रबन्धकों तथा जादूगुडा मजदूर संघ द्वारा आपसी बातचीत से तय किया गया था । जादूगुडा खानों तथा यूरेनियम मिल के जो कर्मचारी इन परियोजनाओं में परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य संघटक यूनिटों से आये थे उन्हें अपने-अपने मूल यूनिट में वापिस जाने अथवा कारपोरेशन की सेवा स्वीकार करने की छूट दी गई थी।

(ग) कारपोरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों को जो सुविधायें प्रदान की गई हैं वे कुल मिलाकर उन सुविधाओं से अधिक उदार हैं जो उन्हें कारपोरेशन में आने से पहले प्राप्त थी । तथापि, कारपोरेशन तथा कर्मचारियों के बीच उपदान को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है जिस पर आजकल गौर किया जा रहा है ।

**बिहार में जादुगुडा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम के अहाते में औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति**

7616. **श्री वरके जार्ज** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कानून और व्यवस्था तथा जादुगुडा खानों के लिये विस्फोटक पदार्थों की लूटपाट को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने जादुगुडा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम के अहाते में औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). भारतीय यूरेनियम निगम के प्रबन्धकों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मंगाने के लिए, जैसी कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत आवश्यकता होती है मांग नहीं की गई है। बल को रखने का प्रश्न परमाणु शक्ति विभाग के विचाराधीन है ।

**पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय किसानों का अपहरण**

7617. **श्री बक्शी नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सैनिकों द्वारा करीमगंज के निकट भारतीय सीमा से कई भारतीय किसानों का अपहरण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन किसानों को शीघ्र वापसी के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार असम में करीम गंज के समीप पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी भारतीय किसान का अपहरण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**रेयन का उत्पादन**

7618. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
**श्री पी० गंगादेव :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कितने रेयन का उत्पादन होता है, उसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उसका लक्ष्य कितना है ;

(ख) क्या रेयन के उत्पादन में बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** (क) : एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विवरण**

उत्पादन, स्थापित क्षमता और चौथी योजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

**आंकड़े मे० टन में**

| मद | 1970 में उत्पादन | स्थापित वार्षिक क्षमता | चौथी योजना के वार्षिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| विस्कोस फिलामेंट धागा | 36076 | 37700 (इसके अतिरिक्त 3000 मे०टन का आशय पत्र जारी किया गया) | 64000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| विस्कोस स्टेपल रेशा | 63342 | 72000 (26,000 की लाइसेंस प्राप्त क्षमता) (14,000 मे० टन के लिए आशय पत्र जारी किया गया) | 90000 |
| विस्कोस टायर कार्ड/धागा | 17421 | 18800 | 19000 |

**Violation of Indian Border by Chinese Soldiers and Citizens**

7619. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chinese had violated Indian borders ;

(b) if so, the number of Chinese citizens and soldiers who violated Indian borders since 1st January, 1968 ; and

(c) the action taken by Government against them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) Yes, Sir.

(b) Approximately 300.

(c) Necessary measures have been taken for safeguarding the security of the border. Protests are also lodged with the Chinese Government, where considered necessary.

**टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस**

7620. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों को कितने-कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या विदेशों में लाइसेंस दिए जाने के विरुद्ध इण्डियन टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा किये गये विरोध की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (घ). टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये किसी भी विदेशी कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत न ही ऐसी फर्में टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने के पात्र हैं, क्योंकि यह मदद सेक्टर कोर में सम्मिलित नहीं की गई है। इससे भी अधिक देशी जानकारी के साथ टेलीविजनों का निर्माण पहले ही देश में विकसित हो चुका है।

**प्रभा मिल्स, वीरमगाम के बन्द किये जाने के बारे में गुजरात के राज्यपाल को ज्ञापन**

7621. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गुजरात प्रदेश शाखा और टैक्सटाइल लेबर यूनियन वीरमगाम ने रुई के उपलब्ध न होने के कारण दि प्रभा मिल्स वीरमगाम के (गुजरात) मई, 1968 से बन्द किये जाने के सम्बन्ध में 31 मई, 1971 को गुजरात के राज्यपाल को एक विवरण / ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) तथा (ख). जी हां। दो यूनियनों ने अपने ज्ञापन में मिल के बन्द होने का कारण और बातों के अलावा, मिल का कुप्रबन्ध बताया है न कि रुई की अप्राप्यता जैसा कि प्रबन्धक ने बताया था ।

(ग) मिल के कार्यकलापों की जांच औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही की जा चुकी है और अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर राज्य सरकार आदि के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

**सेन बाड़ी हत्या जांच आयोग का प्रतिवेदन**

7622. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में न्यायाधीश तारपाद मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित 'सेनबाड़ी हत्या' जांच आयोग के प्रतिवेदन को अभी तक प्रकाशित न कराने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में कोई कठिनाई है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में 1970 में, कितने व्यक्ति हिरासत में लिये गये तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सेनबाड़ी हत्या जांच आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि उच्च न्यायालय में लंबित अपील पर निर्णय होने तक सरकार न तो कथित रिपोर्ट को प्रकाशित करे और न उसके आधार पर कोई कार्यवाही करे ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**श्री नागरवाला की फाइल से महत्वपूर्ण कागजात का खोया जाना**

7623. **श्री समर गुह :**
**श्री टुना उराव :**
**श्री पीलू मोदी :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरवाला बैंक जालसाजी मामले से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण कागजात लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कागजात किस प्रकार के हैं ; और

(ग) उनको खोज निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग) . दिल्ली प्रशासन के अनुसार श्री सोहराब रुस्तम नागरवाला के मामले की फाइल में से केवल एक कागज के खो जाने की सूचना है । सूचक में कागज को "फर्द निशान देही वा मकबूजगी" कहा गया है । यह फर्द अभियुक्त से कुछ वस्तुयें जब्त करने से सम्बन्धित हैं । इस मामले की दिल्ली के जिला तथा सेसन न्यायाधीश ने जांच की । दिल्ली प्रशासन को उसकी रिपोर्ट 6 अगस्त, 1971 को प्राप्त हुई और इस कागज को खो देने की जुम्मेवारी निर्धारित करने के लिये इसकी जांच की जा रही है ।

## रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्य में कमी

7624. **श्री राजदेव सिंह :**
**श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन यार्न की उत्पादन लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग पर रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्य में कमी का यदि कोई प्रभाव हुआ है तो क्या और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)**: (क) और (ख). सरकार रेयन उद्योग के सभी पहलुओं पर, जिनमें उत्पादन की लागत शामिल है, इस सम्बन्ध में टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में अब विचार कर रही है ।

## राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की योजना मन्त्रालय द्वारा जांच

7625. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख). योजना आयोग ने राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण पर विचार नहीं किया है । तथापि राज्य व्यापार निगम की वार्षिक योजना 1970-71 पर विशेषकर उसके आंतरिक संसाधनों के संदर्भ में, योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया था । वर्ष 1971-72 के लिये इसी प्रकार का विचार-विमर्श अभी किया जाना है ।

## केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति का ग्रेड-2 में ही रुक जाना

7626. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति के लिये दिसम्बर, 1969

के बाद से विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अधिकारियों के कुछ बैच पिछले 6 वर्षों से ग्रेड दो में ही काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) केंद्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-दो के अधिकारियों को इस सेवा के ग्रेड-एक में पदोन्नत करने हेतु चयन करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जुलाई, 1971 में हुई थी ।

(ख) ऐसे कुछ ही अधिकारी हैं, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति ने दिसम्बर, 1969 में उनके बारे में विचार किया था और उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य पाया था ।

(ग) वर्ष 1970 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें दिसम्बर, 1969 में पदोन्नति के लिये अयोग्य पाया गया था, अन्य कोई अधिकारी नियमों के अन्तर्गत उस वर्ष के दौरान पदोन्नति का पात्र नहीं हुआ ।

## एल्लपी (केरल) में 'ट्रांसमीटर' का कार्य

7627. **श्री आर० बालकृष्णपिल्ले : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एल्लपी में अधिक शक्ति वाले 'मीडियम वेव ट्रांसमीटर' ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) एल्लपी में 'ट्रांसमीटर' की अनुमानित लागत क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) 46 लाख 13 हजार रुपये ।

## शान्तिपूर्ण प्रयोजनों हेतु परमाणु शक्ति के विकास के लिये कार्यक्रम

7628. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने इस बात पर बल दिया है कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु शक्ति के विकास के मुख्य कार्यक्रम में रुचि रखने वाले किसी देश के लिये परमाणु शक्ति सम्बन्धी आंकड़ों का महत्व बहुत अधिक है ;

(ख) क्या रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . जी, हां । कलपक्कम में स्थापना के लिये प्रस्तावित रिऐक्टर अनुसंधान

केन्द्र में परीक्षण करने की मुख्य सुविधा के रूप में एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर होगा तथा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले रिऐक्टरों से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विकास कार्य करने के लिये विभिन्न अन्य सुविधाएं भी होंगी। इन सुविधाओं में सम्मिलित सुविधाएं होंगी :— (1) रिऐक्टर इंजीनियरी ईंधन पुनर्संसाधन, सुरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान, ईंधन के विकास तथा द्रव्य विज्ञानों एवं उपकरणों के विकास सम्बन्धी अध्ययन करने वाली प्रयोगशालायें, (2) एक ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, (3) एक ईंधन उत्पादन संयंत्र, (4) अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र, तथा (5) भौतिकी अनुसंधानों के साथ-साथ द्रव्य-अनुसंधानों के लिये प्लस्ड फास्ट रिऐक्टर।

## औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को संश्लिष्ट रेशों के ऊंचे मूल्य सम्बन्धी प्रश्न का भेजा जाना

7629. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संश्लिष्ट रेशों के मूल्य इतने अधिक हैं कि जन सामान्य की पहुंच से परे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न को औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को भेजने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) और (ख). संश्लिष्ट रेशे को विलास की वस्तुओं की ही एक वस्तु समझा जाता है, सामान्यतः जिसका प्रयोग समाज का समृद्ध वर्ग करता है। इस सम्बन्ध में, औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो को हवाला भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है।

## चौथी योजना का पुनर्मूल्यांकन

7630. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि निकालने के संसाधनों में वृद्धि करने में कुछ राज्यों की असमर्थता, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और बंगला देश के शरणार्थियों की देखभाल में अधिक खर्च के कारण योजना में कमी करने की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् योजना का आकार क्या है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) चौथी पंचवर्षीय योजना पुनर्मूल्यांकनाधीन है।

(ख) और (ग). योजना के आकार के सम्बन्ध में स्थिति केवल पुनर्मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगी, जिससे कि योजना को प्रभावित करने वाले सभी संबद्ध तथ्यों तथा विचारों को ध्यान में रखा जायेगा। योजना का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

## मणिपुर में उप डाकघर

7631. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा की जाने वाली लगातार मांग को देखते हुए सरकार मणिपुर में उप-डाकघर खोलने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये उप-डाकघर कब खोले जायेंगे ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में मणिपुर राज्य में जिन जगहों पर नए शाखा और उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, उनके नाम, वर्तमान स्थिति और प्रत्येक प्रस्ताव कब तक अंतिम शकल में आ जाएगा, वह तारीख नीचे दी जा रही है :

| जगहों के नाम | जिला | खोले जाने वाला प्रस्तावित डाकघर किस श्रेणी का है | प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति | प्रस्ताव के अंतिम शकल में आने की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| मैनु खुंजाओ | केन्द्रीय | विभागेतर शाखा डाकघर | 12-4-71 को मंजूरी दी गई | 31-8-71 को खुलने की संभावना है। |
| लीटिंग | पूर्वी | वही | 19-6-71 को मंजूरी दी गई | वही |
| टी० बंगमूल | केन्द्रीय | वही | 17-7-71 को मंजूरी दी गई | 15-9-71 को खोले जाने की संभावना है। |
| न्यू सांगटाल | ,, | वही | 20-7-71 को मंजूरी दी गई | वही |
| पाओमाटा | उत्तरी | विभागेतर शाखा डाकघर | 20-7-71 को मंजूरी दी गई | 15-9-71 को खोले जाने की संभावना है। |
| लम्बुई | पूर्वी | वही | 22-7-71 को मंजूरी दी गई | वही |
| वेहियांग | दक्षिण | वही | जांच की जा रही है। | 30-9-71 तक जांच पूरी होने की संभावना है। |
| अनालखुलेन | केन्द्रीय | वही | वही | वही |
| लोंगपी | पश्चिम | वही | वही | वही |
| नामटीराम | वही | वही | वही | वही |
| सोरडे | पूर्व | वही | वही | वही |
| प्रिहांग | पूर्व | वही | वही | वही |
| चामू | पूर्व | वही | वही | वही |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नरूम | केन्द्रीय | वही | चंदे की अदायगी के बारे में मणिपुर सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। | 31-12-71 तक जांच पूरी होने की संभावना है। |
| लाखाभाई | उत्तर | वही | जांच की जा रही है। | वही |
| चोंगलाई खुल्लेन | उत्तर | वही | चंदे की अदायगी के बारे में जनता से पत्र व्यवहार हो रहा है। | वही |
| कीबुल | वही | वही | चंदे की अदायगी के बारे में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। | वही |
| खाराकुल | वही | वही | वही | वही |
| खागंवारान | केन्द्रीय | वही | वही | वही |

उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त, मणिपुर राज्य में चालू वर्ष में निम्नलिखित डाकघर उनके सामने दी गई तारीखों को खोले जा चुके हैं।

| जगह का नाम | जिला | डाकघर किस श्रेणी का खोला गया | खुलने की तारीख |
|---|---|---|---|
| खरन पंटागं | उत्तर | विभागेतर शाखा डाकघर | 6-7-1971 |
| चींग नोंग पोंग | दक्षिण | विभागेतर उप-डाकघर | 8-5-71 |
| सोनापुर | केन्द्रीय | विभागेतर शाखा डाकघर | 6-5-71 |

## आकाशवाणी से रचनात्मक संगीत का प्रसारण

7632. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में, विशेषकर आधुनिक प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर रचनात्मक संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :** (क) और (ख). सरकार की नीति भारतीय संगीत में सृजनात्मकता और प्रयोग को बढ़ावा देने की है।

दिल्ली में एक राष्ट्रीय आरकिस्ट्रा बनाया गया है जो भारतीय संगीत का स्वरीकरण और वाद्यकरण करने का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार के प्रयोग कुछेक दूसरे केन्द्रों में भी किए गए हैं। हिन्दुस्तानी, कर्नाटक तथा सुगम संगीत में वंदगान सम्बन्धी संगीत देने के लिए नए रूप तैयार करने के भी प्रयत्न किए गए हैं।

### आसाम की नई राजधानी बनाने के लिये व्यय का अनुमान

7633. **श्री निहार लास्कर :**
**श्री के० मालन्ना :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने आसाम सरकार से आसाम की नई राजधानी बनाने के लिए व्यय का विस्तृत अनुमान मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुमान का ब्योरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभी तक ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है।

### राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता में छात्रों के एक समूह द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ कथित हाथापाई

7634. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों के एक समूह ने 'राइटर्स बिल्डिंग' कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हमले किये और अपने स्थानों पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों को पीटा ; और

(ख) यदि हां, तो उन छात्रों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 अप्रैल, 1971 को राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता के द्वार पर छात्र परिषद के एक जलूस के आने के बाद दंगा हुआ जिसमें खबर है कि सचिवालय के कुछ कर्मचारी और कुछ जलूस वाले भी घायल हुए। राज्य सरकार ने बताया है कि घटना की जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

### पंजाब में पुलिस की कथित ज्यादतियां

7635. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के एक भूतपूर्व मन्त्री श्री सतपाल डांग और भारतीय साम्यवादी दल के पंजाब

यूनिट के सचिव श्री दर्शन सिंह कनेडियन ने हाल ही में राज्य के राज्यपाल को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे गत 1½ वर्ष में नक्सलवादियन का मुकाबला करने के नाम पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियों की जांच करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पंजाब की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नक्सलपंथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के प्रत्येक मामले में, जिसमें उनकी मृत्यु हुई, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई है और पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

### पश्चिम बंगाल और आसाम के चाय बागानों को अधिकार में लेना

7636. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम के चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल और आसाम में बन्द हुए पड़े सभी चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### कपड़ा की नियंत्रित किस्मों के मूल्य में वृद्धि

7637. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में वृद्धि के लिये जोर दे रहा है ;

(ख) इस मांग के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख) . भारतीय सूती मिल संघ ने रुई की कीमतों, मजूरी, भंडार, विद्युत, ईंधन, कोयला तथा रंजक तथा रसायनिक पदार्थों की कीमतों तथा ब्याज की दरों और ऊपरी खर्चों में वृद्धि होने के कारण नियंत्रित कपड़े की कीमतों को बढ़ाने का आग्रह किया है ।

(ग) यह मामला औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो को भेज दिया गया है ।

### केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा ताश खेला जाना

7638. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** :
**श्री मुहम्मद शरीफ** :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार दिल्ली में घास के मैदानों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा ताश खेलना निषिद्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदेशों को व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया जायेगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) गृह मंत्रालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता अधिकारियों को अगस्त, 1968 में एक पत्र लिखा था जिसमें अन्य बातों के साथ सुझाव दिया था कि कार्यालय भवनों के मैदानों तथा उनसे सम्बद्ध स्थानों में किसी सरकारी कर्मचारी को ताश खेलने की अनुमति नहीं है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए गये तो उनके विरुद्ध सम्बन्धित मंत्रालयों या विभागों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी ।

## विदेश व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण

7639. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार नीति, जहां तक लगाये गये प्रतिबन्धों का प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश की आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेश व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने का है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) विदेशी व्यापार नीति आयात का कार्यक्रम तैयार करने के लिये इस प्रकार बनायी जाती है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत के विकास कार्यक्रम के लिये अपेक्षित है और इस सम्बन्ध में लगाये गये आयात निर्बन्धन आयात प्रतिस्थापन की नीति पर आधारित हैं । यह नीति विदेशी निवेश की नीति से सीधे तौर पर सम्बन्धित नहीं है, जिसके लिये पृथक मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) सरकार की बराबर कोशिश है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्यता की परिसीमाओं में, प्रक्रियाओं को यथासम्भव सरल बनाया जाये ।

## बेरोजगार इंजीनियरों को सरकारी ठेके देने की योजना

7640. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी इमारतों के अन्य ठेके केवल बेरोजगार इंजीनियरों को देने का है जिसके लिए परामर्शदात्री सेवा की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों आदि की पदोन्नति और भर्ती के नियम

7641. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभागों के भर्ती के नियमों में ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की

अनुभाग अधिकारियों और सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति की व्यवस्था है और यदि हां, तो इस प्रकार की पदोन्नति की क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले ही पदोन्नत हो चुका है और जिसने कई वर्षों तक अपना कार्य दक्षतापूर्ण तरीके से किया है, उच्च ग्रेड में उस व्यक्ति के स्थाई बनने से पूर्व पदोन्नति वाले इस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में ढील देना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ढील देने की शक्ति सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

## हावड़ा जेल में नक्सली कैदियों और जेल अधिकारियों के बीच मुठभेड़

7642. **श्री एन० ई० होरो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 16 मई, 1971 को हावड़ा जेल में नक्सली कैदियों और वार्डरों के बीच हुई मुठभेड़ में 11 नक्सली घायल हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मुठभेड़ के क्या कारण थे ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) :** (क) और (ख). 16 मई, 1971 को कुछ उग्रवादी कैदियों ने हावड़ा जेल के एक अलग ब्लाक के कक्ष में विचारण के लिये रखे गये उस ब्लाक के कक्ष के कैदियों से मिलने के अभिप्राय से प्रवेश करने का प्रयत्न किया, जब वार्डरों ने उन्हें प्रवेश करने के लिये मना किया तो उनमें वाद विवाद हो गया जिसका अन्त वार्डर और उग्रवादी कैदियों के बीच झगड़े में हुआ ।

10 नक्सलवादी कैदी तथा एक सामान्य कैदी घायल हुआ ।

## भिलाई इस्पात कारखाने में नक्सलवादियों की गतिविधियां

7643. **श्री एन० ई० होरो :**
**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में नक्सलवादियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) क्या पुलिस ने इन नक्सलवादियों से कुछ कागजात पकड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) से (ग). भिलाई नगर क्षेत्र में नक्सलवादी इश्तिहार लगाये जाने के कुछ उदाहरण ध्यान में आए हैं । कुछ व्यक्तियों से नक्सलवादी साहित्य भी बरामद हुआ है । सरकार द्वारा बड़ी सतर्कता बरती जा रही है और सम्भव होने पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

## टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान पूना के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायता

7644. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की सहायता से पूना में एक टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : (क) जी, हां। यू० एन० डी० पी० भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना में टेलीविजन प्रशिक्षण स्कन्ध स्थापित करने में सहायता कर रहा है।

(ख) 88 लाख रुपए, जो उपकरणों, विशेषज्ञों तथा शिक्षण कार्य में लगे भारतीय व्यक्तियों के विदेशों में प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्तियों के रूप में होंगे।

(ग) संस्थान प्रति वर्ष लगभग 200 प्रशिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम चलायेगा जिनमें टेलीविजन कार्यक्रमों को तैयार एवं प्रस्तुत करने वाले तथा टेलीविजन तकनीकी व्यक्ति शामिल होंगे।

## चौथी योजना में पर्यटन के लिए धन की व्यवस्था

7645. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी सदस्यों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने के बारे में व्यक्त किये विचारों पर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी, हां।

(ख) सुझावों को चौथी पंचवर्षीय योजना का एक भाग समझा जायेगा।

## चाय उद्योग में संकट

7646. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में चाय का मूल्य तेजी से गिर रहा है जिससे भारतीय चाय उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संकट में इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या चाय उत्पादक राज्यों को सहायता देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख). लंदन के नीलामों में आज कल बेची गई चाय की कीमतें 1970 की इसी अवधि की कीमतों की अपेक्षा कम हैं। तथापि, इस वर्ष के लिए औसत कीमतें 1968 के समान अच्छी होने की आशा है और 1969 की कीमतों से बेहतर होने की सम्भावना है। गत वर्षों की तुलना में इस समय कलकत्ता तथा कोचीन नीलामों की कीमतें भी अपेक्षाकृत अच्छी हैं। अतः भारतीय चाय उद्योग में कोई संकट नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## ब्राडकास्टिंग इन इंडिया पुस्तक

7647. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आकाशवाणी के एक विशेषज्ञ द्वारा लिखित पुस्तक ब्राडकास्टिंग इन इंडिया, के पृष्ठ 166 की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** (क) : जी, हां। यह पुस्तक आकाशवाणी के एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा लिखी गई है।

(ख) लेखक ने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किए हैं। वह ऐसा करने में स्वतंत्र हैं। इनके विचार सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

## थुम्बा राकेट केन्द्र (केरल) के निकट के विस्थापित परिवारों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन

7648. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थुम्बा राकेट केन्द्र केरल के निकट के विस्थापित परिवारों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं, और उन मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्मवाही की जायेगी ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा-गांधी)** : (क) और (ख). जी, हां। विस्थापित परिवारों की मुख्य मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### विवरण

### पल्लिपूरा वेलि वेल्फेयर एसोसियेशन की मुख्य मांगें

1. विस्थापित परिवारों के लिए आवास, सामुदायिक सुविधाएं, खराब हुए मछली पकड़ने के जालों के लिये मुआवजा, प्रशिक्षण की सुविधा, मछली पकड़ने के लिये समुद्र तट, आदि ।

2. एसोसियेशन द्वारा समय-समय पर जिन स्थानीय लोगों के नाम सुझाये जायें उन्हें भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन में नियुक्त करना।

3. तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 50% पद स्थानीय लोगों के लिये सुरक्षित रखना; तथा।

4. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की नियुक्ति समिति में एसोसियेशन के प्रतिनिधि को सम्मिलित करना।

त्रिवेन्द्रम के कलैक्टर ने इन मांगों पर एसोसियेशन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से 17 तथा 19 जुलाई, 1971 को एक बैठक बुलाई थी। लम्बी बातचीत के बाद, एसोसियेशन की मांगों के बारे में एक मान्य समझौता हो गया है। इस समझौते के अनुसार, विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए, राज्य सरकार आवास की व्यवस्था करेगी। इससे सम्बन्धित मुआवजे का रुपया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने राज्य सरकार के पास जमा कर दिया है। जैसाकि आजकल किया जा रहा है, मछली पकड़ने के उपकरणों को पहुंची हानि, मुआवजे की राशि का निर्धारण एक विशेष समिति द्वारा किया जाता रहेगा जिसमें राज्य सरकार तथा मछुआ कल्याण समिति के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

विस्थापित लोगों में से 100 व्यक्तियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 3 महीने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण इन लोगों को 50–50 व्यक्तियों के दो दलों में मिलेगा तथा बाद में इन लोगों को तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने के बारे में विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात्, जिन लोगों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की चुनाव समिति उपयुक्त समझेगी उन्हें जब भी संगठन के कार्यालय में कोई पद रिक्त होगा तब नियुक्त कर लिया जायेगा किन्तु नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिये विस्थापित व्यक्तियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी। विस्थापित परिवारों के कुछ सुयोग्य विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छात्रवृत्तियां भी दी जा सकती हैं ताकि वे विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

एसोसियेशन द्वारा मछली पकड़ने के लिये समुद्र तट तैयार करने की जो मांग रखी गई है उसे स्वीकार करना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिये सम्भव नहीं है।

## डाक तथा तार महानिदेशक, नई दिल्ली और वरिष्ठ अधीक्षक रेलवे डाक सेवा के विरुद्ध चल रही कार्यवाही

7649. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है, कि केरल उच्च न्यायालय की 'डिवीजन बेंच' ने डाक तथा तार महानिदेशक, नई दिल्ली और वरिष्ठ अधीक्षक, रेलवे डाक सेवा, एरणाकुलम डिवीजन को कारण बताने के लिये नोटिस दिया है कि उन पर न्यायालय की मानहानि के लिये क्यों मामला नहीं चलाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केरल सर्किल के आर० एम० एस० "ई" क डिवीजन के सार्टर श्री गोपीनाथ और कुछ दूसरे अस्थायी कर्मचारियों के सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण, इन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अधीन सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । श्री गोपीनाथ ने सेवा बर्खास्तगी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की । हाई कोर्ट ने 11-2-69 को बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिये । तत्पश्चात विभाग ने इस फैसले के खिलाफ 'लेटर्स पेटेंट अपील' दायर की । हाई कोर्ट ने 5-1-1971 को यह अपील नामंजूर कर दी । हाई कोर्ट ने 22-6-1971 को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी इजाजत देने से इन्कार कर दिया । इसलिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रस्ताव है ।

इसी बीच, हाई कोर्ट से अदालत की मानहानि का नोटिस प्राप्त हुआ इस मामले में 3 अगस्त, 1971 को पेशी होनी थी, परन्तु उस दिन इस मामले की सुनवाई नहीं हुई ।

## भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

7650. **श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस प्राधिकारियों ने टिहरी-गढ़वाल के लोगों को कम्युनिस्ट बताया है और इसी कारण उन्हें नौकरी देने से इन्कार किया है तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में सेवा कर रहे कई अन्य लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में टिहरी-गढ़वाल में कितने लोगों को भर्ती किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1968-1970 के गत तीन वर्षों में टिहरी-गढ़वाल क्षेत्र के 149 व्यक्ति भर्ती किये गये ।

## थुम्बा राकेट से छोड़े गये स्पिलिंटर राकेट को छोड़े जाने के कारण मछुओं की सम्पत्ति को हुई हानि

7651. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान थुम्बा राकेट स्टेशन, त्रिवेन्द्रम (केरल) से स्पिलिंटर राकेट छोड़े जाने के कारण इस स्टेशन के निकट रहने वाले मछुओं की सम्पत्ति और मछली पकड़ने के जाल को हुई क्षति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 'स्पिलिंटर राकेट्स' के छोड़े जाने के कारण मछली पकड़ने के जालों को हो रही क्षति को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) जी, हां । समुद्र में गिरे हुए राकेटों के अवशेषों के कारण मछली पकड़ने के जालों को हानि पहुंचने की कुछ घटनायें सामने आई हैं, किन्तु किसी अन्य सम्पत्ति को हानि पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). मछुओं, केरल राज्य सरकार तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिनिधियों की एक विशेष समिति मछली पकड़ने के जालों को हानि पहुंचने की शिकायतों की जांच करती है तथा जांच के परिणामों के आधार पर मुआवजा दिया जाता है ।

## संगणक 'सोफ्टवेयर' का निर्यात

7652. **श्री रेणुपद दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संगणकों की लोकप्रियता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर हाल में किये गये सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार अब संगणक 'सोफ्टवेयर' दूसरे देशों में निर्यात करने की स्थिति में है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के उस सर्वेक्षण-निष्कर्ण से परिचित है जो उन्होंने विकासशील देशों में कम्प्यूटरों की संख्या प्राप्त करने उनके प्रयोग के सम्बन्ध में किया था । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि विकासशील देशों में से तीन के पास कम्प्यूटर नहीं हैं और पांचों में प्रत्येक के पास एक कम्प्यूटर है । 1968 में भारत में 111 कम्प्यूटरों की स्थापना हुई (यद्यपि सन् 1970 में यह संख्या 126 हो गई) चिली में 33 तथा कोरिया गणतंत्र, त्रिनिदाद तथा टोबागों में 14 पाये गये । सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि विकासशील देशों में कम्प्यूटरों का प्रयोग जन विद्या, जन गणना तथा सरकारी प्रशासन और लेखा विधि में किया जाता है । ये अनुप्रयोग ठीक वैसे ही थे जैसे कि पहले किये गये थे, जबकि कम्प्यूटरों का आरम्भ सरकारी क्षेत्र में उन देशों में हुआ जो औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देश हैं । सर्वेक्षण यह भी बताया है कि कम्प्यूटर विशेष रूप से टैकनोलोजी के लिये अत्यावश्यक हैं जिससे धनी तथा निर्धन देशों के बीच की असमानता दूर हो सके ।

(ख) भारत में अपेक्षाकृत तकनीकी कर्मचारी का कम मजदूरी पर मिलना, इस बात को ध्यान में रखते हुये सिद्धांत रूप से विशेषज्ञों के लिये सुअवसर है कि कम्प्यूटर के विकास के लिये अच्छी कार्य-क्षमता है । सफल सोफ्टवेयर विशेषज्ञ केवल इन्हीं तत्वों पर निर्भर नहीं करते तथा संगठन सम्बन्धी अन्य लक्षण भी हैं जिनकी पूर्ति की जानी है । कम्प्यूटरों के निर्यात के लिये अनुमति दी थी जिससे विशेषज्ञों द्वारा सोफ्टवेयर उत्पादन कार्यकलापों की उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके ।

## बिना मुकदमा चलाये भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व संसद् सदस्य को हिरासत में लेना

7653. **श्री रेणुपद दास :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व विधायक डा० गुलाम याज्दनी और पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व संसद् सदस्य

सैयद बद्रुद्दुजा को अभी तक आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). श्री सैयद बद्रद्दोजा तथा डा० गुलाम याजदानी के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में अन्तर्ग्रस्त होने के सम्बन्ध में जांच अभी तक की जा रही है। फिर भी उन्हें भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से उनको नजरबन्द किया गया है और उस सम्बन्ध में सलाहकार बोर्ड को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अनुसार पत्र भेजा गया है। सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उनकी दृष्टि से उन्हें नजरबन्द रखने के लिए पर्याप्त कारण है।

## काफी उद्योग में संकट

7654. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की मांग तेजी से कम हो रही है जिससे भारतीय काफी उद्योग के लिये संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संकट में इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों को काफी का निर्यात

7655. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों को काफी के निर्यात की सम्भावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) और (ख). लातीनी अमरीकी अथवा अफ्रीकी देशों को काफी का निर्यात करने की संभाव्यता का पता लगाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये देश स्वयं काफी के प्रमुख निर्यातक हैं।

## अतिरिक्त कच्चे रबड़ और रबड़ से बनाई जाने वाली वस्तुओं का निर्यात

7656. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अतिरिक्त कच्चे रबड़ के निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को किसी ऐसे देश से कोई उत्तर मिला है जो सामान्यतया मलेशिया से रबड़ खरीदता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रबड़ से बने माल को निर्यात करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). सरकार द्वारा हाल में कच्चे रबड़ के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा हैं। उसके परिणामों को इतनी जल्दी बताना अभी संभव नहीं है।

(घ) और (ङ). रबड़ से निर्मित सामान का निर्यात पहले से ही किया जा रहा है।

**Alleged Distribution of a leaflet by Jamait-e-Islami Justifying Genocide of Pak Troops in Bangla Desh**

7657. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindi Daily Vir Arjun on the 13th July, 1971 to the effect that the Jamait-e-Islami has distributed leaflets in Sylhet area, which justify the action of genocide and looting committed by the Pakistani troops in Bangla Desh ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant)** : (a) Yes, Sir.

(b) Government are aware that the Jamait-e-Islami, Pakistan, has been supporting the actions of the military rulers of Pakistan. Government are also aware that this organisation has negligible following among the people of Bangla Desh.

**डाकघरों और रेल डाक सेवा का नियंत्रण**

7658. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही राज्य में स्थित डाक-घर तथा रेल डाक सेवा सहित डाक-घरों के अनुभागों का नियंत्रण इसी राज्य के डाक अधिकारियों द्वारा किया जाता है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर रेलवे डाक सेवा उत्तर प्रदेश के एक अधीक्षक के नियंत्रणाधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) आम तौर पर राज्य के रेल डाक-सेवा कार्यालयों पर उस राज्य के डाक सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल का नियंत्रण होता है। परन्तु कभी-कभी कार्यालय के स्थान और दूसरे प्रशासनिक कारणों के विचार से यह आवश्यक हो जाता है कि इस स्वीकृत सिद्धान्त को न माना जाय।

(ख) जी हां। यह कार्यालय झांसी एक्स० डिवीजन के रेल डाक-सेवा के सीनियर अधीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में है जोकि उत्तर प्रदेश सार्किल के पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है।

(ग) ग्वालियर रेल डाक-सेवा कार्यालय मध्य प्रदेश के दूर उत्तर में स्थित है। एक्स० डिवीजन रेल डाक-सेवा के सीनियर अधीक्षक जिनका सदर मुकाम झांसी में है, इसकी देखभाल मध्य प्रदेश डिवीजन रेल डाक-सेवा के सीनियर अधीक्षक की बनिस्बत ज्यादा सुचारु रूप से कर सकते हैं क्योंकि इनका सदर मुकाम भोपाल में है। इसके अलावा ग्वालियर रेल डाक-सेवा के रास्ते में आने वाले सभी आर० एम० एस० सेक्शन झांसी एक्स० डिवीजन के नियंत्रण में हैं। क्योंकि आर० एम० एस० सेक्शनों के काम का ग्वालियर रेल डाक-सेवा के साथ निकट सम्बन्ध है, इसलिए यह और भी ज्यादा जरूरी है कि सेक्शन और ग्वालियर रेल डाक-सेवा एक ही प्राधिकारी के नियंत्रण में होने चाहिए। ये सेक्शन बदल कर मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं रखे जा सकते क्योंकि सेक्शनों को निर्धारित करने के लिए जो मानदण्ड अपनाया जाता है, उसके मुताबिक इन्हें उत्तर प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल के अधीन ही होना चाहिए।

### डाकघरों और रेलवे डाक सेवा में लोअर सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था

7659. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घर और रेलवे डाक-सेवा एक ही विभाग के दो अंग हैं जिन पर पैसे लेन देन का समान दायित्व है ; और

(ख) क्या डाक-घरों में एक समय पर चार लिपिक होने से लोअर सेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाती है, जबकि रेलवे डाक सेवा में 6 लिपिकों के होने से इसकी व्यवस्था की जाती है और यदि हां, तो इस प्रकार के भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) यद्यपि यह सत्य है कि डाक और रेल डाक सेवा शाखाएं एक ही विभाग के अंग हैं, तथापि दोनों शाखाओं की आर्थिक जिम्मेदारियां काफी भिन्न हैं। डाक शाखा की तरह रेल डाक सेवा शाखा में रुपये पैसे का लेन-देन नहीं होता, सिवाय इस बात के कि रेल डाक सेवा शाखा में डाक टिकट बेचे जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बंद डाक के बारे में है जिसमें अलबत्ता नकदी और कीमती सामान रहते हैं।

(ख) यह सत्य है कि डाकघरों में लोअर सेलेक्शन ग्रेड का पहला पद तब दिया जाता है जब किसी डाकघर में 4 कर्मचारी हों, जबकि रेल डाक-सेवा शाखा में रेल डाक सेवा सेक्शनों में 6 और रेल डाक-सेवा के डाक कार्यालयों में 7 कर्मचारी होने पर उपरोक्त व्यवस्था की जाती है। दोनों मामलों में निगरानी के स्वरूप और उसकी गहराई की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह फर्क किया गया है।

### Export of Pepper, Cardamom, Ginger, Tejpat and Turmeric

7660. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of Pepper, Cardamom, Ginger, Tejpat (Cassia) and Turmeric exported during the years 1969 and 1970, separately, and the names of countries to which these commodities were mostly exported ; and

(b) the amount of foreign exchange earned as a result of export of the said commodities during the above period ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :** (a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

**Export of Pepper, Cardamom, Ginger, Tejpat and Turmeric**

| **Commodity** | **1969** **Quantity** | **Value** | **1970** **Quantity** | **Value** | **Quantity in Metric Tonnes** **Value in Thousand Rupees** **Countries to which exported** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepper | 17487.9 | 104,101.2 | 19508.2 | 1,66,647.5 | Italy, USSR, USA, UK, West Germany, Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, GDR, Rumania, Bulgaria, Hungary, Spain, UAR, Sudan, Nepal, Singapore, Japan, Australia, Canada, etc. etc. |
| Tejpat | 1213.1 | 5,429.6 | 665.5 | 2,705.9 | France, Netherlands, West Germany, USSR, Czechoslovakia, Yugoslavia, Finland, Sudan, Qatar, Kuwait, Singapore. |
| Cardamom | 1332.4 | 86,124.2 | 1307.6 | 98,796.8 | UK, USSR, Iraq, Iran, Sudan, Arabia, Kuwait, Belgrade, Afghanistan, Malayasia, Japan, Singapore, USA, Qatar, Kenya, Australia. |
| Ginger | 1256.9 | 8,891.9 | 2209.2 | 23,297.6 | UK, USSR, Czechoslovakia, Saudi Arabia, S. Yemen, Bahrain, Somalia, Kuwait, Newzealand, USA, Canada. |
| Turmeric | 6415.7 | 30,502.4 | 9588.2 | 243,293.4 | UK, France, Italy, Netherlands, West Germany, Begium, Iraq, Iran, Ethiopia, Aden, Bahrain, Libya, Qatar, Kuwait, Ceylon, Singapore, Japan, USA, Australia, etc. |

**T. V. Programme for Schools**

7661. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of subjects which are covered at present under the Television Progrmme for Schools ; and

(b) whether any proposal is under consideration to include some new subjects in the said Programme in addition to the existing ones ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri-Mati Nandini Satpathy) :** (a) Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Social Studies, and English.

(b) No Sir.

## आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के एक एडवोकेट की कथित गिरफ्तारी और पिटाई

7662. **श्री राबिन सेन :**
**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने आसनसोल (पश्चिम बंगाल) बार के एक एडवोकेट श्री गिरधारी मुकर्जी को गिरफ्तार किया था, उन्हें पीटा था और गालियां भी दी थीं ;

(ख) क्या 3 जुलाई, 1971 को आसनसोल बार एसोसिएशन के सभी एडवोकेट न्यायालय से अनुपस्थित रहे थे और उन्होंने आसनसोल थाने के इन्चार्ज इंस्पेक्टर को मुअत्तिल करने की मांग की थी ;

(ग) क्या उपर्युक्त एडवोकेट को हथकड़ी लगा कर और कमर में रस्सा बांध कर न्यायालय भेजा गया था ;

(घ) क्या उपर्युक्त अधिकारी ने एक नगर निगम आयुक्त के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

## सर्प की कच्ची खाल के निर्यात करने के स्थान पर सर्प की खाल की वस्तुएं निर्यात करने सम्बन्धी योजना

7663. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, इटली, युगोस्लाविया तथा फ्रांस को सर्प की कच्ची खालों का निर्यात कर रही है ;

(ख) क्या सरकार सर्प की कच्ची खाल का निर्यात बन्द करने और सर्प की खाल से बनी वस्तुओं का निर्यात करने की एक योजना बना रही है ;

(ग) क्या सरकार ने सर्प की खाल की वस्तुओं और वस्त्रों का यूरोपीय और अमरीकी बाजार में निर्यात करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) व्यापारी निर्यातकों द्वारा इन देशों को सांप की कच्ची खालों का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## पूर्वी कलकत्ता में पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों को दी गई कथित सहायता

7664. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी कलकत्ता की पुलिस समाज विरोधी तत्वों को सहायता कर रही है ;

(ख) क्या पुलिस ने पश्चिम बंगाल में गत चुनावों के पूर्व इसी प्रयोजन से एक राजनीतिक दल के बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी कलकत्ता के नागरिकों की ओर से श्रीमती अनिला देवी द्वारा कलकत्ता के पूर्वी जोन के उपायुक्त को प्रस्तुत एक ज्ञापन की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

## कलकत्ता और दुर्गापुर के बीच टेलीफोन तथा तार सेवाओं का खराब हो जाना

7665. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत केबल की चोरी के कारण 9 जुलाई, 1971 को दुर्गापुर और कलकत्ता को मिलने वाली टेलीफोन तथा तार सेवाएं खराब हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने दोषी व्यक्ति को पकड़ने और दुर्गापुर में टेलीफोन तथा तार सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जमींदोज केबल चोरी हो जाने के कारण 9 जुलाई, 1971 को दुर्गापुर स्टील एक्सचेंज और कलकत्ता के बीच केवल टेलीफोन सेवा बन्द हो गई थी। इससे तार सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा था।

(ख) 9 जुलाई, 1971 की रात को एम० जी० रोड और जी० टी० रोड के चौराहे के नजदीक दुर्गापुर स्टील एक्सचेंज और दुर्गापुर इंडस्ट्रीज एक्सचेंज को जोड़ने वाले 200 पेयर्स जंक्शन केबल काट कर चुराये गये थे। इनकी मरम्मत का काम 11 जुलाई, 1971 को रात के 12 बजे पूरा हुआ।

(ग) और (घ). इस चोरी की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों को कर दी थी। पिछले तीन महीनों में इस तरह की 144 घटनाएं हुईं। यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव की जानकारी में लाया गया ताकि वे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सतर्क करें और सुरक्षा की व्यवस्था करें। टूटे हुए केबलों की मरम्मत करके सेवा बहाल करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

**Civilian Rifle Training Scheme**

7666. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Civilian Rifle Training Scheme is being implemented in India ;

(b) if so, since when and the expenditure incurred on it so far ; and

(c) whether the services of the civilians, who receive rifle training, can be utilised during emergency ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Nivas Mirdha) :** (a) and (b). In pursuance of the resolution passed by the Lok Sabha on March 5, 1954, the Central Rifle Training Scheme was drawn up in May, 1954 and commended to State Govenments/Union Administrations for implementation. The Scheme is self-supporting and Central Government have not incurred any expenditure on it so far.

(c) The Scheme aims at building up a service of man-power whose training in wielding fire arms may be of use to the country in an hour of need; but the training received under the scheme does not involve any liability for compulsory service.

**टीपू सुल्तान की स्मृति में डाक टिकट**

7667. **श्री बालकृष्ण वेंकना नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर के टीपू सुल्तान की स्मृति में डाक टिकट किस तारीख तक जारी कर दिया जायेगा ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : टीपू सुल्तान की स्मृति में डाक-टिकट निकालने का सुझाव डाक-टिकट सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। उस समिति की सिफारिश पर ही डाक-टिकट का निकालना निर्भर है।

**मैसूर में सेवाओं के अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना**

7668. **श्री बालकृष्ण वेंकना नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार की कुछ सेवाओं के अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता के मामले भारत सरकार के पास अन्तिम रूप दिये जाने के लिए अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस संभावित तारीख तक पूरा किया जायेगा ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). मैसूर के अधिकारियों के वरिष्ठता-निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ मामलों की जांच की जा रही है और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

## भारत में जन-बोलियां

7669. **श्री बालकृष्ण वेन्कना नायक :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि देश में कुल कितनी जन-बोलियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश में और उत्तरी कनारा जिले में ऐसी कितनी-कितनी बोलियां हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन)** : (क) और (ख). इस रूप में "जन-बोलियों" के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या जनगणना में मातृ-भाषा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। 1971 की जनगणना के आंकड़े अभी तैयार किये जा रहे हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार समस्त देश में 1652 मातृ-भाषाएं और उत्तर कनारा जिले में 37 भाषाएं दर्ज की गई थीं।

## समाजवादी देशों के साथ व्यापार को नई दिशा

7670. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टर्लिंग पर दबाव और भारतीय कपड़े के बारे में ब्रिटेन के दृष्टिकोण के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए समाजवादी देशों के साथ व्यापार का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) हाल ही की घटनाओं को देखते हुए समाजवादी देशों सहित सभी देशों को हमारे निर्यात और आगे बढ़ाने का विचार है। निर्यात लक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें बढ़ाया जा रहा है तथा नई किस्मों/मदों, जिनका निर्यात इससे पहले नहीं होता था, को शुरू करके निर्यात उत्पादों का विविधीकरण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं यथा उचित दरों पर पर्याप्त कच्चे माल के संभरण पाना। सुरुचिपूर्ण माल की मांग को पूरा करने के लिए वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करना, बाजारों का पता लगाने, गवेषणा तथा प्रचार के माध्यम से बिक्री बढ़ाना।

## सुन्दरबन का विकास

7671. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिला के मुख्य भाग सुन्दरबन को अल्पविकसित क्षेत्र घोषित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने 24-परगना जिले के सुन्दरबन क्षेत्र को पहले ही पिछड़ा क्षेत्र अभिनिर्धारित कर रखा है ।

## Shops and Establishments Workers Bill sent by Bihar Government for President's Assent

7672. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have sent the Shops and Establishments Workers Bill to the President for his assent ;

(b) If so, the reasons for delay in giving assent to the Bill ; and

(c) the time by which the Bill is likely to be assented to by the President ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) :** (a) to (c). No such Bill has been received. However, the draft of the Bihar Shops and Establishments (Amendment) Ordinance was received for the prior instructions of the President. Certain suggestions have been communicated to the State Goverment for modification of the Ordinance. Their reply is awaited.

## मृत्यु दण्ड का समाप्त किया जाना

7673. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

**श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मृत्यु दंड समाप्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मृत्यु दंड को समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक को संसद् में कब तक पेश कर दिये जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । अधिकांश राज्य सरकारें मृत्यु दंड को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं ।

(ग) विधि आयोग ने मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के प्रश्न पर विवेक पूर्ण सोच विचार किया है और अपनी पैंतीसवें रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । रिपोर्ट अभी छप रही है । देश की वर्तमान स्थिति में विधि आयोग मृत्यु दण्ड को कायम रखने के पक्ष में है ।

## "फ्रेंड्स आफ ह्यूमैनिटी इन्टरनेशनल" की विदेश यात्राएं

7674. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सौ से अधिक भारतीयों ने 'फ्रेंड्स आफ ह्यूमैनिटी इन्टरनेशनल' के तत्वावधान के अन्तर्गत यूरोप, अमरीका और एशिया के 20 से अधिक देशों की जून-जुलाई, 1971 में यात्रा की थी ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस ग्रुप के सदस्यों को विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ग) क्या भारत सरकार की किसी अन्य एजेन्सी के प्रवर्तन निदेशालय ने इस ग्रुप की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में छापे मारे थे तथा तलाशी ली थी और यदि हां, तो छापे कहां मारे गये थे और क्या नतीजे निकले थे ; और

(घ) क्या 'फ्रेंड्स आफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल' के तत्वावधान में विदेशों में भेजे गये ग्रुपों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यात्रा विनियमों और विदेशी मुद्रा विनियमों के व्यतिक्रमण वाले गंभीर कदाचार सम्बन्धी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) से (घ). "फ्रेंड्स आफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल" नई दिल्ली, नामक एक संस्था के तत्वावधान के अन्तर्गत, जून-जुलाई, 1971 के दौरान करीब 96 व्यक्तियों के विदेश जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और इन व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया था, प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता के कतिपय स्थानों में तलाशी ली। इस तलाशी के परिणामस्वरूप कुछ कागजात कब्जे में आये हैं। इस मामले में आगे कार्रवाई चल रही है।

सरकार द्वारा संस्था के सदस्यों को उक्त भ्रमण के लिए विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

### कूच बिहार जिले (पश्चिम बंगाल) के दीवानहाट में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

7675. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कूच बिहार जिले में दीवानहाट के निवासियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वहां एक लघु टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाए अथवा कूच-बिहार टेलीफोन एक्सचेंज के साथ इस क्षेत्र को सीधे मिलाने वाली टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी मंजूरी मिल गई है और यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) उपलब्ध रिकार्डों से यह पता चलता है कि प्राइवेट टेलीफोन कनेक्शनों की मांग इतनी नहीं है जिससे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने में घाटा न हो।

(ख) एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से संभव और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हुआ तो इसे मंजूर कर दिया जाएगा। मंजूरी के बाद भी सामान की भारी कमी के कारण, यह योजना लागू करने में 24 महीने या इससे भी ज्यादा समय लग सकता है।

### पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभ्यावेदन

7676. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल में पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले की जनता के कुछ प्रतिनिधियों ने

पश्चिम बंगाल के पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आरोप उल्लिखित थे और जिसमें उस जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये भी सुझाव दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 अप्रैल, 1971 को श्री बी० के० दासचौधरी, संसद सदस्य, श्री सुनील कर भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री अरुण भट्टाचार्जी तथा अन्य कूच-बिहार में पुलिस अधीक्षक से मिले और विशिष्ट आपराधिक मामलों की जांच के सम्बन्ध में कूचविहार के स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये। आरोप की पुलिस अधीक्षक ने जांच की और जांच कानून के अनुसार की गई थी। कूचबिहार में कानून और व्यवस्था नियंत्रण में है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए सुझाए गये उपायों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

### समाचारपत्रों के मूल्य

7677. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के मूल्य निर्धारित करने के लिए हमारे देश में प्रकाशित होने वाले सभी स्टैंडर्ड आकार के दैनिक समाचारपत्रों के परिचालन, समाचारों, विज्ञापनों और पृष्ठों पर विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या हमारे देश में दैनिक समाचारपत्रों के मूल्य, पृष्ठों तथा अन्य विषयों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ग). सरकार को यह सलाह दी गई है कि दैनिक समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) आदेश लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अतः फिलहाल सरकार अन्य बातों के साथ साथ, समाचार-पत्रों के प्रबन्ध तथा स्वामित्व का फैलाव करने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रही है।

(ख) जी, हां। हमारे देश के दैनिक समाचारपत्रों के मूल्यों का पृष्ठों तथा अन्य बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

### दिल्ली टेलीफोन कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जमा राशि का लौटाया जाना

7678. **श्री डी० एन० महाता :**
**श्री शिवपूजन शास्त्री :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन कार्यालय, जमा राशि को लौटाने के सम्बन्ध में आवेदन के प्राप्त होने के बाद और धनराशि को लौटाने में सामान्यतया कितना समय लेता है ; और

(ख) क्या सब दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी महाराष्ट्र पेपर लिमिटेड (नई दिल्ली संवाददाता) की जमानत की जमा धनराशि को एक वर्ष बाद तक नहीं लौटाया गया है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) :** (क) अर्जी और आवश्यक कागजात प्राप्त होने के बाद इसमें एक से तीन महीने तक का समय लगता है। विवादास्पद मामलों में कुछ ज्यादा समय लगता है।

(ख) जी नहीं। 6 अक्तूबर, 1970 को जो कागजात मांगे गए थे, वे इस पार्टी ने अभी तक पेश नहीं किए हैं।

### परमाणु शक्ति आयोग तथा इलेक्ट्रोनिक्स के बीच तालमेल

7679. **श्री डी० एन० महाता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स आयोग की स्थापना से उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ; और

(ख) क्या इलैक्ट्रोनिक्स आयोग, परमाणु शक्ति आयोग के सहायक के रूप में कार्य कर रहा है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) फरवरी 1971 से, जबकि इसकी स्थापना हुई थी, इलैक्ट्रानिक्स आयोग की चार बैठकें हो चुकी हैं ;

(ख) जी हां।

### ब्लैक आउट अभ्यास की हिदायतों की उपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

7680. **श्री एम० एम० जोजफ :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जुलाई, 1971 को दिल्ली में किये गये ब्लैक आउट अभ्यास के लिये दी गई हिदायतों की उपेक्षा करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) :** (क) और (ख). सिविल सुरक्षा निदेशालय, दिल्ली ने अब तक 108 शिकायतें प्राप्त की हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

## साम्प्रदायिक तथा भ्रष्टाचार के मामलों का अध्ययन करने के लिये सब दलों की इंदौर में हुई बैठक

7681. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक मामलों का अध्ययन करने के लिये इंदौर में सब दलों की कोई बैठक अगस्त, 1970 में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर विचार तथा निर्णय किये गये ?

**गृह मंत्रालय और कर्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

### Functioning of two Post Offices at 100 Yards' Proximity in Bhagalpur District (Bihar)

7682. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether two Post Offices are operating in one Panchayat area (Madhurapur Panchayat) in Narayanpur Bazar in Bhagalpur District of Bihar ; and

(b) whether both the Post Offices are located at a distance of only 100 yards form each other?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) A Departmental Sub-Post Office and also an Extra-Departmental Branch Post Office are functioning in Madhurapur Gram Panchayat area of Bhagalpur District in Bihar.

(b) These two Post Offices are located at a distance of one furlong from each other.

Previously the Departmental Sub-Post Office was at Narayanpur village. But as the Post Office building was not suitable and it was not found possible to get any other alternative accommodation at Narayanpur, the office was shifted to the adjacent Madhurapur village. The question of taking the office back to Narayanpur village is being examined.

### Opening of Post Offices in Bhagalpur (Bihar)

7683. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to open Post Offices in Ganaul Maujma Gram Panchayat, Shahpur-Chauhaddi Gram Panchayat, Chakrami Gram Panchayat and Sonvarsa (Naya Tola) in Bhagalpur District in Bihar ; and

(b) if so, by what time ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna)** : (a) There is no proposal at present to open new post offices in the Gram Panchayats of Ganaul Mojama, Shahpur Chauhadi, Chakrami and Sonbarsa (Naya Tola) in Bhagalpur District of Bihar State.

(b) Does not arise in view of (a) above. It may, however, be mentioned that the villages of Ganaul Mojama and Chakrami are situated at a distance of only about one mile from Narainpur Sub-Post Office. Shahpur Chauhadi village is also situated in a close proximity with Narainpur Sub-Post Office and is now being served daily by that post office. The question of opening of post offices can be considered if the interested parties undertake to meet the entire loss of the post offices in advance. As regards opening a Post Office in Sonbarsa Gram Panchayat, there is already a branch post office at Sonbarsa which is serving this Gram Panchayat.

**Closure of Lattipur Post Office (Bihar)**

7684. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the local Inspector of the Post Offices has recommended to the District Superintendent for closing down the Post Office operating in Lattipur village in Bhagalpur District of Bihar ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the closure of the said Post Office would not aggravate the difficulties of the villagers ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) and (b). An extra departmental branch post office was opened at Lattipur on 28.2.70 by recovering Rs. 51.60 from the interested parties as a non-returnable contribution for the first year, as it was anticipated to run at a loss of Rs. 801.60 against the permissible limit of loss of Rs. 750/- borne by the P and T Department. It was, however, found that this Post Office would run at a loss of Rs. 1123.56 during the second year of its existence and the non-returnable contribution of the second year was due at Rs. 373.56, representing the margin over the permissible limit of loss. Since the interested parties were not willing to make this payment, the closure of this post office is now being considered.

(c) The 3 villages attached to this Post Office are now being served daily. It is proposed to maintain the present frequency of delivery of mails in these villages even after the closure of the Post Office at Lattipur. The Postmaster General, Bihar has also been advised to provide for daily clearance of letters from these villages.

**जम्मू और कश्मीर में स्थानीय जनता के रूप में पाकिस्तानी घुसपैठियों का गिना जाना**

7685. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू प्रान्त की जनसंख्या में दो लाख और श्रीनगर में लगभग 20 लाख की वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या स्थानीय समाचार-पत्रों ने बताया है कि जनसंख्या की इस वृद्धि में पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या कहा है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

सन् 1971 की जनगणना के अस्थाई परिणामों के अनुसार सन् 1961 की जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना में काश्मीर क्षेत्र में 549,844 और जम्मू क्षेत्र में 504,356 की बढ़ोत्तरी हुई है ।

(ख) ऐसी प्रेस रिपोर्ट के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है । आरोप गलत है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**Delay in Delivery of Dak in Towns and Villages**

7686. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to avoid the delay caused by Government and private vehicles in transportation of Dak ;

(b) whether any scheme has been formulated with a view to ensuring the use of only Post Office vehicles in towns and villages as is the practice in cities in this regard ;

(c) if so, the outlines thereof ; and

(d) the salary paid and other facilities provided to the Couriers ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) Mails are conveyed in the vehicles run by the State Transport Undertakings as well as private operators. Generally the private operators are required to execute an agreement with the Department for conveyance of mails which provides for a levy of a fine in the event of late running of vehicles. All instances of delay caused in transmission of mails by road buses are also taken up with the transport authrities concerned where necessary.

(b) There is no scheme for the present to introduce Departmental Mail Motor Service for conveyance of mails in towns and villages. This will be far too costly.

(c) Does not arise.

(d) There are no Couriers as such employed by the Department for conveyance of mails.

**Broadcast of Advertisements over All India Radio, Patna**

7687. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state whether there is any scheme to broadcast advertisements from the Patna Station of A.I.R. ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) :** No scheme has been formulated as yet. Market survey will be made in the course of this year after which a decision will be taken whether commercial advertisements should be introduced at the Vividh Bharati Centre at Patna.

**Advisory Committee for Patna Station of A. I. R.**

7688. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased o state when the Advisory Committee for the Patna Station of A. I. R. was constituted last and the names of its members ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) :** The term of the Programme Advisory Committee for Patna Station which was set up in July, 1966, has expired, and a new committee according to the revised constitution is being set up. Names of non-official members who will be included in this committee are given in the enclosed list.

**Statement**

List of the Names of Non-Official Members who will be included in the New Programme Advisory Committee to be Constituted

1. Dr. Kumar Bimal.
2. Dr. L. P. Vidyarthi.
3. Shri Subash Ch. Sarkar.
4. Shri G. B. Pant.
5. Dr. Ramakant Pathak.
6. Smt. Iziza Imam.
7. Dr. Shiv Narayan Singh.
8. Mrs. Kalavati Tripathy.
9. Prof. Rameshwar Singh Kasyap.
10. Swami Harinarayannanda.
11. Shri Kalam Haidri.

**I. C. S. Officers in Service**

7689. **Shri S. D. Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of I. C. S. officers in the country at present ;

(b) their number State-wise ; and

(c) the dates of their retirement ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) The number of members of the Indian Administrative Service who, prior to becoming such members, were members of the Indian Civil Service (including those seconded to the Indian Foreign Service) in service on the 1st January, 1971, is 97.

(b) and (c). Two statements giving the information are attached as Annexures 'A' and 'B'.

**Statement**

ANNEXURE—'A'

Cadre-wise Break-up of the Members of the Indian Administrative Service who, Prior to becoming such Members were Members of the Indian Civil Service (including those Seconded to the Indian Foreign Service) in Service on the 1st January, 1971

| State | .. | Number |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | .. | 4 |
| Assam | .. | 8 |
| Bihar | .. | 13 |
| Gujarat | .. | 6 |
| Haryana | .. | 6 |
| Kerala | .. | 3 |
| Madhya Pradesh | .. | 7 |
| Maharashtra | .. | 12 |
| Mysore | .. | 1 |
| Orissa | .. | 1 |
| Punjab | .. | 4 |
| Tamil Nadu | .. | 4 |
| Uttar Pradesh | .. | 20 |
| West Bengal | .. | 8 |
| Total | .. | 97 |

ANNEXURE—'B'

Number of Members of the Indian Administrative Service who, Prior to becoming such Members were Members of the Indian Civil Service (Including those Seconded to the Indian Foreign Service), in Service on the 1st January, 1971 and retiring during the Years 1971-1979

| Year | | Number |
|---|---|---|
| 1971 | — | 11 |
| 1972 | — | 19 |
| 1973 | — | 10 |
| 1974 | — | 13 |
| 1975 | — | 9 |
| 1976 | — | 13 |
| 1977 | — | 10 |
| 1978 | — | 6 |
| 1979 | — | 6 |
| | Total | 97 |

**समाचार-पत्रों के फोटोग्राफरों द्वारा प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन**

7690. **श्री राम कंवर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाचार-पत्रों के मान्यता प्राप्त फोटोग्राफरों ने प्रेस सूचना विभाग, प्रधान मंत्री के सचिवालय और सुरक्षा व्यवस्था करने वाले अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के चित्र खींचने के सम्बन्ध में मनमर्जी वाला रवैया अपनाये जाने के विरुद्ध कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक 6 जुलाई, 1971 में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का हमेशा ही यह प्रयत्न रहा है कि प्रत्यायित न्यूज कैमरामैनों को चित्र लेने क लिए सभी सम्भव सुविधायें दी जाएं। उनकी जो भी उचित कठिनाइयां होंगी, उनका समाधान करने के लिए सरकार तुरन्त पूरा ध्यान देगी।

**कलकत्ता में डाकघर पर आक्रमण**

7691. **श्री राम कंवर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उग्रवादियों ने 14 जुलाई, 1971 को कलकत्ता के एक डाकघर पर आक्रमण किया था ; और

(ख) सरकारी सम्पत्ति आदि को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी हां, उत्तर कलकत्ता डिवीजन के सतचासी-पारा उप-डाकघर पर 13 और 14 जुलाई, 1971 के बीच की रात को हमला किया गया था।

(ख) आग से डाकघर के कुछ फर्नीचर, रिकार्ड और फार्म क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए थे। तथापि रोकड़ या डाक टिकटों की कोई हानि नहीं हुई थी।

**Anti-dacoit Campaign in Madhya Pradesh**

7692. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of dacoits arrested and killed in encounters and the details of the material and guns seized from them in Madhya Pradesh during the anti-dacoit campaign launched there ; and

(b) whether some persons kidnapped by dacoits were also freed by the Police from the clutches of the dacoits ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) :** (a) and (b). The required information is being obtained from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

**कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र के जयपुर को परमाणु ऊर्जा की सप्लाई**

7693. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर को दिसम्बर, 1971 तक कोटा स्थित, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से परमाणु ऊर्जा प्राप्त हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) इस बात की आशा है कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट सन् 1972 की पहली तिमाही में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेगा। क्रान्तिकता प्राप्त करने के सम्भवतः कुछ महीने बाद यह पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करने लगेगा। सारी उत्पादित बिजली राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को, जो राजस्थान में बिजली के वितरण के लिए उत्तरदायी है, सप्लाई कर दी जायेगी।

(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का निर्माणकार्य गत वर्ष घोषित किये गये निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 3 महीने पिछड़ गया है।

(ग) निर्माणकार्य सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण यह विलम्ब हुआ है।

**सामुदायिक टेलीविजन सेट**

7694. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीविजन का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गन्दी बस्ती और सार्वजनिक स्थान पर एक सामुदायिक सैट लगाया जाये जिससे टेलीविजन से वंचित लोग टेलीविजन पर खेल-कूद, फिल्में या राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं देख सकें ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : (क) जी, हां । दिल्ली के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए टेलीविजन का शिक्षा के माध्यम के रूप में पहले ही उपयोग किया जा रहा है और नए टेलीविजन केन्द्रों के लिए भी इसी प्रथा को अपनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) दिल्ली में की गई वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, स्कूल पाठ्यक्रम से सीधे सम्बन्धित पाठों को प्रातः तथा दोपहर में टेलीकास्ट किया जाता है । ये पाठ भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, समाज विज्ञान और गणित पर होते हैं । इनका लक्ष्य कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई की पूर्ति करना है ।

(ग) तथा (घ). दिल्ली में सामुदायिक रूप से देखे जाने के लिए जिन स्थानों पर टेलीविजन सेट लगाए गये हैं, वहां 150 टेली-क्लबें गठित की गई हैं । इन स्थानों में श्रमिक शिक्षा केन्द्र, अस्पताल तथा ऐसी बस्तियां शामिल हैं जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं ।

## हुगली जिले में एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु

7695. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसबेरिया, हुगली जिले (पश्चिमी बंगाल) में किसी गुन्डे ने छुरा मार कर एक बैंक कर्मचारी, श्री सुधाकर चौधरी की मृत्यु कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार 9 जुलाई, 1971 को कुछ बदमाशों द्वारा, जिनके नक्सलपंथी होने का संदेह था, कुदरानी रोड, बांसबेरिया (हुगली) के श्री सुधाकर चौधरी नामक व्यक्ति की छुरा मार कर मृत्यु कर दी गई । पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । जांच-पड़ताल जारी है ।

## बेरोजगार इंजीनियरों के सहकारी प्रयासों द्वारा ट्रान्समीटरों का निर्माण

7696. **श्री दामोदर पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विदेशों से प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये के मूल्य के ट्रांसमीटर आयात करता है ;

(ख) क्या हमारे देश में बेरोजगार इंजीनियर ट्रांसमीटर के अलग-अलग कई पुर्जे और सम्पूर्ण सैट भी बनाने में समर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन बेरोजगार इंजीनियरों के संयुक्त प्रयत्नों से देश में ही सैट बनाने पर विचार कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). देश में उपलब्ध तकनीकी कुशलता का उपयोग करना तथा अधिकतम सीमा तक वायर लैस उपकरण, आदि के निर्माण को देश में बढ़ावा देने की भारत सरकार की सुदृढ़ नीति है ।

**देश में रिवाल्वरों का असैनिक उपयोग हेतु निर्माण**

7697. **श्री दामोदर पांडे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले रिवाल्वरों का देश में निर्माण नहीं हो रहा है और उनके आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे रिवाल्वरों के निर्माण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) मार्च, 1971 तक रिवाल्वरों समेत हथियार आयात करने की अनुमति नहीं थी परन्तु लोगों को रिवाल्वर आयात करने की अनुमति या तो सामान के एक भाग के रूप में या उपहार योजना के अन्तर्गत थी । देश में पिस्तौल / रिवाल्वरों का उत्पादन न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक की लाइसेंस अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित आयात-कर्ताओं को लगभग 4 लाख रुपयों के मूल्य के बहुत थोड़े कोटे का लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) आयुध कारखानों में जनता के प्रयोग के लिए .32 पिस्तौलें बनाने का प्रस्ताव है ।

**सरकार द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को अपने अधिकार में लिया जाना**

7698. **श्री वयालार रवि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापनों के वितरण के अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से देश में विज्ञापन एजेंसियों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**बीरभूम (पश्चिम बंगाल) के डाकघरों के लिये सरकारी इमारतें**

7699. **श्री गदाधर साहा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाखा पोस्टमास्टर बीरभूम, पश्चिम बंगाल के निजी मकान में स्थित शाखा डाक-घरों के लिये इमारतें बनाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं और उक्त शाखा डाकघरों के लिये किन किन स्थानों पर इमारतें बनाने का प्रस्ताव है ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) शाखा डाकघर ज्यादातर विभागेतर डाकघर हैं। विभागेतर डाकघरों के लिये विभागीय इमारतें नहीं बनाई जातीं। इनके पोस्टमास्टरों से यह आशा की जाती है कि वे स्वयं ही इनके लिये स्थान की व्यवस्था करेंगे।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**सेंसर प्रमाणपत्र की प्राथमिकता तिथि के अनुसार चलचित्र को रिलीज करना**

7700. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित फिल्म निर्माता-राज्यों में सेंसर के प्रमाणपत्र की प्राथमिकता तिथि के अनुसार, देश भर में, चलचित्र रिलीज करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तथा किस रीति से की जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ख). प्रश्न सम्भवतया सिनेमाओं में फीचर फिल्मों के रिलीज किये जाने के बारे में है। फीचर फिल्मों का निर्माण गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में है। इसी प्रकार इन फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण भी उन्हीं के हाथों में है। किसी सिनेमाघर में फिल्म रिलीज करने के बारे में निर्णय सरकार से पूछे बिना एक ओर प्रोड्यूसर तथा वितरक और दूसरी ओर प्रदर्शक के बीच होता है। इस बारे में भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फिल्मों का प्रदर्शन राज्य विषय है।

**पूर्वी क्षेत्र के लिये चलचित्र वित्त निगम की शाखा**

7701. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के लिये चलचित्र वित्त निगम की एक अलग शाखा स्थापित होगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ख). फिल्म वित्त निगम अपना एक शाखा कार्यालय कलकत्ता में खोलने पर उस समय विचार करेगा जब वह अपने प्रदर्शन तथा वितरण कार्य को शुरू करने के प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे देगा।

**पश्चिम बंगाल में अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाने वाली वस्तुएं**

7702. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पटसन, चाय और तम्बाकू में से अधिकतम विदेशी मुद्रा किस वस्तु की बिक्री से प्राप्त होती है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** पटसन का सामान, श्रीमान जी।

**पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा हरिजनों के लिये रखी गई सरकारी भूमि पर कृषि फार्म की स्थापना**

7703. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विघटित पंजाब विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने यह आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार के कुछ प्रभावकारी अधिकारियों ने मूलतः हरिजनों के लिये रखी गई सरकारी भूमि पर बड़े कृषि फार्म स्थापित कर लिये हैं ;

(ख) क्या समिति ने यह मांग की थी कि सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**कनाडा की कम्पनियों द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई**

7704. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की अखबारी कागज कम्पनियों और उनके उत्पादन संघ भारत को अखबारी कागज की सप्लाई के मामले में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं ;

(ख) क्या कनाडा की उक्त फर्म ने अनेक भारतीय समाचार पत्रों को बता दिया है कि उन्होंने व्यापार निगम से कोई करार नहीं किया है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के घोटाले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने उन्हें एक पत्र भेजा है ; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) राज्य व्यापार निगम, अखबारी कागज की खरीद के लिए एकाकी पूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत करता रहा है और कनाडा के पूर्तिकर्ताओं से चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज का आयात करने तथा दीर्घकालीन अवधि के आधार पर भी कुछ अखबारी कागज को आयात करने हेतु पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। खरीदारी सम्बन्धी विनिश्चय, राज्य व्यापार निगम की अखबारी कागज क्रय समिति द्वारा किये जाते हैं, इस समिति में सूचना व प्रसारण मंत्रालय का भी प्रतिनिधि है ।

(ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ). इस विषय पर विदेश व्यापार मंत्रालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था, चूंकि यह विषय इन दोनों मंत्रालयों से सम्बन्धित था । दिन प्रति दिन के मामलों के सम्बन्ध में सरकार के ऐसे आन्तरिक परामर्शों को प्रकट करना देश के बेहतर हित में नहीं है ।

## सरकारी विभागों के सचिवों की नियुक्ति

7705. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पर्सोनल डिपार्टमेंट में एक सचिव की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या संस्कृति, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभागों में अलग-अलग सचिव नहीं होंगे ; और

(ग) क्या आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने यह धमकी दी है कि यदि उन्हें किसी अन्य विभाग का योजना आयोग में स्थानान्तरित किया गया तो वह अपना पद तथा देश भी छोड़ जायेंगे ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) उपर्युक्त अधिकारी का प्रवरण किया जाना विचाराधीन है।

(ख) संस्कृति विभाग, शिक्षा तथा सामाजिक-कल्याण मन्त्री के अधीन अस्थायी रूप से है। शिक्षा विभाग के सचिव संस्कृति विभाग के कार्य की देखभाल कर रहे हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में एक अवर सचिव ने कार्य-भार सम्भाल लिया है।

(ग) अर्थ विभाग के सचिव के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं रहा है।

## आकाशवाणी के महानिदेशक और प्रेस सूचना विभाग के प्रमुख के पदों पर नियुक्त नये अधिकारी

7706. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के महानिदेशक और प्रेस सूचना विभाग के प्रमुख पदों के लिये नये अधिकारियों का चयन कर लिया है ; और

(ख) उनके चयन की कसौटी क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :** (क) प्रधान सूचना अधिकारी का पद, जो पहले के पदधारी के सेवानिवृति हो जाने के कारण खाली हुआ था, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर तथा भर्ती नियमों के अनुसार भरा जा चुका है। आकाशवाणी महानिदेशक का पद वर्तमान पदधारी के सेनानिवृत होने पर अगस्त के उत्तरार्ध में खाली होने वाला है। इस पद के लिए अधिकारी का चयन भर्ती नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) दोनों पदों के भर्ती नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०-885/71**]

## पश्चिम बंगाल में हिंसक कार्यवाही निरोध अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारियां

7707. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान 1970 में हिंसक कार्यवाही निरोध

अधिनियम के अन्तर्गत 1971 में मिली जुली सरकार के समय और 1971 में राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत, 31 जुलाई, तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें जेलों में किन डिवीजनों में रखा गया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

**टी गार्डन स्टाफ और सब स्टाफ एसोसियेशन, दार्जिलिंग की मांगों की कार्यान्विति**

7708. **श्री सरोज मुखर्जी** :
**श्री रतन लाल ब्राह्मण** :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टी गार्डन स्टाफ और सब स्टाफ एसोसियेशन, दार्जिलिंग द्वारा पिछले वर्ष दिये गये मांग पत्र की धाराएं कार्यान्वित नहीं की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**

7709. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में 7 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख). जी नहीं।

**समुद्री उत्पादों के निर्यात में केरल का भाग**

7710. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में समुद्री उत्पादों के निर्यात में केरल का प्रमुख भाग है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख). केरल में स्थित पत्तनों से अधिकतम निर्यात किये जा रहे हैं। ऐसे निर्यातों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

| **वर्ष** | **मात्रा** (मे० टन में) **मूल्य** (हजार रुपये में) | **कुल प्रतिशत** |
|---|---|---|
| 1968-69 | मात्रा : 18481 | (68.93) |
| | मूल्य : 202451 | (81.97) |
| 1969-70 | मात्रा : 22272 | (70.27) |
| | मूल्य : 272291 | (81.38) |
| 1970.71 | मात्रा : 23896 | (66.59) |
| | मूल्य : 275651 | (78.59) |
| 1971-72(अप्रैल-जून) | मात्रा : 5593 | (60.31) |
| | मूल्य : 65753 | (73.03) |

इन निर्यात आकड़ों में निर्यात के लिए पड़ौसी राज्यों में साधित की गई कुछ मात्रा शामिल है।

## काजू के बागान के विकास का प्रस्ताव

7711. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय के समक्ष काजू बागान के विकास का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने काजू वर्षवार आयात किये गये और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(ग) भारत को काजू में आत्म निर्भर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि योजना के अन्त में काजू के 1,31,000 मीट्रिक टन देसी उत्पादन की तुलना में उसकी मांग 3,50,000 मीट्रिक टन होगी। चौथी योजना में कच्चे काजू के वार्षिक उत्पादन को लगभग 76,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाकर इस अन्तर को कुछ कम कर देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में मूल रूप से राज्य क्षेत्र में 5.21 करोड़ रुपये की तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। हाल ही में योजना आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में काजू की बागानी के विकास के लिए एक करोड़ रुपये के परिव्यय का एक काजू कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है। अन्य जो मुख्य विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

( 1 ) वर्तमान बागानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन-कार्यक्रम।

( 2 ) सधन-प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था।

( 3 ) वर्तमान बागानों में उत्पादन की शीघ्र वृद्धि की दृष्टि से सघन पौधा-संरक्षण उपायों का किया जाना।

(ख) पिछले तीन वर्षों में हुए काजू-आयात तथा उस पर हुए विदेशी-मुद्रा के व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | आयात (हजार मीट्रिक टन) | मूल्य (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1968-69 | 195 | 3137 |
| 1969-70 | 163 | 2760 |
| 1970-71 | 168 | 2925 |

**Economy in Consumption of Water and Electricity in Government Offices**

7712. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether water and electricity go waste daily in the Government offices, establishments and other places ; and

(b) if so, whether Government propose to take any measures to check it in order to effect economy ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin)** : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise. However instructions are being issued to all concerned to ensure that there is no wastage in the consumption of water and electricity.

**पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों की हत्या और आतंक की राजनीति**

7713. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री ज्योति बसु तथा श्री हरिकृष्ण कोनार द्वारा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की ओर से श्री सिद्धार्थ शंकर राय को लिखे गये पत्र में आतंक की राजनीति और व्यक्तियों की हत्याओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) हत्याओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने 5 जुलाई को पश्चिम बंगाल की भंग विधान सभा के सभी राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया था, जिसके उत्तर में सर्वश्री ज्योति बसु तथा हरिकृष्ण कोनार ने स्थिति का मूल्यांकन बताते हुए 7 जुलाई को जवाब भेजा और विचार विमर्श में भाग लेने की इच्छा भी व्यक्त की। विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने समस्या के प्रत्येक पहलू पर 7,19,20 और 30 जुलाई को विचार किया। अन्त में उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त किसी के द्वारा भी की गई हत्या और आतंक की साफ तौर पर निन्दा की और निर्णय किया कि हत्या और आतंक का सभी दल मिल कर विरोध करेंगे और रोकेंगे।

(ग) इस सदन में 28-7-1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6183 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। हत्या के सभी मामलों की कानून के अनुसार जांच की जाती है, ताकि अपराधी को सजा दी जाय।

## एडवर्ड टैक्सटाइल मिल, बम्बई का बन्द होना

7714. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार वर्षों से बन्द पड़ी एडवर्ड टैक्सटाइल मिल के बन्द पड़े रहने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस मिल के बन्द होने से कितने कामगार बेकार हो गये हैं ;

(घ) क्या नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के माध्यम से उस मिल को अपने नियंत्रण में लेने का सरकार का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिल कार्य कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं।

## विदेशों में भारतीय फल और सब्जियों को लोकप्रिय बनाने के लिये मेलों का आयोजन

7715. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने विदेशों में कितने मेलों का, विशेषतः भारतीय फल एवं सब्जियों को लोकप्रिय बनाने के लिये आयोजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मेले कब और कहां पर हुए और उनमें कितने भारतीय सब्जी उत्पादकों ने और भावी विदेशी-ग्राहकों ने भाग लिया ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि केनिया, यूरोप के बाजारों में वनस्पति उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये सफलतापूर्वक प्रयत्न कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वनस्पति के निर्यात के लिये ऐसे तरीकों को क्रियान्वित करने का अध्ययन किया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) और (ख). विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों के कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप को देखते हुए डिब्बा बन्द भारतीय सब्जियों तथा फलों को प्रदर्शित किया जाता है।

विदेशों में बहु विभागीय भंडारों के माध्यम से भारतीय निर्यातों के संवर्धन की योजना के अन्तर्गत, 7-28 फरवरी, 1969 की अवधि के दौरान ज्यूरिख (स्विटजरलैंड) में खाद्य उत्पादों, सब्जियों, फलों और फूलों के लिए एक विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। डिब्बा बन्द खाद्य तथा फल उत्पादों के अलावा इस प्रदर्शन में यादवेन्द्र, एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लि०, नई दिल्ली द्वारा भेजे गए फल तथा ताजी सब्जियां भी प्रदर्शित की गईं। इस प्रदर्शनी ने भारतीय निर्यातकों और मिग्रोस डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यूरिख के वृहत संगठन के बीच क्रेता-विक्रेता सम्पर्क स्थापित करने के लिए अवसर प्रस्तुत किये।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है।

**उपग्रह प्रसारणों को प्रसारित करने के लिये टेलीविजन सैटों का निर्माण**

7716. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में इस समय निर्मित किये जा रहे टेलीविजन सैट उपग्रह प्रसारणों को पकड़ने में समर्थ होंगे अथवा इसके लिए अन्य सैटों की आवश्यकता होगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : सामान्य रूप से यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि साधारण टेलीविजन सैट उस टेलीविजन कार्यक्रम को पकड़ने में समर्थ हो सकें जो कि उपग्रहों द्वारा प्रसारित किये जायेंगे। यदि इन सैटों में एक छोटा ऐंटेना और सामने के सिरे पर एक संपरिवर्तक का आवर्धन कर दिया जाय जो कि अपेक्षाकृत सूक्ष्मसंकेतों को प्राप्त कर सकेंगे जिसे आर्धमिश्रित आवृति कहते हैं और जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वैंसी बैंड से अत्यधिक हाई फ्रीक्वैंसी में बदली जा सकेगी, और साथ ही आदाम-आर्धमिश्रण में भी तभी उपग्रह द्वारा टी० वी० प्रसारणों को इन साधारण रूप में प्रयोग आने वाले टेलीविजन सैटों पर देखा जा सकेगा।

**अराजकता, हत्याओं और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के मामले**

7717. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के एक भाग में बढ़ती हुई अराजकता, बार-बार होने वाली हत्याओं एवं निरन्तर होने वाली तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे संगठनों अथवा राजनीतिक दलों पर नये कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगायेगी जो ऐसी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : सरकार पश्चिम बंगाल में हत्या तथा हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। उस राज्य में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। फिर भी, नक्सलवादी किस्म की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने वाले राजनैतिक दलों पर पाबन्दी लगाने के लिए विधान बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

**सूचना सेवाओं द्वारा अधिक प्रचार सम्बन्धी मांग का पूरा किया जाना**

7718. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० आई० बी० सहित हमारी सूचना सेवाएं लोगों की प्रचार सम्बन्धी अधिक मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

(ख) क्या सरकार अपनी सूचना सेवाओं के ओवरहाल अथवा पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं। सरकार इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं देखती कि सूचना सेवाएं अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ हैं।

(ख) सूचना माध्यमों के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने और सामान्यतया उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के ध्येय से उनके कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

**प्रभा मिल्स, वीरामगाम (गुजरात) के कार्य के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट**

7719. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रभा मिल्स, वीरामगाम (गुजरात) के कार्य की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश व्यापार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) समिति का विचार है कि उपक्रम आर्थिक रूप में चलने योग्य एकक है जो कि मच्छर-दानियों का गोल जालीदार कपड़ा बना रहा है तथा यह सिफारिश की है कि इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिए ।

**प्रभा मिल्स लिमिटेड, विराम गाम (गुजरात) का बन्द किया जाना**

7720. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरामगाम, गुजरात की प्रभा मिल्स लिमिटेड के सब विभागों के मई, 1968 में बन्द हो जाने के कारण लगभग 2,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) उक्त मिल को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) मिल को नवम्बर 1970 में बन्द कर दिया गया और इससे 2400 कर्मचारी प्रभावित हुए ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई एक अन्वेषण समिति द्वारा मिल की पहले ही जांच की जा चुकी है और समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

**दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में चन्द्रचूड़ जांच आयोग पर किया गया व्यय**

7721. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसंघ के नेता श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के सम्बन्ध में चन्द्रचूड़ आयोग द्वारा की गई जांच पर सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** आयोग के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर और गवाहों आदि के यात्रा भत्तों पर 73,941.38 रुपये खर्च हुये थे ।

**महात्मा गांधी की हत्या की जांच पर किया गया व्यय**

7722. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी की हत्या की जांच करने वाले आयोग पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) मामले की और आगे जांच के लिये और कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख). आयोग के अध्यक्ष और उसके कर्मचारियों के वेतन व भत्तों और गवाहों आदि के यात्रा भत्तों पर 1,84,165.18 रुपये खर्च हुये। आगे खर्च होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आयोग ने अपना कार्य समाप्त कर दिया और 30 सितम्बर, 1969 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

**निर्यातार्थ तैयार प्रत्येक मीटर कपड़े पर भारत में निर्मित छाप**

7723. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े के प्रत्येक मीटर पर निर्माण करते समय ही "भारत में निर्मित" की छाप लगाने के लिये सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ताकि उन देशों में उनकी बिक्री के मामले में विद्यमान कदाचारों को रोका जा सके ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** सरकार को कोई ऐसी सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि भारत में निर्मित वस्त्रों पर किसी अन्य देश के उद्भव का नाम अंकित किया और उन्हें बेचा जा रहा है। फिर भी कपड़े की किनारी के प्रत्येक मीटर पर मोहर लगाने की पद्धति श्रीलंका को निर्यातित कतिपय प्रकार के वस्त्रों के हमारे निर्यातों के सम्बन्ध में प्रचलित है।

**केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें**

7724. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों पर इस आधार पर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम क अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये कि उनकी अस्तियां उनके आय के जानकार साधनों के अनुपात में अधिक थीं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). 4-8-1969 से 3-8-1971 तक 2 वर्ष की अवधि के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आर्डिनेन्स फैक्टरी के एक भूतपूर्व सहायक महानिदेशक और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के एक भूतपूर्व सहायक कलेक्टर को इस तथाकथित आरोप में अभियोजित किया है कि उनके पास इतनी सम्पत्ति थी जो उनके आय के जानकार साधनों के अनुपात में अधिक थी।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर पदोन्नति के लिये तालिका**

7725. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के सेलेक्शन ग्रेड पदों पर पदोन्नति के लिये जो तालिका 1970 में बनायी जानी थी, उसकी घोषणा कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि चयन सूची समय पर तैयार की जाये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सिब्ब बन्दी बोर्ड के एक या दो सदस्य चयन सूची को अन्तिम रूप देने के लिये बोर्ड की बैठक में भाग नहीं लेते ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि केवल उन्हीं अधिकारियों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाये जो इस कार्य के लिये समय दे सकें ?

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) वर्ष 1970 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड की चयन सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और बहुत शीघ्र इसके जारी होने की आशा है ।

(ख) वर्ष 1970 की चयन सूची को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ है, क्योंकि इसने चयन सूची की संख्या को निश्चित करने, चयन समिति के गठन करने के लिये विनियमों में संशोधन करने में समय लिया और इसने विचार के लिये निर्धारित क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर विचार करने में भी समय लिया । अब सरकार ने इस प्रकार की चयन सूचियों को तैयार करने और जारी करने के लिये समय-सूची निर्धारित कर दी है ।

(ग) जी, नहीं श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**विभागीय पदोन्नति समिति**

7726. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा का कोई भी अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति का, जो सेलेक्शन ग्रेड सेवा में पदोन्नति के लिये चयन करती है, सदस्य नहीं है ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय सेवा के श्रेणी I के सब अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भागं (क) और (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के मामले में उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) . श्रेणी I को समस्त केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । तथापि, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय सुरक्षा लेखा-सेवा, राजस्व-सेवा और भारतीय डाक-

सेवा के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि सम्बन्धित सेवा के सदस्य संघ लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के अतिरिक्त, विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड में उप-सचिव और उसके समकक्ष पद शामिल हैं, जो वरिष्ठ प्रशासनिक पद होने के कारण, भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि जैसी अन्य सेवाओं से लिये गये अधिकारियों को भी काम पर लगाया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड के लिये प्रवर सूचियां केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जाती हैं और उनके अधीन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से 1964 में पदोन्नति विनियम जारी किये गये। विनियमों में साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रवर सूची तैयार करने के लिये बनी प्रवर समिति में अध्यक्ष के रूप में कार्मिक विभाग का सचिव, भारत सरकार के तीन अन्य सचिव और स्थापन अधिकारी सदस्यों के रूप में होंगे। प्रवर समिति का गठन, उस केन्द्रीय स्थापन बोर्ड की पद्धति की पुष्टि करता है, जिसकी सिफारिश पर केन्द्र में उप-सचिव और उसके समकक्ष सभी पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सम्बन्ध में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

### मेंथोल का आयात

7727. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दाने अथवा तेल रूप में मेंथोल की कितनी मात्रा विदेशों से आयात की गई।

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** गत वर्ष अर्थात् 1970-71 (अप्रैल 1971 से जनवरी 1971 तक) में 147 किग्रा मेंथाल का आयात किया गया था और वह भी केवल फ्रांस से। जनवरी 1971 के पश्चात् के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। मेंथाल के दाने (क्रिस्टल) तथा तेल (लिक्विड) के रूप में आयात के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### पी० एम० जी० सर्कल उड़ीसा में एल० एस० जी० मोनिटरों के रिक्त स्थान

5728. **श्री आनन्दी चरण दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टमास्टर जनरल सर्कल उड़ीसा में लोवर सेलेक्शन ग्रेड मोनिटरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) कितने समय से यह पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) कितने कर्मचारी इन पदों पर स्थानापन्न रूप में काम कर रहे हैं ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) उड़ीसा सर्किल में लोवर सेलेक्शन ग्रेड (मानीटरों) के दस पद खाली पड़े हैं।

(ख) तीन पद एक वर्ष से कम समय से, चार पद दो वर्ष से कम समय से और तीन पद तीन वर्ष से कम समय से खाली पड़े हैं।

(ग) इन पदों के लिये चुने गये कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिये स्थानीय व्यवस्था करके इन पदों पर आठ कर्मचारियों को स्थानापन्नरूप से काम पर लगाया गया है।

**Provision of Telephone Facilities in Dacoit-Infested Areas of Madhya Pradesh**

7729. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are some important places and towns in Bhind, Morena, Gwalior and Guna Districts in Madhya Pradesh where Telephone facilities have not been provided ;

(b) the said areas being dacoit-infested areas, whether Government are considering to provide Telephone facilities immediately in major towns which can be helpful in eradicating dacoit menace there ; and

(c) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) Telephone facility is normally provided at a place having a post office if the scheme works out to be remunerative. However, in order to extend this facility to undeveloped areas a policy has been evolved by the department according to which telephone facility can be provided even on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general telecommunication network. Limited number of Pilgrim centres, Tourist centres and Agriculture and Irrigation Projects sites and Townships are also considered for provision of telephone facility on loss basis.

If a place does not fall under any of the categories mentioned above and the proposal to provide telephone facility there is unremunerative, the facility can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the department against the anticipated loss.

All the important stations in Bhind, Morena, Gwalior and Guna districts of Madhya Pradesh have already been provided with telephone facility.

(b) Dacoit infested areas as such can be provided with telephone facility either on the basis of remunerativeness or on the rent and guarantee basis if State Government is willing to indemnify the department against the anticipated loss separately in each case.

(c) Question does not arise.

**Telephone in Porasa Town of Madhya Pradesh**

7730. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Telephone facilities have not been made available in Porasa town in Morena District of Madhya Pradesh ;

(b) whether Government are considering a scheme to make Telegraph and Telephone facilities available in that town during the financial year 1971-72 ; and

(c) if so, the time by which this scheme is likely to be finalised ?

**The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :** (a) No telephone facility has yet been provided at Porsa in Morena district of Madhya Pradesh.

(b) Telegraph facility exists at Porsa. A proposal to open a telephone exchange at Porsa is under consideration.

(c) Opening of the exchange will involve construction of 50 km of line to Morena. Due to acute shortage of A. C. S. R. wire and besides limited funds available it will be difficult to give any time frame for implementation of the proposal.

### आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

7731. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र (प्रसारण विभाग) में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अस्थायी हैं और कितने कर्मचारियों को वर्गवार स्थायी घोषित कर दिया गया है, और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने और 80 प्रतिशत अस्थायी पदों जो कि तीन वर्षों से अधिक समय से विद्यमान हैं, स्थायी पदों में बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के बारे में प्रति वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है तथा उन अस्थायी पदों, जो 3 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान हों और जो लम्बी अवधि के लिये रखे जाने आवश्यक हों, में से 80 प्रतिशत पद स्थायी घोषित किये जाते हैं। पीछे किये गए पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, इस प्रकार के आदेश जुलाई, 1970 में जारी किये गये थे। 1 मार्च, 1971 के दिन की कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अगला पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

### प्रसारण विभाग के कर्मचारियों के लिये यूनियन

7732. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रसारण विभाग के कर्मचारियों को अपनी यूनियन बनाने की अनुमति दे दी गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत, कर्मचारियों को अपनी यूनियनें बनाने के लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

### मछली के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

7733. **श्रीमती विभा घोष** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 से 1970 के दौरान मछली के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : 1968-69 तथा 1969-70 के वर्षों के दौरान मछली तथा मछली से बनी चीजों के हुये कुल निर्यात निम्नलिखित थे :

| वर्ष | मूल्य |
|---|---|
| 1968-69 | 22.17 करोड़ रु० |
| 1969-70 | 30.83 करोड़ रु० |

## इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की बैठक

7734. **श्री के० मालन्ना :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री एम० एम० हाशिम :**

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की बैठक 19 जुलाई, 1971 को हुयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) और (ख) . इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और इस्पात तथा खान व विदेश व्यापार मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 19 जुलाई, 1971 को हुई थी। बैठक में कोई विनिश्चय नहीं किया गया था। तथापि, इस्पात की कमी की समस्या, जिससे निर्यात उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है, और इसकी पूर्ति से सम्बन्धित अन्य क्रियाविधि सम्बन्धी मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

## सेंसर बोर्ड के वैतनिक सदस्य

7735. **श्री के० गोपाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर बोर्ड पर वैतनिक सदस्य रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ख) . फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश पूरे समय के लिये काम करने वाले 20 वैतनिक सदस्यों वाला एक स्वतन्त्र स्वावलम्बी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापित करने के बारे में है। जांच समिति की अन्य सिफारिशों के साथ यह सिफारिश भी सरकार के विचाराधीन है।

## श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति के लिये इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के लिये परीक्षा

7736. **श्री वयालार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1968 में टेलीग्राफ सुपरवाइजरों की श्रेणी-II के पदों पर पदोन्नति के लिये परीक्षा ली थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने परीक्षा पास की थी ; और

(ग) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई है ?

**संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** (क) जी हां।

(ख) 343।

(ग) 25। चुने गए उम्मीदवारों की सूची में 62 नाम और हैं, जिनकी पदोन्नति रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर की जाएगी। परीक्षा में जो उम्मीदवार क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके नामों पर विभागीय पदोन्नति समिति विचार करके पदोन्नति के लिए नाम सुझाती है और तभी पदोन्नति की जाती है। इसलिए 'क्वालिफाई' कर लेने वाले उम्मीदवारों की तब तक पदोन्नति नहीं की जाती जब तक विभागीय पदोन्नति समिति उन्हें चुन न ले।

**Pak Nationals engaged in Spying Activities and involved in a Murder Case in District Bulandshahr (Uttar Pradesh)**

7737. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that three Pakistani nationals named Iftikhar Ahmed, Nasir and Ali Hasan are over staying in India and they are probably engaged in spying here ;

(b) whether Government are also aware that these Pakistanis are reported to be involved in an incident of murder of eight persons on the 17th June, 1971 in village Dewali, District Bulandshahr, Uttar Pradesh according to the news item appearing in 'The Times of India' dated the 22nd June, 1971 ;

(c) whether Government have conducted any inquiry against them and arrested them on the charges of murder and spying ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :** (a) to (d). According to information furnished by the Government of Uttar Pradesh, Shrimati Raunaq Nisa, a widow, entered India with a valid Pakistani Passport and visa on 10th February, 1956, along with her three minor sons, Iftikhar Ahmed, Nasir Iqbal and Hassan Iqbal. They were allowed to stay in India on compassionate grounds. Shrimati Raunaq Nisa was granted Indian Citizenship in March, 1960 since she had married in 1957 an Indian national and was otherwise eligible. Iftikhar Ahmed, Nasir Iqbal and Hassan Iqbal were also allowed to stay in India on year to year basis. They have not come to any adverse notice for any espionage activity.

They are involved in a murder case of eight persons in Village Deoli, District Bulandshahr and have been arrested. Their bail applications are pending before the Allahabad High Court. They are still in jail custody.

**A. I. R. News Bulletins**

7738. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of News Bulletins broadcast over the A. I. R. everyday at present and whether there has been any increase in the number of these Bulletins as compared to that of the last year ;

(b) the number of news Bulletins broadcast by the News Services Division and External Services Division, separately ; and

(c) whether News Bulletins in regional languages are also broadcast over the A. I. R. by the External Services Division and, if so, the names of the said languages as also the names of Stations from which such Bulletins are broadcast ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) :** (a) 228 news bulletins a day are broadcast at present. The number at the end of last year was 208.

(b) Out of 228 news bulletins broadcast every day, 180 are in the Home Services, 48 in the External Services.

(c) The following bulletins in Indian languages are broadcast specially for listeners abroad :

| Name of the station | Languages in which Broadcast |
|---|---|
| Delhi | Gujarati |
| | Hindi |
| | Urdu |
| | Tamil |
| Bombay | Gujarati, Konkani |
| Calcutta | Bengali |
| Madras | Tamil |

### Hindi Teaching Scheme for Government Employees

7739. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the target fixed by the Centre in regard to the number of employees for admission to the Hindi Classes conducted under Hindi Teaching Scheme during 1969-70 and the success achieved in this regard ; and

(b) the target fixed in regard to the number of employees to be given Hindi training during 1970-71 and the number of employees whose names have so far been registered for the session which commenced from July, 1970 ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) :** (a) The target of enrolment of Central Government employees for receiving training in Hindi under the Hindi Teaching Scheme during the year 1969-70 was fixed at 35,000. More than 40,000 employees were enrolled during the year.

(b) The target fixed for the year 1970-71 was also the same as for the year 1969-70, *viz.* 35,000. Two sessions start in the months of July and January each year. About 19,700 employees were registered for the session which commenced from July, 1970. About 17000 employees were registered for the session which commenced from January 1971.

### सरकारी क्षेत्र में प्रतिनियुक्तियों पर निर्भरता समाप्त करने सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

7740. **श्री इराज्मु द० सेकैरा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को कि सरकारी क्षेत्र में प्रतिनियुक्तियों पर निर्भरता कम करने अथवा समाप्त करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये जायें ; सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). "सरकारी क्षेत्र उपक्रमों" पर दिये गये अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने इन उपक्रमों की सिविल सेवाओं से आने वाली प्रतिनियुक्तियों पर निर्भरता कम करने का निश्चय किया है। तदनुसार, सरकारी उपक्रमों में सिविल सेवा से आने

वाली प्रतिनियुक्तियों (औद्योगिक व्यवस्था पूल के अधिकारियों को छोड़कर) और सुरक्षा उत्पादन उपक्रमों में काम कर रहे व्यक्तियों के अलावा सुरक्षा सेवा से आने वाली प्रतिनियुक्तियों को इस आशय का विकल्प देना होता है कि, आया वे सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देकर उन उपक्रमों में जिनमें वे सेवा कर रहे हैं, स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, या उस निर्धारित समयावधि के भीतर जो निश्चित की गयी है, अपने मूल संवर्ग को वापिस जाना चाहते हैं ।

## सरकारी अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

7741. **श्री इराज्मु द० सेकैरा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश कि किसी असैनिक कर्मचारी को 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेने दी जाये और उन्हें अनुपात से पेंशन तथा ग्रच्युटी दी जाये, सरकार ने स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश सरकार के पास विचाराधीन है ।

## गोआ, दमन, दीव में पेंशन सम्बन्धी नियम

7742. **श्री इराज्मु द० सेकैरा :** क्या **गृह** मंत्री गोआ, दमन और दीव के कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु के बारे में 14 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन सम्बन्धी पुराने नियमों के अन्तर्गत पेंशन का पात्र होने के लिये सेवा की न्यूनतम अवधि आवश्यक थी और यदि हां, तो सेवा की न्यूनतम अवधि कितनी है ;

(ख) 9 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तथा सेवा निवृत्ति की आयु को 65 से घटाकर 58 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति के लिए बाध्य होने वाले कर्मचारियों को पुराने नियमों के अन्तर्गत कितनी पेंशन देय है ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारी द्वारा पेंशन निधि में कुछ अंशदान किया गया होगा ; यदि हां, तो कितना ; और

(घ) क्या उन कर्मचारियों को ये अंशदान वापिस कर दिये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) पुराने पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन पाने का पात्र होने के लिये 15 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती थी । वास्तविक व्यवहार में 15 वर्ष की अर्हक सेवा गिनने में वास्तविक सेवा का 1/5 उसमें जोड़ने की रियायत प्रदान की गई थी जिससे केवल $12\frac{1}{2}$ वर्ष की प्रभावी सेवा बन जाती है ।

(ख) शून्य ।

(ग) ऐसे कर्मचारी द्वारा पेंशन निधि में क्या कोई अंशदान किया गया होगा यह कर्मचारी के पद पर निर्भर करता है क्या वह नियमित पेंशन वाले पद पर है या केवल वह अन्तरिम रूप से रखा गया कर्मचारी है यह तदर्थ रूप से रखा गया एक कर्मचारी है। तदर्थ रूप से रखे गये कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि में अंशदान करने का विकल्प है। 200 रुपये मासिक मूल वेतन पाने वालों के लिए पेंशन निधि में अंशदान 5 प्रतिशत था और 200 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वालों के लिए 6 प्रतिशत था।

(घ) पेंशन निधि में दिया गया अंशदान वापस नहीं किया जाता। फिर भी एक विशेष मामले के रूप में ट्रान्सपोर्ट्स ऐरिऔस द इंडिया पोर्टुगीज से संबंधित कर्मचारियों को अंशदान की निधि वापस की गई थी, यह संगठन आजादी के तुरन्त बाद समाप्त किया गया।

**आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता**

7743. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आकाशवाणी के अंश कालिक संवाददाताओं के वेतन को 100/- रुपये से अधिक करने तथा उन्हें टेलीफोन सुविधा और अन्य लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, आकाशवाणी के कुछ अंशकालिक सम्वाददाताओं का वेतन 125/- रुपये प्रति मास निश्चित किया गया है।

**आपराधिक व्यक्तियों के जेल से छूटने पर उनके पुनर्वास में कठिनाई**

7744. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि ऐसे आपराधिक व्यक्तियों, जिन्हें अच्छे आचरण के कारण जेलों से रिहा कर दिया गया है, जेल से वापिस आने पर अपने पुनर्वास में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और क्या सरकार की ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में कोई विशिष्ट नीति है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन)** : "जेलों तथा कैदियों" का विषय राज्य क्षेत्र में आता है। किन्तु, कैदियों की मुक्ति के बाद उनके पुनर्वास की समस्या पर विभिन्न समितियों/विचार-गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया गया हैं और उनकी सिफारिशों के अनुसार राज्यों को राज्य जेल विभाग को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाकर उचित अनुरक्षण सेवा की सलाह दी गई है।

**भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच टेलेक्स सेवा**

7745. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच टेलेक्स सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : जी, हां। भुवनेश्वर में 50 लाइनों का एक टेलेक्स एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। आशा है कि यह एक्सचेंज 1972 के मध्य तक चालू हो जाएगा। उसके बाद ही भुवनेश्वर से नई दिल्ली समेत देश के सभी टेलेक्स केन्द्रों के लिये टेलेक्स सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

## उड़ीसा में डाकघरों में टेलीप्रिन्टर सेवा

7746. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के कितने डाकघरों में टेलीप्रिन्टर सेवा उपलब्ध है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** तीन। इसके अलावा चार और डाकघरों में बहुत जल्दी ही टेलीप्रिंटर काम करने लगेंगे।

## रूरकेला के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर

7747. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार रूरकेला के डाकघर तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :** जी हां। 75 क्वार्टर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है।

## मसालों का निर्यात

7748. **श्री सी० जनार्दनन : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप गत दो वर्षों में मसालों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) गत दो वर्षों में मसालों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ङ) चालू वर्ष में निर्यात की प्रवृत्ति क्या है ?

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) मसालों के लिये एक निर्यात सम्वर्धन परिषद है जिसका पश्चिमी यूरोप के बाजारों का पता लगाने के लिये ब्रसेल्स में भी एक कार्यालय है। इलायची के सम्बन्ध में एक बोर्ड है जो इस वस्तु की सभी समस्याओं का अध्ययन करता है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

(i) वित्तीय वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में भारत से मसालों के निर्यात :

| वर्ष | परिमाण मे० टन में | मूल्य लाख रु० में |
|---|---|---|
| 1969-70 | 43,974.5 | 3447.97 |
| 1970-71 | 46,373.1 | 3786.29 |

(ii) अप्रैल-मई 1970 तथा अप्रैल-मई 1971 में मसालों के निर्यात का तुलनात्मक विवरण :

| अप्रैल-मई 1970 | | अप्रैल-मई 1971 | |
|---|---|---|---|
| परिमाण मे० टन में | मूल्य लाख रु० में | परिमाण मे० टन में | मूल्य लाख रु० में |
| 5527.6 | 399.16 | 10,083.3 | 539.89 |

## ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा धन की मांग

7749. **श्री के० के० रामी रेड्डी : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने योजना आयोग से पुनरीक्षित चौथी योजना के लिए और अधिक निधि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है ; और

(ग) योजना आयोग से इस सम्बन्ध में क्या उत्तर मिला है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी नहीं। किन्तु चतुर्थ योजना के पुनर्मूल्यांकन में ग्रामीण बिजलीकरण निगम (आर० ई० सी०) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

## ट्रांसिस्टरों और रेडियों का निर्यात

7750. **श्री एम० एम० हाशिम : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने ट्रांसिस्टर और रेडियो निर्यात किए गए ;

(ख) किस-किस देश को इनका निर्यात किया गया ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी जार्ज)** : (क) तथा (ग). विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए रेडियो रिसीवरों तथा ट्रांसिस्टर रेडियो की संख्या और उनका मूल्य इस प्रकार है :—

**रेडियो रिसीवर**

| **वर्ष** | **मात्रा (संख्या)** | **मूल्य (लाख रुपये)** |
|---|---|---|
| 1968-69 | 318 | 0.49 |
| 1969-70 | 2202 | 4.38 |
| 1970-71 (अप्रैल-जून) | 11963 | 9.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **ट्रांजिस्टर रेडियो** | | |
| 1968-69 | 5994 | 8.09 |
| 1969-70 | 33564 | 26.69 |
| 1970-71 (अप्रैल जून) | 64386 | 49.60 |

(घ) भारतीय रेडियो रिसीवर तथा ट्रांसजिस्टर रेडियो लगभग 50 देशों को निर्यात किये जा रहे हैं, जिनमें निम्नोक्त प्रमुख देश भी शामिल हैं :

सूडान, ब्रिटेन, इथोपिया, ईराक, कांगो गणराज्य, संयुक्त अरब गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया आदि।

**जेनेवा में होने वाली 'शान्ति के लिये अणु' विषय पर चौथे सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना**

7751. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष क अन्त में जेनेवा में 'शान्ति के लिए अणु' विषय पर चौथे सम्मेलन में कौन-कौन से अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ?

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के सम्बन्द्ध में 6 सितम्बर से 16 सितम्बर, 1971 तक जेनेवा में होने वाले चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :—

1. डा० विक्रम ए० साराभाई
   अध्यक्ष

   परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
2. श्री एच० एस० पाठक
   सदस्य, योजना आयोग
3. श्री पी० एन० हाकसर
   सदस्य, परमाणु ऊर्जा आयोग
4. श्री एच० एन० सेठना सदस्य, परमाणु ऊर्जा आयोग निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
5. श्री वी० सी० द्विवेदी, आस्ट्रिया में भारत के राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के गवर्नरों के बोर्ड के अध्यक्ष

इन प्रतिनिधियों की सहायता के लिये ऐसे सलाहकार होंगे जिनमें से बहुत से ऐसे लेखों के लेखक हैं जो सम्मेलन में पढ़े जाने के लिये स्वीकार किये गये हैं।

### आमों के विमान भाड़े का पुनरीक्षण

7752. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आमों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए इसके विमान भाड़े का पुनरीक्षण करने का है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : जी नहीं। भारत से इस समय निर्यात की जाने वाली प्राय: सभी वस्तुओं के लिए पहले ही आई० ए० टी० ए० द्वारा, एयर इंडिया भी जिसका एक सदस्य है, विशिष्ट दरे जोकि वास्तविक दरों की अपेक्षा काफी कम हैं निर्धारित की जा चुकी है। इसमें आगे और कमी, अलाभकर होने के अतिरिक्त, आई० ए० टी० ए० के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किये जाने की सम्भावना नहीं है।

### नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू से एक मोटर-कार की चोरी

7753. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू में संसद् सदस्य के फ्लैट से एक मोटर कार की चोरी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बंध में संसद् सदस्यों से शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). एक फिएट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नं० डी० एल० वी० 6020 है, जब नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली में फ्लैट नं० 187 के आगे खड़ी थी, 29 नवम्बर, 1970 को चोरी हो गई। इस चोरी के बारे में कुछ संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को लिखा था। 29 नवम्बर, 1970 को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस के अथक प्रयत्न करने के बावजूद भी न तो मुलजिम पकड़े गये हैं और न चोरी की गई कार ही बरामद हुई है।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए नार्थ एवेन्यू में एक पुलिस चौकी स्थापित करके दिन रात पुलिस गश्त तैनात की गई है।

### कलकत्ता स्थित 'रानीगंज कोल हाउस' की खरीद

7754. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने कलकत्ता स्थित रानीगंज कोल हाऊस खरीद लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसका मूल्य क्या है ;

(ग) कमरों का कुल फर्श-क्षेत्रफल कितना है ; और

(घ) डाक तथा तार विभाग को कुल आवृत्त स्थान का कितना भाग तत्काल उपलब्ध हुआ है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा)** : (क) जी नहीं। इस मामले में कार्रवाई चल रही है।

(ख) यदि यह इमारत खरीदी गई तो इसमें डाक-तार कार्यालय रहेंगे और इस पर करीब 40 लाख रुपये कीमत आएगी।

(ग) इसका फर्शी क्षेत्रफल करीब 63,000 वर्ग फुट है।

(घ) यदि यह इमारत खरीदी गई तो 42,650 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध हो जाएगा।

### तेलंगाना समस्या के समाधान के लिए चार-सूत्री फार्मूला

7755. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष और केन्द्रीय नेताओं के मध्य एक चार-सूत्रीय फार्मूला पर विचार-विमर्श हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस फार्मूले की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व के प्रश्न का निर्णय प्रधान मंत्री द्वारा किया जाना हैं ; और और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बंध में किसी निर्णय पर पहुंची है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (घ). तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष तथा अन्य से और आगे विचारों का आदान प्रदान हुआ है। कोई निश्चित परिणाम नहीं निकले हैं परन्तु विचार-विमर्श जारी रहेगा।

### उद्योगों की स्थापना करने के लिए चुने गये जिलों में आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले को सम्मिलित न करना

7756. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में विशेष रियायतें देने के लिये चुने गये जिलों की सूची में आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र के कुडप्पा जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और रायलसीमा विकास बोर्ड से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) से (घ). कुडप्पा जिले तथा तीन अन्य राज्यों को वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाले रियायती वित्त के लिए पात्र घोषित किए जाने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए प्रस्तावों पर विचार किया जा चुका है और उन्हें स्वीकृति दे दी गई है।

**केन्द्रीय सहायता के लिए आंध्र प्रदेश में जिला स्तर के पिछड़े ब्लाकों का चयन**

7757. **श्री के० के० रामी रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जिला आकार के उन पिछड़े ब्लाकों के नाम क्या हैं जिनका एक नये औद्योगिक एकक द्वारा नियत पूंजी के निवेश में 10 प्रतिशत राज्य सहायता देने के लिए चयन किया गया है अथवा अभी करना है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से श्रीकाकुलम और कुडप्पा जिलों को पिछड़े जिले घोषित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) औद्योगिक इकाइयों के स्थिर पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत अंश के बराबर केन्द्रीय राज सहायता प्राप्त करने हेतु दो 'क्षेत्रों' के चयन से सम्बन्धित आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्ति हेतु श्रीकाकुलम तथा कुडप्पा इन दो पिछड़े जिलों के चयन से सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रस्तावों पर हाल ही में विचार हुआ तथा इन्हें इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित कर दिया गया है।

**हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने के लिये आंध्र प्रदेश हथकरघा सलाहकार बोर्ड के सुझाव**

7758. **श्री के० के० रामी रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश हथकरघा सलाहकार बोर्ड ने देश में हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार को क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) आन्ध्र प्रदेश हथकरघा सलाहकार बोर्ड से कोई सुझाव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही**

7759. **श्री वयालार रवि :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों में 1969 से अब तक कितने कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और सरकार को ऐसे कांस्टेबलों से उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दमन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) दमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) कितने कांस्टेबलों को बर्खास्त कर दिया गया है तथा वे किस-किस राज्य के हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## तम्बाकू का उत्पादन

7760. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तम्बाकू का कुल उत्पादन कितना है तथा सरकार को कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त होता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1970-71 की फसल में 1969-70 की फसल की अपेक्षा देशी तम्बाकू के मूल्यों में 100 प्रतिशत की कमी हो गयी है ;

(ग) क्या उत्पादकों ने अपनी फसल की बिक्री के लिए बाजार का पता लगाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) 1969-70 के दौरान तम्बाकू का उत्पादन 338.2 हजार मे० टन रहा और उससे 7719 लाख रु० का उत्पादन शुल्क वसूल किया गया।

(ख) जी हां। इस वर्ष देशी तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण 1970-71 के दौरान कीमतों में गिरावट रही।

(ग) जी हां।

(घ) (1) आन्ध्र प्रदेश में देशी तम्बाकू के संचित भण्डारों के निपटान के लिए बाजारों का पता लगाना ; तथा

(2) उपजकर्ताओं को बैंकों द्वारा स्वीकृत फसल ऋणों के पुनर्भुगतान को आगे मुल्तवी करना। मामला विचाराधीन है।

## पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण

7761. **श्री एस० सी० सामंत** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1971 के अन्त तक गत तीन वर्षों में भारतीय पुलिस सेवा तथा दूसरे स्तरों के कुल कितने पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता पुलिस से विभिन्न केन्द्रीय संगठनों के अन्तर्गत नये स्थानों पर स्थानान्तरित किये गये हैं ; तथा अब वे कहां-कहां नियुक्त हैं ; और

(ख) क्या इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी हां श्रीमान्। ऐसी प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा योजना में की जाती है। प्रत्येक राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में कुछ संख्या में ऐसे अधिकारी भी शामिल होते हैं जो प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार को भेजे जाते हैं; ऐसी प्रतिनियुक्ति, आवश्यक होने के बावजूद अधिकारियों को उच्चतर व विस्तृत उत्तरदायित्वों का अनुभव तथा प्रशिक्षण प्रदान करती है और जो उन्हें उनके लौटने पर अधिक उपयोगी बना देती है अन्यथा वे इतने उपयोगी नहीं बन पाते।

राज्य पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर उनके अनुभव तथा स्थानीय ज्ञान के कारण लिया जाता है।

**विवरण**

15 जुलाई, 1971 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता पुलिस से विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और राज्य पुलिस अधिकारियों की संख्या का विवरण।

| अधिकारियों की श्रेणी | अधिकारियों की संख्या | संस्था जिसमें प्रतिनियुक्ति पर गये |
|---|---|---|
| भारतीय पुलिस अधिकारी | 4 | आसूचना ब्यूरो |
| | 5 | सीमा सुरक्षा बल |
| | 3 | रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) |
| | 1 | राष्ट्रीय पुलिस एकादमी |
| | 1 | केन्द्रीय जांच ब्यूरो |
| | 1 | त्रिपुरा सरकार |
| | 5 | मंत्रि मण्डल सचिवालय |
| | 3 | अन्य संस्थाएं |
| योग | 23 | |
| पुलिस उप-अधीक्षक | 6 | आसूचना ब्यूरो |
| | 7 | रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) |
| | 5 | अन्य संस्थाएं |
| योग | 18 | |

| | | |
|---|---|---|
| पुलिस निरीक्षक, पश्चिम बंगाल | 3 | आसूचना ब्यूरो |
| | 5 | केन्द्रीय जांच ब्यूरो |
| | 2 | मंत्रिमण्डल सचिवालय |
| योग | 10 | |
| सहायक आयुक्त, कलकत्ता पुलिस | 3 | आसूचना ब्यूरो |
| योग | 3 | |
| कलकत्ता पुलिस के निरीक्षक | 2 | रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) |
| | 2 | केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल, कलकत्ता |
| | 5 | आसूचना ब्यूरो |
| | 2 | केन्द्रीय जांच ब्यूरो |
| योग | 11 | |

**विदेशों में आकाशवाणी के संवाददाता**

7762. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में आकाशवाणी के कुल कितने संवाददाता हैं ; और

(ख) उनमें से केन्द्रीय सूचना सेवा, प्रेस सूचना ब्यूरो तथा आकाशवाणी के कितने-कितने संवाददाता हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :**

| | | |
|---|---|---|
| (क) पूर्णकालिक | — | 2 |
| अंशकालिक | — | 4 |
| कुल | — | 6 |

(ख) 2 पूर्णकालिक संवाददाता केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। 4 अंशकालिक संवाददाता पत्रकार हैं और वे सरकारी सेवा में नहीं हैं।

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के लिये दिये गये विज्ञापन**

7763. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1970 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने कुल कितने पदों के लिये विज्ञापन दिये ;

(ख) प्रत्येक पद के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा प्रत्येक पद के लिए कितने व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ; और

(ग) आवेदकों से शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र की गयी ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) 1,894 पद ।

(ख) इन पदों के लिए 52,930 उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे और इनमें से 10,668 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । पद-वार अन्तर को अलग-अलग संकलित किया जा रहा है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 3,50,361 रुपये की वसूली की गई थी ।

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सेवाकाल में वृद्धि**

7764. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मार्च, 1971 को, 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा-काल में वृद्धि प्रदान की गयी है ; और

(ख) उनमें तकनीकी कर्मचारी कितने हैं ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनायें**

7765. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1970 से 30 जून, 1971 तक पाकिस्तानी सेना ने कुल कितनी बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है ; और

(ख) उक्त अवधि में पाकिस्तानी सेना ने सीमा सुरक्षा दल के कितने कर्मचारियों का अपहरण किया ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) 1138 । इन सभी मामलों में युद्ध विराम के उल्लंघन की शिकायतें संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पर्यवेक्षकों को भेजदी गई हैं ।

(ख) इस अवधि के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा जम्मू व कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अपहरण के कोई मामले नहीं हुये ।

## आसाम में दूर संचार व्यवस्था में गड़बड़ी

7766. **श्री रोबिनककोटी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम, मेघालय और नागालैंड के पूर्वी राज्यों में तारों के काट लिये जाने के कारण दूर संचार व्यवस्था में आये दिन गड़बड़ी होती रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)** : (क) जी हां। तांबे के तार की चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, खासतौर पर कुछ खास मार्गों पर।

(ख) तांबे के तार की चोरी के हादसों को कम करने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं ;

(i) राज्य के मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया गया है कि आई० जी० पुलिस को निर्देश दें कि वे इस समस्या पर विशेष ध्यान दें और तांबे के तारों की चोरी रोकने के लिए जल्द कदम उठाएं।

(ii) विभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं ताकि जांच और अपराधियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई जल्द की जा सके।

(iii) टेलीग्राफ वायर (अनलाफुल पोजेशन) एक्ट, 1950 में संशोधन करने पर विचार हो रहा है ताकि तार की चोरी के लिए आज इस कानून में जितनी सजा का विधान है उसे बढ़ा दिया जाये।

(iv) महत्वपूर्ण मार्गों पर तांबे के तारों की जगह तांबा मढ़े तार। ए० सी० एस० आर० तार लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों के बीच गुटबन्दी

7767. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि योजना मन्त्री ने कहा है तथा 26 जुलाई, 1971 के "स्टेट्समैन" ने प्रकाशित किया है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् राजनीति-ग्रस्त हो गई है और वहां वैज्ञानिकों के गुट बने हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मन्त्री हाल में केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़ भ्रमण के दौरान अपना विचार प्रगट किया है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत काफी हद तक मतभेद है।

(ख) मन्त्री महोदय इनको ठीक करने के उपायों पर ध्यान दे रहे हैं।

## टेलीविजन निर्माताओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों से अभ्यावेदन

7768. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन निर्माताओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). टेलीविजन निर्माताओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों की सरकार को जानकारी है। सभी वर्गों के निर्माताओं से 200 से अधिक आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं, और वर्तमान औद्योगिक नीति तथा अन्य सुसंगत तत्वों को ध्यान में रखते हुये इन पर निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा। सरकार का यह आशय है कि लघु उद्योग यूनिटों तथा लघु उद्योग कंसोर्टिया के उन वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा इजीनियरों को प्राथमिकता दी जाय जिन्होंने इस क्षेत्र में क्षमता का विकास कर लिया है।

## स्वतन्त्रता सेनानियों का शिकायतों सम्बन्धी ज्ञापन

7769. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संग्राम समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों के दल ने अपनी शिकायतों के बारे में राष्ट्रपति को हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किन शिकायतों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : जी हां, श्रीमान्। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समिति (पंजीकृत) दिल्ली की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्यतः व्यापार के लिए ऋण प्रदान करने, स्वतंत्रता सैनिकों को पेन्शन देने, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने, पेन्शन योजना को कार्यान्वियन करने, स्वतंत्रता सैनिकों की सन्तानों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने, प्लाटों के आवंटन के लिये कोटा नियत करने, प्रमाण पत्र देने के लिए कोटा नियत करने, प्रमाण पत्र देने और राष्ट्रीय समारोहों में निमंत्रण पत्र देने के लिए कहा गया है।

स्वतंत्रता सैनिकों को पहले ही उचित मामलों में आर्थिक सहायता तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोहों में भी आमंत्रित किया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लिखित अन्य विषयों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

## फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋण

7770. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम ने गत तीन वर्षों में फिल्म निर्माताओं को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) उसमें से हिन्दी फिल्मों को कितनी राशि दी गई ; और

(ग) तमिल तथा दक्षिण भारत की अन्य भाषाओं की फिल्मों को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह):** (क) फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्म निर्माताओं को कुल 54,51,635/-रुपए की राशि के ऋण दिये हैं।

(ख) 33,48,965/-रुपए।

(ग) 4,79,171/-रुपए।

**प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को ट्रस्टों में बदलना**

7771. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को ट्रस्टों में बदलने के लिये कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) और (ख). प्रेस आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार इस समय समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व के फैलाव की सम्भावना पर विचार कर रही है।

**एक पुरस्कार विजेता द्वारा टेलीविजन-रेडियो का निर्माण**

7772. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :**
**श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक पुरस्कार विजेता द्वारा शत प्रतिशत देशी उपकरणों तथा तकनीकी ज्ञान से टेलीविजन-रेडियो बनाने की एक योजना दीर्घकाल से इलैक्ट्रानिक्स विभाग के पास अनिर्णीत पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) और (ख). चौथी योजना अवधि के मध्य नये टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना होने पर टेलीविजन सैटों की सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ति के लिये सभी वर्गों के निर्माताओं से आवेदन-पत्र मांगे गये थे। 200 से ऊपर प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से एक श्री ऊधम सिंह से प्राप्त हुआ जिसे इनवेंशन प्रमोशन बोर्ड द्वारा टी० वी० सेटों का विकास करने के लिये पुरस्कार दिया गया। आवेदन-पत्र में यह संकेत दिया गया है कि उसे प्रत्येक सैट पर

20 रुपये के उपस्कर बाहर से निर्यात करने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके अतिरिक्त और दूसरे निर्माताओं की भांति उसको भी टी० व्री० ट्यूब्स की आवश्यकता पड़ेगी । यद्यपि इनका निर्माण भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा किया जाता है फिर भी 19" ट्यूब के लिये 60 रुपये के यंत्रों को आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी । अधिक क्षमता के लिये आवेदन-पत्रों की बहुसंख्या को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि इसका विस्तृत परीक्षण किया जाय । यह परीक्षण कर लिया गया है और इस पर निर्णय शीघ्र लिया जायेगा । यह विचार है कि उन वैज्ञानिकों, तकनिशनों, और इंजीनियरों को प्राथमिकता दी जाय, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य का विकास कर लिया है ।

## जापान में हुई एक्सपो-70 प्रदर्शनी में क्लेरिज होटल द्वारा लगाया गया रेस्टोरेन्ट

7773. **श्री शशि भूषण :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लेरिज होटल ने जापान के ओसाका नगर में लगी एक्सपो-70 प्रदर्शनी में एक रेस्टोरेन्ट लगाया था ;

(ख) इससे क्लेरिज होटल को कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ग) यदि उक्त होटल को हानि हुई है, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(घ) इस होटल को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

**विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) मैसर्स महारानी रेस्टोरेन्ट द्वारा रेस्टोरेन्ट खोला गया था जिसमें क्लेरेजिस होटल के कुछ निदेशक भागीदार थे ।

(ख) से (घ). मैसर्स महारानी रेस्टोरेन्ट ने सूचना दी है कि उनके लेखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है और लेखा परीक्षा की जा रही है । लाभ की राशि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, फर्म ने भारत से जापान को 2.52 लाख रु० के विप्रेषण के बदले भारत को विदेशी मुद्रा में 6.1 लाख रु० वापिस दिये ।

## नवाब और बेगम रामपुर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

7774. **श्री जुलफिकार अली खां :** क्या **प्रधान मंत्री** 28 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नवाब तथा बेगम रामपुर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय में असाधारण विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) और (ख). मामले की अति-शीघ्रता से जांच की जा रही है ।

तथापि, यह निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं होगा कि कब तक मामले को निपटाने का कार्य पूरा हो जाएगा ।

**Shri C. P. Shailani** (Hathras) : Mr. Speaker, Sir, I wrote to you a letter about the atrocities perpetrated on the people of Scheduled castes in Jaipur and Alwar districts of Rajasthan.

**Shri B. P. Maurya** (Hapur) : Sir, a Call Attention Notice should be admitted on it. It is a serious matter and it should not be ignored.

**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो दिया ही नहीं है। इस समय मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। अब से आगे कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

**Shri C. P. Shailani :** **

---

## ढाका से भारतीय दूतावास कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के बारे में
## RE : REPATRIATION OF INDIAN EMBASSY STAFF FROM DACCA

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर): श्रीमान्, नियम 377 के अन्तर्गत मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आज के पत्रों में यह समाचार छपा है कि यदि पाकिस्तान सरकार ने अन्तिम क्षणों पर कोई आपत्ति न की, तो ढाका स्थित भारतीय उप उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारी 12 अगस्त तक राजधानी लौट आयेंगे। हमें यह पढ़कर चिन्ता हुई है। अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि आपकी भावना तत्काल ही प्रधान मंत्री तक पहुंचा दी जायेगी। थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत पत्र

**प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 860/71]**

---

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(2) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, जादूगुड़ा (बिहार) के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा (बिहार), का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

**[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 861/71]**

## मैसूर मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

**संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1172 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 862/71]**

---

## प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों पर निर्णय के बारे में वक्तव्य

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के "भारत सरकार के तंत्र तथा उसकी कार्य-संचालन प्रक्रिया" सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई कतिपय सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 863/71]**

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रैस परिषद् के वर्ष 1970 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 864/71]**

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी-संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 865/71]**

**विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० जी० जार्ज)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) रबड़ बोर्ड की वर्ष 1969-70 की गतिविधियों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 866/71]**

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 867/71]**

(एक) कहवा अधिनियम, 1942 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2590 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 868/71**]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 869/71**]

(एक) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय बोर्ड (भर्ती तथा सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारतके राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1023 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 870/71**]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 871/71**]

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 872/71**]

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

### कार्यवाही-सारांश

**श्री एस० सी० सामन्त** (तमलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से तीसरी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

## राज्य-सभा से संदेश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1971 को पास किये गये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

## सदस्यों की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBERS

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 10 अगस्त, 1971 के दो पत्रों की सूचना सभा को देनी है जिनमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य सर्व श्री लक्ष्मीनारायण पांडे, राम चन्द्र बड़े और चौधरी मुख्त्यार सिंह का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन 10 अगस्त, 1971 को विचारण किया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन उन्हें दोषी पाया गया तथा उन्हें एक दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मैं आपके विचारार्थ एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि न्यायालय एक बात कहती है, तो उसका विचारण हम कैसे कर सकते हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : धारा 144 को भंग करना तो अपराध है किन्तु बंगला देश के समर्थन में नारे बोलने के अपराध में धारा 188 के अन्तर्गत दोष सिद्धि अनुचित है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

**श्री विक्रम चन्द महाजन** (कांगड़ा) : प्रश्न नारे लगाने का नहीं है। प्रतिबन्ध तोड़ने पर दोष सिद्धि हुई है।

**श्री आर० बी० बड़े** (खारगोन) : इस विषय पर समय बर्बाद न किया जाये।

---

## प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

### चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

**श्री के० एन० तिवारी** (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग)—कर्मचारी-अशिक्षाकार्यक्रम-सम्बन्धी चौथा प्रतिवेदन

(2) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग)—कर्मचारी व शिक्षा-कार्यक्रम सम्बन्धी चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

## लोक-लेखा समिति
## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### नौंवा प्रतिवेदन

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : श्रीमान्, मैं शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 तथा विनियोग लेखे (सिविल), 1968-69 के बारे में लोक लेखा समिति का नौंवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक
## LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

**गृह मंत्रालय में और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**श्री राम निवास मिर्धा** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (के कर्त्तव्य, शक्तियां, तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971
## COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 1971

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तों को अवधारित करने तथा उसके कर्त्तव्यों और शक्तियों को विहित करने और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
**The motion was adopted.**

**श्री के० आर० गणेश** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

## चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा
## DISCUSSION RE : SUGAR POLICY

**Shri Bibhuti Mishra** (Motihari) : The price of sugar has shown great fluctuation since 1952. If the production of sugar went up, the producers did not get fair price for their sugarcane and if the production of sugar fell down, its prices went up causing hardship to consumers. It is all due to the fact that there is no definite policy regarding sugar. Hence it is necessary that a definite policy should be laid down by Government in consultation with the agriculturists, producers and consumers.

In the last season sugar production has been quite high and large quantity of sugar is still lying in the mills. The mill owners insisted for increase in the price and Government decontrolled the sugar. It resulted in the increase of price of sugar by 10 to 20 paise per kilogram and the consumers are suffering on this account. Now the price of sugarcane is Rs. 7.37 per quintal. It is not at all remunerative to the farmers. So they have reduced the acreage of sugarcane and this will result in lesser production of sugarcane this year. Consequently the production of sugar will go down from 42.6 lakh tonnes to about 37 lakh tonnes.

The owners of sugar mills have a grievance that they do not get adequate loan from the Government and on account of it they are not in a position to pay the price of sugarcane to the farmers. This is the reason why 23 per cent price of sugarcane could not be paid so far to the farmers. Looking into the difficulties of farmers Government should take some concrete steps to improve the situation in this regard. Government should also ensure that sugarcane production does not fall down. For this, Government should raise the price of sugarcane from Rs. 7.37 to Rs. 10/- per quintal. It should also be ensured that the mills pay the price of sugarcane immediately so that they are not forced to run about to get it.

A very little amount is being spent on the development of sugarcane though high taxes have been levied by both the Central and State Governments. If we want to have increased sugarcane production, more amount should be spent on development of sugarcane.

The price of sugarcane is fixed on the basis of recovery. Now the quantity of recovery is determined by the mills. In this connection I would like to suggest that the representatives of Government and the producers should also be there while calculating the recovery from sugarcane.

The Central Government should, therefore, control and distribute molasses and the profit earned should be paid to the farmers.

Sugar mills in the Eastern Uttar Pradesh and Bihar are old. These need modernisation. As Governments policy is not clear about nationalisation of this Industry, it is hampering the private

sector from investing more money in this Industry. I think if Sugar Mills are modernised, recovery of sugar would be more and the farmers would get more money. Government should adopt some uniform policy about imposing of octroi duty, which exists in certain areas while it does not exist in others.

The present support price fixed by the Government for sugarcane is not adequate, as a result this year there has been less acreage under a sugarcane cultivation. In order to overcome such a situation support price of sugar should at least be fixed at Rs. 10/- per quintal.

**Mr. Speaker :** Two hours have been fixed for this item. We can adhere to this only if each speaker takes not more than five minutes.

**Shri Shiva ji Rao S. Deshmukh** (Parabhani) : It is a very important matter, therefore, the time should be extended by an hour.

**Mr. Speaker :** How can it be extended ? It is fixed.

**श्री डी० के० पंडा** (भंजनगर) : चीनी के उत्पादन, इसकी खपत तथा इसके विपणन के सम्बन्ध में एक एकीकृत नीति की आवश्यकता है परन्तु सत्ताधारी दल ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। संविधान के संशोधन के साथ, जिससे न केवल चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण अपितु भूमि सम्बन्धी सुधारों का भी रास्ता खुल गया है, ऐसा करने की आवश्यकता और भी प्रबल हो गई है।

चीनी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कुछ दिन पूर्व इस सदन में बताया था कि उसकी उत्पादन लागत में वृद्धि तथा चीनी के स्टाक रोकने के आधार पर चीनी उद्योग द्वारा मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों के दबाव में आकर सरकार ने इस उद्योग पर से नियंत्रण हटा लिया है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि चीनी के बड़े-बड़े व्यापारियों ने अधिक लाभ कमायें हैं।

जहां तक गन्ने के मूल्य की बात है इसमें कभी-कभार ही वृद्धि की जाती है। भारत के दो करोड़ गन्ना उत्पादकों का मोदी एवं बिरला जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, सरकार केवल उद्योगपतियों और चीनी मिलमालिकों के प्रति सहानुभूति रखती है। इस बात से भी यह स्पष्ट होता है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि न की जाकर चीनी पर से नियंत्रण हटाया गया है और इस प्रकार चीनी का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है। गन्ने का मूल्य 1967 में निश्चित किया गया था। पिछले पांच वर्षों में जबकि श्रमिकों के वेतन बढ़ जाने आदि के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, कीटनाशकों का मूल्य भी बढ़ गया है और भूमि का किराया भी दो-तीन गुणा बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों से आमदनी में वृद्धि हो रही है। इस सब के कारण किसान गन्ने की फसल के स्थान पर दूसरी फसलें ही उगा रहे हैं। 1969-70 वर्ष में सारे भारत में 67 लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की फसल होती थी जबकि 1971-72 में केवल 57 लाख एकड़ क्षेत्र ही इसके अन्तर्गत रह गया है। अत: सरकार को इस बारे में कोई ढील नहीं करनी चाहिये और गन्ने के मूल्य में वृद्धि करनी चाहिये। अन्यथा देश के सामने चीनी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताया गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है। वास्तव में सरकारी नीति किसी न किसी रूप से उद्योगपतियों के हितों के साथ साथ आबद्ध है और यही बात इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण में बाधक है। सरकार को न केवल चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये अपितु बड़े-बड़े चीनी

मिल मालिकों को कोई मुआवजा भी नहीं देना चाहिये। यह मिल मालिक प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के रूप में मूल्य ह्रास लेते रहे हैं और यदि इन्होंने कम से कम इस धन का ही इस उद्योग में पुन: निवेश किया होता तो यह उद्योग अब इस दयनीय स्थिति में नहीं होता। अत: इन को कोई भी मुआवजा देना राष्ट्र विरोधी नीति होगी।

शेष राशि की वसूली के बारे में सरकार ने अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। केवल अनुरोध करने अथवा परिपत्र जारी करने मात्र से इनके हृदय परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। अत: इसके लिए सांविधिक उपबन्धों की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।

**Dr. Laxminarain Pandey** (Mandsaur): Sir, when the statement regarding sugar policy was made by the Minister, we had hoped that interests of farmers would be safeguarded, farmer would get proper price for sugarcane and the price of sugar would not increase. These hopes have been completely belied; the price of sugar has gone up the farmers have not been able to get payment of arrears which amount to crores of rupees. Although this question has been raised in the House quite a number of times, no satisfactory solution seems in sight. Provisions in Sugar Cane Act have not been applied against those Mills who have been defaulting in making timely payments.

This vacillating policy is leading the farmers to other crops. Production of sugarcane in the country has gone down during the last 2-3 years and it was likely to go down further by 15-20 % during the next year.

Today 50 per cent of sugarcane is utilized in making gur. Twelve per cent is being utilized for miscellaneous purposes and thus leaving 38 per cent for making sugar. Mill-owners have complained that they could not pay the price fixed by the Government because the recovery of sugar was very little. The Government should therefore reconsider this whole matter. The price of sugarcane should be increased to a minimum of Rs. 10 per quintal.

Nationalisation of Sugar Mills is not going to solve the whole problem. I have to suggest that instead of nationalisation these mills should be run on co-operative basis as is being done in Maharashtra.

If the injustice being done to the farmers has to be removed and change over to other crops has to be checked, Government must reconsider its whole Sugar Policy. And while reconsidering the policy the Government should take into account relevant factors such as, whether more arrears are pending towards private companies or co-operative mills, what basis are adopted by private companies and co-operative companies for making payments to farmers towards cost of sugarcane and what is the position about cess? May I know whether private companies owe more cess or co-operative mills? If these aspects are taken into account for considering sugar policy only then Sugar Policy can succeed.

**Shri K. N. Tiwary** (Bettia): Sir, may I know whether it is a fact that State Governments had recommended that the price of sugarcane should not be less than Rs. 10 per quintal? May I also know whether the Government has been warned that production of sugarcane was likely to go down in 1972-73 considerably so as to cause sugar crisis? If so, what remedial steps are proposed be taken in this regard?

**Shri N. N. Pandey** (Gorakhpur): Farmers have been making a demand that price of sugarcane should be increased to Rs. 10 a quintal. This demand is very genuine and should be accepted by the Government. Today about 40 crores of rupees are pending against sugar mills. Effective steps should be taken to realise this amount and make payments to farmers without further delay. Sugar mills have drawn crores of rupees from Government as rehabilitation grant. But when there is a talk of nationalisation of sugar mills, these mills are disposing of spare parts, etc. and Government is unable to check it. Recently the Government of Uttar Pradesh have taken over

certain sugarmills in the State in the name of socialisation. If these mills are such which do not leave adequate machinery, the State Government would have to take assistance from the Central Government in order to run them.

Recently Central Government adopted a linking formula in regard to sugar production and it was stated that if there is more production, if the recovery is more with this formula, the farmers and workers would get their due share. May I know what has happened to that ? How much bonus has been paid to farmers ? What increase has been effected in the price of sugarcane ?

Many a times it has been stated that equal rights would be given to mills in regard to sugar stocks and releases. But in actual implementation it has not happened so. The officers of Food Department had been showing favours to mills in disregard of the Government's decision. In connivance with these officers, the farmers and workers have not been given bonus in accordance with the Linking Price Formula. In the situation if the Central Government fails to lay down effective Sugar Policy this industry is going to suffer. It is being alleged that the Government is not serious towards nationalisation of this industry. In order to prove its bonafides the Government must nationalise the sugar mills and this is the only alternative which can help farmers, workers and consumers.

**Shri R. S. Pandey** (Rajnandgaon) : Mr. Speaker, Sir, in brief, I would like to say that the production of sugar which was 40 lakh tonnes at the time of control, has considerably gone down after decontrol. It is very natural and fundamental principle of supply and demand that prices go down when supply is more incomparison to demand. Therefore, I would like to know why the prices of sugar have gone up ? Why the sugarcane grower is not given proper price of its produce ? In view of increased production, why export of sugar is not being increased by the Government ? Lastly, I would like to know why the production of sugar has gone down after its decontrol ?

**श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : सरकार द्वारा चीनी की नीति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस उद्योग के बारे में गम्भीरता पूर्वक कुछ भी नहीं कर रही है, यद्यपि सरकार को इस उद्योग से काफी राजस्व प्राप्त होता है। चीनी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। उत्तर-प्रदेश और बिहार के बहुत से संसद् सदस्य इस समस्या से बहुत चिन्तित हैं। आज स्थिति यह है कि किसानों को उनके गन्ने की ठीक कीमत ठीक समय पर नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, गन्ना उत्पादकों की जो कीमत मिलती है अर्थात् 7.37 रुपये, वह उनकी उत्पादन-लागत के बराबर ही होती है। जब उन्हें समय पर अपनी उपज की कीमत नहीं मिलती, तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्याज की ऊंची दरों पर साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। जब उत्पादक की स्थिति इतनी शोचनीय हो, तो भला उत्पादन में वृद्धि कैसे हो सकती है ? यह खेद की बात है कि आज इस महत्वपूर्ण उद्योग की स्थिति इतनी दयनीय है। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक को वेतन कम दिया जाता है। कार्मिक संघों द्वारा सेवा शर्तों का विरोध किया जा रहा है। आज प्रशासनिक तन्त्र भी अच्छा नहीं है। यदि हम केवल वर्तमान मिल मालिकों पर ही निर्भर करें, तो स्थिति यह होगी कि वह लोग अपना लाभ तो कमा लेंगे परन्तु किसानों और इस उद्योग को नष्ट कर देंगे।

उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान कर्त्ता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं परन्तु इतना होने पर भी गन्ने के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। सरकार इन अनुसंधान कर्त्ताओं से यह क्यों नहीं पूछती कि गन्ने का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ? पिराई की प्रक्रिया को किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है ? यदि इस समय गन्ने की अन्तर्वस्तु 22 प्रतिशत है तो फिर केवल 9-10 प्रतिशत क्यों है ? क्यूबा में पिराई के लिए जिस माप प्रणाली का प्रयोग

किया जाता है, उसी प्रणाली का प्रयोग यदि हम भारत में करें तो चीनी के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

मैं यह समझता हूं कि यह सब कुछ केवल तभी हो सकता है जब सरकार इसकी ओर अपेक्षित ध्यान है। हमें इस उद्योग पर पूर्ण नियन्त्रण रख उसके विकास के लिए ठीक दिशा में प्रयास करना चाहिये। वर्तमान नीति किसानों, उपभोक्ताओं तथा नागरिकों, आदि किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, मैं समझता हूं कि इस समूची नीति का पुर्निर्धारण किया जाना चाहिये।

**श्री शिवाजी राव एस० देशमुख** (परमणि) : आज हमारे देश के गन्ना उत्पादक चीनी के बारे में हो रही इस चर्चा के परिणामों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे देश के चीनी उद्योग के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके उत्पादन पर आये दिन प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। कभी इस पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया चलती है तो कभी नियंत्रण हटाने की।कभी मिल मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को लूटा जाता है। कभी इस क्षेत्र में चोर बाजारी बढ़ती है तो कभी मूल्यों में वृद्धि होती है। चाहे जो भी हो, बढ़ी हुई कीमत का एक पैसा भी गन्ना उत्पादकों को नहीं मिलता। यह सब कुछ दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट है कि यदि गन्ने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित है, तो वह केवल गन्ने की फसल के आधार पर ही किया जाना चाहिये। सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों के आधार पर इस प्रकार की नीति नहीं बनाई जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि गन्ना उत्पादकों को मिल मालिकों से ही गन्ने के मूल्य नहीं मिलने चाहिये बल्कि उन्हें उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य का भी कुछ भाग मिलना चाहिये। यदि उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन देना है तो वह यही हो सकता है कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिये।

अब सीरे की समस्या को ही लीजिये। सीरे के बारे में यह बड़ी हैरानी की बात है कि सीरे पर तो नियन्त्रण लगाया गया है परन्तु दूसरी ओर इसके उत्पादों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है। सीरे से नियंत्रण हटाने के लिए बराबर मांग की जा रही हैं किन्तु इस मांग की ओर कभी उचित ध्यान नहीं दिया गया। हम यह चाहते हैं कि सीरे पर से केवल नियंत्रण ही न हटाया जाना चाहिये अपितु इसे अल्कोहल में परिणत करने की खुली छूट भी होनी चाहिये। इसके साथ ही एक मांग यह भी रही है कि गन्ना उत्पादकों को कम से कम 100 रुपये प्रति मीटरिक टन के हिसाब से मूल्य दिया जाना चाहिये। आज स्थिति यह है कि चीनी का मूल्य लकड़ी से भी कम हो गया है। अतः गन्ने का उत्पादन करने वाला उत्पादक आज उसकी अपेक्षा लकड़ी का उत्पादन करना अधिक लाभप्रद समझता है। हमारी सरकार बार बार यही दुहाई देती है कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है परन्तु वास्तविकता यह है कि चाहे राज्य सरकार के मंत्री हों या केन्द्र के, और चाहे मंत्रालय के कर्मचारी हों, सभी पर चीनी के उद्योग पति हावी रहते हैं और उनके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए वह कोई ठोस कदम उठाना नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि जब तक गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय नहीं किया जाता, तब तक उपभोक्ताओं को भी किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। इसीलिए मैं बार बार यही बात कहता आया हूं कि सीरे से नियंत्रण को हटा दिया जाना चाहियें और उसे अल्कोहल में परिणत करने की भी पूर्ण छूट होनी चाहिये। इसके बाद जो खोई रह जाती है उसे या तो पोलिचीन में या अखबारी कागज में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये। यह बहुत जोरदार मांग है परन्तु सरकार ने खोई पर आधारित एक भी कागज का कारखाना अभी तक नहीं खोला।

हम यह कह कर कि हम चीनी के लिये उत्पादन क्षमता या अधिष्ठापित क्षमता बढ़ा रहे हैं, कागजी तौर पर लाइसेंस जारी करते रहते हैं।

इस्पात केवल चोर बाजारी से ही प्राप्त किया जा सकता है और वह इतना महंगा होता है कि चीनी मिल जैसे उत्पादक कार्य के लिये भी उसे खरीदना बहुत कठिन है। अत: केवल लाइसेंस देने से कोई लाभ नहीं है जबकि इस्पात भी उपलब्ध नहीं कराया जाये। यदि सरकार गन्ना उत्पादकों को इस समय 100 रुपया प्रति टन के न्यूनतम भाव की घोषणा नहीं करती तो किसान भी सरकार की नीति को सफल बनाने में सहायता नहीं देंगे ऐसा मेरा विचार है।

**Shri M. Ram Gopal Reddy** (Nizamabad) : I want to know the measures being taken by the Government to ensure adequate supply of sugarcane to the sugar mills in the ensuing year in order to get sufficient sugar both for the internal consumption and for export. In the year 1969-70 we produced 35 lakh tons of sugar and after one year this production was increased to 38 lakh tons. Now if Government are interested in enhancing the production of sugar then they will have to give certain incentives to the growers. I want to know the nature of those incentives.

The prices of the inputs, including the rates of electricity have gone much high. In view of there factors, the prices of the sugarcane should also be increased.

I also suggest that the 'field delivery' system exercised in Maharashtra should be adopted by all the states in the country. It would reduce the expenditure and the mills could get large quantity of sugarcanes. I also want that Government should also reduce the rate of excise duty in this regard.

It is strange that the amount of Rs. 40 crores is still unpaid to the growers. The mills of the cooperative sector pay all the amount to the farmers within the period of 14 days.

The owners of the Private Sector only are defaulters. I can not support the proposal of nationalisation of the mills. I suggest that these mills should be brought under the cooperative section.

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : भारत सरकार हमेशा चीनी सम्बन्धी नीति और चीनी उद्योग के साथ खिलवाड़ करती रहती है तथा प्रत्येक वर्ष उसमें परिवर्तन करती रहती है। चीनी पर से नियंत्रण हटाने के पश्चात चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में बहुत बल दिया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है। किन्तु इससे अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि इन चीनी कारखानों को सहकारी क्षेत्र में लाना चाहिये जिससे उनमें लाभ हो सके तथा केन्द्र द्वारा लगाये गये बहुत से प्रतिबन्ध उन पर लागू न हो सकें। पहली पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से 0.9 लाख मीट्रिक टन चीनी का अधिक उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना से 30 लाख टन चीनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु कुल उत्पादन 30.29 लाख टन ही हुआ है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया तथापि देश के गन्ना उत्पादक ने अधिक से अधिक गन्ने का उत्पादन किया है। वर्ष 1968-69 में देश में 660 करोड़ रुपयों के मूल्य का गन्ना उगाया गया था जिसमें उत्पादक का भाग 400 करोड़ रुपये था तथा दूसरे सरकार की आय 150 करोड़ रुपये थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस उद्योग में केवल 400 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है तथा चीनी उद्योग ने 2,25,000 लोगों को रोजगार दिया है।

नियंत्रण और प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप उत्पादन के लिये केवल 30 प्रतिशत गन्ने का उपयोग किया जाता है। 10 प्रतिशत गन्ना बीज के रूप में प्रयोग होता है तथा शेष 60 % गन्ने

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

का उपयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिये किया जाता है जिनसे तुरन्त वसूली हो जाती है। चीनी मिल मालिक अपनी लेखा पुस्तकों में अपंजीकृत गन्ने की खरीद के स्थान पर पंजीकृत गन्ने की खरीद दिखाते हैं तथा इस प्रकार काला धन इकट्ठा करते हैं।

वर्ष 1969-70 में कुल 40 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था तथा आन्तरिक खपत 35 लाख टन थी। इस वर्ष हमने 3,29,000 टन चीनी का निर्यात किया था। चीनी से भी काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अतः केंद्र सरकार को चीनी उद्योग को कुछ प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिये। चीनी निर्यात सम्बन्धी नीति के ढुल-मुल होने के कारण मुझे आशंका है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 6 लाख मीटरी टन चीनी के निर्यात का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। हाल ही में चीनी का उत्पादन करने वाले 13 राष्ट्रमण्डलीय देशों ने एक बैठक में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था। इस सदन को उस बैठक में लिये गये निर्णय से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। राष्ट्रमण्डलीय चीनी करार 1974 में होना है इस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन की यूरोपीय साझा मंडी में सम्मिलित हो जाने के कारण क्या इस करार के बारे में समय से पूर्व कोई पुनर्विचार किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने किसी देश के साथ वस्तु व्यापार आरम्भ कर दिया है ?

सरकार ने चीनी से नियंत्रण हटाने की घोषणा 26 मई, 1971 को इस सदन में की थी।

इसके विपरीत चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मिल मालिकों की ओर गन्ना उगाने वालों के करोड़ों रुपये बकाया हैं। 1969-70 में लगभग 35 करोड़ रुपये गन्ना उगाने वालों के मिल मालिकों की ओर बकाया थे। गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार गन्ना उगाने वालों को गन्ना देने के 14 दिन के अन्दर अन्दर रुपया मिलना चाहिए। इस आदेश को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया है। मिल मालिकों की ओर जो राशि बकाया है उसको वसूल करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में गन्ना उगाने वालों को दिये जाने वाले गन्ने के मूल्य में बहुत अन्तर है। प्रशुल्क आयोग द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि तमिलनाडु में उत्पादन लागत बहुत अधिक है। तमिलनाडु में गन्ना उगाने वालों को गन्ने का वही मूल्य मिलना चाहिए जोकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाने वालों को मिलता है। कुछ मिल मालिकों के पास उर्वरक की एजेंसी भी है और वें गन्ना उगाने वालों को उन्हीं से उर्वरक खरीदने के लिए बाधा करते हैं। मिल मालिक बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं को अपने हितों को बढ़ाने के लिए करते हैं न कि किसानों की सहायता के लिये। मिल मालिक अब रजिस्टर्ड गन्ना खरीदते हैं जिसका मूल्य बहुत कम होता है परन्तु लेखा पुस्तकों में वे उसको रजिस्टर्ड गन्ना दिखाते हैं। इस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन सभी बातों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करे जोकि गन्ना उगाने वालों की सहायता के लिए उपचारी उपायों का सुझाव दे।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker in the Chair** ]

यदि केन्द्रीय सरकार चीनी सम्बन्धी अपनी शक्तियों को राज्यों को दे दे तो इससे गन्ने की खेती तथा चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी और इसका हम निर्यात भी कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री आनन्द सिंह** : (गोंडा) : यदि समूचे देश के आंकड़ों को देखा जाये तो वास्तव में किसी राज्य में भी गन्ना उगाने वालों को पूरा भुगतान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में यह आंकड़े 20 प्रतिशत हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत। यदि हम स्टाक की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि 15.5.1971 को उत्तर प्रदेश में 93 प्रतिशत स्टाक था जबकि महाराष्ट्र में स्टाक केवल 65 प्रतिशत था। अतः नीति की बात करते समय हमें समूचे देश के हित को ध्यान में रखना चाहिए। इससे मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि देश के सभी राज्यों में मिल मालिकों की ओर राशि बकाया है।

दूसरे जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है सरकारी कारखानों का 30 प्रतिशत सहकारी कारखानों की ओर 19 प्रतिशत तथा गैर-सरकारी कारखानों की ओर 15 प्रतिशत राशि बकाया है। ऐसा लगता है कि नीति में ही कोई त्रुटि है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात रिजर्व बैंक 100 रुपये की चीनी के लिए केवल 75 रुपये देता है जबकि पहले मिल मालिकों को 85 तथा 90 रुपये तक मिल जाते थे। मिल मालिकों द्वारा पूरा भुगतान न किये जाने का एक यह भी कारण है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति से सरकार किसानों का ही शोषण कर रही है। मैं स्वयं गन्ना उगाने वाला किसान हूं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मिले तथा वह मूल्य ठीक समय पर मिले। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यह भुगतान किस प्रकार किया जाता है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मिल मालिकों को जब कोई रियायत देती है तो उसका कुछ लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए।

देश के कुछ भागों में चीनी के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था कि महाराष्ट्र में मिल मालिकों ने चीनी के 1,30,000 बोरे 194 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से बेचे हैं। जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक फैक्टरी को लगभग 80 लाख रुपये का लाभ हुआ है। अतः मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री इन बातों को देखते हुए अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग उत्पादन शुल्क लगायें।

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलुरु) : मैं यह नहीं कहना चाहता कि चीनी मिलों को जो लाभ हो रहा है उसको कम किया जाये परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि गन्ना उगाने वालों की दशा को सुधारा जाये, मेरी शिकायत यह है कि मिल मालिक करों का भी भुगतान नहीं करते हैं। अनेक उद्योगपति चीनी की मिलों से मुनाफा कमा कर अन्य उद्योगों में लगाते हैं। अतः सरकार यदि अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करके उसको गन्ना उगाने वालों के हित में नहीं बनाती है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है। गन्ने के मूल्य को 9.4 प्रतिशत वसूली के साथ 7.37 पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह मूल्य न्यायोचित नहीं है। यदि मूल्य को 8.3 प्रतिशत वसूली के साथ निर्धारित किया जाता तो यह किसानों के लिये लाभदायक था। आरम्भ में किसानों ने धान के स्थान पर गन्ना उगाना शुरू कर दिया था क्योंकि वे इसको अधिक लाभदायक समझते थे। परन्तु कुछ ही वर्षों में उन्हें अपनी गलती महसूस हो गई और अब वे गन्ने के स्थान पर किसी भी चीज की खेती करने को तैयार हैं। मेरे अपने जिले में पहले 90,000 एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती थी परन्तु अब केवल 40,000 एकड़ भूमि पर ही गन्ने की खेती होती है। इसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में भी कमी होने की सम्भावना है।

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi translation of English version of the speech delivered in Telegu.

वास्तव में उद्योगपति चीनी का विनियंत्रण चाहते हैं यद्यपि मेरे विचार में 1971 में नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात से कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष देश में चीनी के मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । हमें भय है कि आगामी वर्षों में मांग की अपेक्षा चीनी का उत्पादन बहुत कम होगा । यह बड़े खेद की बात है कि सरकार किसानों को आवश्यक सुविधायें पहुंचाने अर्थात् सिंचाई के लिये पानी, उर्वरक तथा समय पर वित्तीय सहायता देने पर ध्यान नहीं दे रही है । इसके परिणामस्वरूप किसानों में असंतोष फैल रहा है । महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ने से स्थिति और बिगड़ गई है ।

1950-51 में भारत में कुल 138 चीनी मिलें थीं जिनकी संख्या 1969-70 में बढ़कर 215 हो गई थी । किसान इन सभी मिलों की मांग को पूरा कर सकते हैं परन्तु उनको अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार मूल्य को 100 रुपये अथवा इससे अधिक निर्धारित नहीं करती ।

सरकार ने शीरे का बहुत ही कम मूल्य निर्धारित किया है । बाजार में शीरे की मांग इतनी अधिक है कि इसका मूल्य चोर बाजार में 300 रुपये तक बढ़ गया है, इस समूची स्थिति की जिम्मेदारी सरकार पर है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शीरे पर से तुरन्त नियंत्रण हटा दे । अन्त में मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वह गन्ना उत्पादकों की उचित मांगों पर तुरन्त ध्यान दे ।

**श्री एच० एम० पटेल** (ढंढुका) : सरकार की नीति के कारण इस उद्योग को बहुत हानि उठानी पड़ी है । कभी सरकार इस पर नियंत्रण करती है और कभी नियंत्रण हम करते हैं । एक बार तो सरकार ने इस पर आंशिक विनियंत्रण कर दिया था । मेरे विचार में देश की वर्तमान स्थिति में विनियंत्रण संतोषजनक ढंग से कार्य करेगा । इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि मिलों को पर्याप्त गन्ने की सप्लाई होती रहे । ऐसा सम्भव होने पर ही गन्ना उत्पादकों को संतोषजनक मूल्य देना सम्भव होगा । अनेक माननीय सदस्यों ने मूल्यों में वृद्धि की मांग की है । मेरे विचार में इसके लिये सरकार को अन्य बातों को ध्यान में रखना होगा । परन्तु मेरे विचार में वर्तमान स्थिति को देखते हुये मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक है ।

1.7 करोड़ रुपये की समस्या मेरे विचार में एक मामूली समस्या है । ऐसी बात नहीं कि मिल मालिक इस राशि का भुगतान नहीं कर सकते । उनको केवल कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । मैंने सुना है कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में कुछ अनुदेश जारी किये हैं परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंक उनको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं । वे इन अनुदेशों की विवेचना अपने हित को ध्यान में रखकर ही करते हैं ।

यदि हम चाहते हैं कि यह उद्योग प्रगति करे तो हमें उस पर नियंत्रण लागू नहीं करना चाहिये । विनियंत्रण से कोई हानि नहीं होगी । सरकार को इस उद्योग के बारे में स्थायी नीति अपनानी चाहिये और इस नीति में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

**श्री ई० वी० विखे पाटिल** (कोपर गांव) : *

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे बताया गया है कि मराठी के अनुवाद का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

**श्री ई० वी० विखे पाटिल :** मैं हिन्दी में बोलता हूं ।

* माननीय सदस्य मराठी में बोले ।

*Spoke in Marathi.

**Shri E. V. Vikhe Patil :** It is not correct to say that price of sugar has been increasing since it has been decontrolled. For the last few days the price of sugar is going down. The price of the sugarcane today is the same as was fixed in 1967-68. Inspite of the fact that the price of the sugarcane is so low the sugar mills owe 40 crores of rupees to the farmers. In Maharashtra only two out of the six joint stock companies have not paid the money to the farmers. The factories cannot sell the Sugar at their own will. Allotment is done by the Government every month.

The factories should be run on the cooperative basis. They pay more price to the farmers and even then they earn profit. I want to know whether the Government is willing to increase the price of sugarcane or not ?

**प्रो० एस० एल० सक्सेना** (महाराजगंज) : अप्रैल के आरम्भ में माननीय मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था उसमें बताया था कि किसानों का 53 करोड़ रुपया मिल मालिकों की ओर बकाया है। गोरखपुर में सरदार नगर फैक्टरी ने किसानों का एक करोड़ रुपया देना है। अतः किसानों ने शपथ ले ली है कि वे अगले वर्ष से गन्ने की खेती नहीं करेंगे। अतः अगले वर्ष गन्ने की खेती बहुत कम होगी और इसके फलस्वरूप चीनी का उत्पादन भी कम होगा। यदि मिल मालिक किसानों को उनकी बकाया राशि नहीं देते और जब तक बैंक इस सम्बन्ध में मिल मालिकों की सहायता नहीं करते तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए। सात रुपये बहुत ही कम हैं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने चीनी से नियन्त्रण हटा दिया है। परन्तु अब स्टाक पर्याप्त नहीं है। प्रतिमास लगभग चार लाख टन चीनी बाजार में बिक्री के लिए दी जाती है। अतः स्टाक तेजी से खत्म हो रहा है। आगामी वर्ष में चीनी का कम उत्पादन होने की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। अतः सरकार को इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर कोई नीति बनानी चाहिये।

बम्बई में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रस्ताव पास किया है। इस बात को दो वर्ष हो गये हैं परन्तु इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि सरकार इस बारे में गम्भीर होती तो वह अध्यादेश जारी कर सकती थी जैसाकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए किया गया था। सरकार ऐसा करने की केवल धमकी ही दे रही है जिसके कारण मिल मालिक कीमती मशीनों को मिलों से निकाल रहे हैं। अतः सरकार को इस बारे में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए।

दस वर्ष पहले देश के कुल चीनी उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश और बिहार से आता था परन्तु अब यह 60 प्रतिशत रह गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार समूचे देश में एक ही भाव पर चीनी बेचे, इसके लिए अलग अलग स्थान पर उत्पादन शुल्क अलग अलग दर से लगाया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार चीनी सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करे।

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) :** I am thankful to the Hon. Members who have participated in the debate.

Quite a few questions have been raised during this debate and most important of them is that the farmer should get his due. Government have been making adequate adjustments in their policy to ensure that crores of our people working in this field should get their fair due ; otherwise they would not be encouraged to cultivate sugarcane as a result of which there would be lesser production of sugar and this would creat many problems for the entire economy of the nation. Government is very particular about this aspect.

In the past the sale of sugar was partly decontrolled and then completely decontrolled. The result of such actions on the increase or decrease in the prices of commodities are carefully observed. Cost of production and other similar factors are also looked into ; and only after considering all these things, the Government can take any action in regard to fixation of prices. While fixing the prices for sugar cane the Government will have to ensure that the producers, the farmers get adequate price for their produce. In this context, income from alternative crops, rise in the prices of other consumer goods, rise in labourer's wages etc. are also the factors to be kept in mind.

It is time to suggest that there has been an overall decline of four to five percent in the sugar-cane cultivation. It is about 8 per cent in the factory areas. There are many areas which are far from factories and, therefore, their produce cannot find place in the factories producing sugar. The farmers of these areas produce gur. This causes a shortfall of about 8 to 10 percent of sugar in the factory areas. Government is fully concerned over it. Then, we are also worried about a shortfall in our stock. On 23rd July it was only 23 lakh tonnes and we have to release a lot within the next two months. Then it would be reduced to only 16-17 lakh tonnes. Government is vehemently concerned in this regard. The question of fixing prices is secondary. First of all we have to see whether the factories would get the required quantity of sugarcane. All these factors have to be considered and besides looking into the interests of farmers and manufacturers, we have to take care of our entire economy as well. But it is imperative that the farmers should get their due.

At the time of decontrol of sugar in May, the arrears stood to Rs. 49 crores. This year this amount is about Rs. 25 crores. We are making all out efforts to pay it off quickly. In some areas of the country if the payment has been delayed for more than fifteen days, it would be paid off with interest. The farmers are entitled to it. In U. P. the rate of interest paid is 7½ percent. We will further ensure that the farmers get their payment with interest. It is not correct to say that the mill-owners are not being given money by the banks to pay the arrears. Previously we had earmarked Rs. 254 crores for this industry. Then this limit has been increased to Rs. 274 crores. Further in certain special cases, they can draw even more from the banks. But difficulty is that many mill-owners, though, draw money from the banks but they don't pay to the farmers. We have also received complaints to the effect that the mill-owners withdraw the money against sugar and invest that into some other industry. Therefore, we have asked certain States to deal with such cases very strictly. Also we have written to the States to enforce adequate laws in this respect if such laws do not already exist. Let the State's recover those arrears from the mill-owners and pay to the farmers. Such mill-owners should be prosecuted, arrested and sent to prison. We want to deal with such cases very strictly.

Now, regarding nationalisation, I want to say that a Commission is already looking into it and since it is a very vast industry ; so, we can take action only after looking into all the aspects. We will decide something after the receipt of this Commission's report. The recent amendment to the Constitution will also be taken into account while deciding upon this issue. As regards the taking over of certain sugar mills by U. P. Government, let me submit that only 12 mills were taken over and all these mills were in a very bad condition. All of them were running in loss and the farmers were not getting their payment. But this matter is also now in the High Court and its judgement is awaited. That too will have to be taken into account. Besides this all, the recommendations of the tariff Commission will also be kept in mind.

Shri Mishra had asked about existence of a special machinery to check the figures of recoveries submitted by the mill-owners. We have no such additional machinery and only the Excise Department who checks to inputs and outputs of these mills for the purpose of recovering taxes helps us in this regard. However, we propose to look into such things from time to time so that the farmers get their fair due and the mill-owners are not able to give wrong figures.

As regards payment of arrears by the co-operative societies, let me make it clear that the arrears due towards these cooperatives societies are far less than those of private companies. The

cooperatives owe only Rs. 5 crores and 48 lakh whereas the Joint Stock Companies owe Rs. 19 crores and 27 lakhs.

Regarding decontrol of molasses, so as to secure more prices for the farmers, the Government will look into this matter.

Finally again, let me say that the Government and also the hon. Members have deep sympathy for the farmers and all of us wish that their living conditions should improve, we are committed to work for this cause.

## राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारक विधेयक, 1971
## PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL, 1971

**गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय गौरव के अपमान के निवारक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस सभा ने अनेक बार राष्ट्रीय चिह्नों के अपमान पर चिन्ता व्यक्त की है । उग्रवादी लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और प्रायः ऐसी कार्यवाहियां करते रहते हैं जिनसे न केवल सार्वजनिक शान्ति भंग होती है अपितु राष्ट्रीय गौरव को भी हानि पहुंचती है । ऐसी गतिविधियों तथा कार्यवाहियों पर पूर्ण अंकुश रखने के लिये इस समय हमारे पास कोई केन्द्रीय कानून नहीं है और राष्ट्रीय ध्वज, संविधान तथा राष्ट्र गान के गौरव की रक्षा करने में कठिनाई पैदा होती है । केवल तमिलनाडु में ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कानून बना हुआ है । इसी प्रकार का कानून केन्द्रीय स्तर पर भी होना चाहिये । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह विधेयक पेश किया गया है ।

इस विधेयक के खण्ड 2 के अधीन व्यवस्था है कि राष्ट्रीय ध्वज को या संविधान को सार्वजनिक स्थानों पर जलाने, विकृत आदि करने वाले को दण्ड दिया जाये । इसी प्रकार खण्ड तीन में राष्ट्र गान के समय गड़बड़ करने वाले को भी दण्ड देने की इसमें व्यवस्था है ।

राष्ट्रीय गौरव को हर खतरे से बचाने के लिये हमें हर संभव उपाय करना है चाहे वे खतरे देश में हों अथवा विदेशी हों । राष्ट्रीय मान-सम्मान को हानि पहुंचाने वाली किसी भी घटना को हमें रोकना है । मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को अपना हार्दिक समर्थन देगी ।

**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : इस विधेयक की भावना तो बहुत ही पवित्र है कि यह राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान के हितों की रक्षा का उद्देश्य रखता है और इसी कारण इस विधेयक को सभी का समर्थन मिलना चाहिये । इस विधेयक का अभिप्राय ऐसे लोगों को दण्ड देने का कानून बनाना है जो राष्ट्र गान, राष्ट्र ध्वज तथा हमारे संविधान की गरिमा को हानि पहुंचाते हैं । परन्तु साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस कानून का दुरुपयोग न होने पाये । हमें इस विधेयक में निहित त्रुटियों को भी खोज निकालना चाहिये । वस्तुतः समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह संविधान, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र गान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव दे सके । यह अधिकार तो नहीं छीन लिया जाना चाहिये । आखिर इन सभी के बनाने वाले भी तो हमारे लोग ही हैं और सभी कानून लोगों के लिये हैं ।

इस विधेयक के खण्ड 2 में से वह भाग निकाल दिया जाना चाहिये जिसमें शब्दों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज आदि को हानि पहुंचाने की बात है । अन्यथा इस के कुछ लोग मनचाहा अर्थ

निकालकर अन्याय कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के उदाहरण से हम काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं जिसमें अनेक आश्वासन धरे के धरे रह गये हैं। मद्रास जैसे स्थानों पर भी मजदूर संघों के नेताओं को इस अधिनियम के अधीन बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया गया है।

फिर, वैसे तो हमारा संविधान भी अनेक बार बदला जा चुका है परन्तु जब हमारे नेता श्री नम्बूदरीपाद ने संविधान में आमूलभूत परिवर्तन करने को कहा तो लोगों ने आपत्तियां उठाईं। उनके विरुद्ध मामले चलाये। अतः हमारा विचार है कि ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं जबकि मूलतः पूंजीवादियों और जमींदारों के द्वारा हमारे संविधान में कोई वृहत परिवर्तन आदि करने की बात कहे और आप उसके विरुद्ध इस कानून का अनुचित उपयोग करके उसे मुसीबत में डाल दें। अतः हमें इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और इसीलिये हम इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं। राष्ट्र ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान प्रचार शिक्षा तथा समझाने-बुझाने द्वारा उत्पन्न किया जाता है दण्ड देकर नहीं। यदि कोई इनको जलाकर या नष्ट भ्रष्ट करके अपमानित करना चाहे तो उसको आप दण्ड दें। परन्तु शब्दों आदि के प्रयोग के लिये आप इतना कठोर कानून न बनायें। परिवर्तन की बात कहने का तो हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिये। वह तो स्वीकार भी तभी होगा जबकि अधिकांश लोग उसे चाहेंगे। अतः इस सम्बन्ध में लोकमत तैयार करना होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिये कि कोई व्यक्ति इनमें परिवर्तन के लिये कहे और आप उसके विरुद्ध कार्यवाही कर डालें।

इसके अतिरिक्त तीन वर्ष की कैद का दण्ड भी बहुत अधिक है। यह दण्ड छः मास से अधिक नहीं होना चाहिये।

हमें चाहिये कि हम लोगों में राष्ट्रीय गौरव तथा एकता जैसी चीजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें। उन्हें इस संदर्भ में यथेष्ट रूप से अवगत तथा शिक्षित करें। यह कार्य कानून बना कर और दण्ड देकर नहीं हो सकता। अतः इस विधेयक का समर्थन करने के साथ साथ मैं अपनी यह आलोचना तथा कुछ संशोधन पेश करता हूं।

**Shri Rudra Pratap Singh** (Barabanki) : I thank you for the time given to me to speak on this Bill and I hereby stand to extend my sincere support to this very important Bill. I also congratulate the hon. Prime Minister for bringing such a legislation which provides for the preservation of national honour at all the occasions.

There are certain elements in our country which always try to deliberately express and cause dishonour and disrespect to our national symbols ; and at present there is no punishment prescribed under law, for such elements. This Bill provides for such punishment. But the provision of 3 years' imprisonment is too less, a period for such crimes. It should be at least five years. Similarly, imprisonment for creating disruption during the singing of national anthem should also be increased from 3 years to 5 years.

Finally, I would suggest that he who does not extend full and sincere respect, from the very core of his heart, the symbols and emblems of the nation should be treated as the enemies of the nation and punished accordingly. Government should keep a special and very vigilant eye on such traitors.

With these words, I offer my sincere support to this Bill.

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) : Sir, while supporting this Bill, I have got some doubt also to express here. It is time that the National Flag should not be dishonoured by any one and

everybody should respect the the Constitution also, but the law made for ensuring such respects and honour should also not be misused by the ruling party to crush their opponents. Suppose, we say that the Constitution is not at all fit to preserve the interests of the labour class of our society, and thus it should be amended or changed accordingly; then the Government might charge us for creating hatred towards the Constitution. This is the loophole in this legislation which we seek to plug. Similarly, if we propose that the tri-colour should be given red colour then again you might catch hold of us saying that we are inciting disrespect or hatred towards the National Flag. This is our suspicion and such sort of scope should not be allowed to remain in this legislation.

We have been experiencing that most of our laws have not been applied for the interest of our common people, the farmers and the labourers. Only the rich people were benefited by our laws. So, till you don't adopt a really socialistic attitude, in practice, and also make all laws and other regulations with this very spirit; these would raise voices against your laws etc., and then, with the help of this legislation, you might bring those voices to book. So, please ensure first that this law will not be misused against those who would propose any changes. Otherwise, this would be a very powerful weapon in the hands of your officers to use against your opponents.

As regards the provision of imprisonment under this legislation my submission is that though I agree that there should be some punishment but it should only be 2 years and not 3 years.

**श्री झामनकर** (भिवंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं । वस्तुत: तो यह विधेयक बहुत विलम्ब के पश्चात् पेश किया गया है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 5-6 वर्ष बाद तक हम यह अनुभव करते रहे कि यह राष्ट्र ध्वज हमें अनेक बलिदान देकर प्राप्त हुआ है परन्तु गत 10 वर्षों से इसके प्रति अनेक लोगों में अश्रद्धा और उपेक्षा की भावना पैदा होती जा रही है । यह बात विशेषरूप से सिनेमागृहों में बहुत देखने को मिलती है जहां राष्ट्र गान आरम्भ होते ही लोग इधर उधर से बाहर निकलना आरम्भ कर देते हैं और वहां खड़े होकर राष्ट्र गान के प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं करते हैं । यह बहुत ही गलत बात है ।

दूसरे, अधिकांश अंग्रेजी चलचित्रों में नामावली अन्त में दिखाई जाती है तो उसके पूर्व ही लोग कुछ बेसब्र से होकर हाल से बाहर निकलने लगते हैं और राष्ट्र गान के प्रति अश्रद्धा तथा उपेक्षा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है । ऐसी व्यवस्था को रोका जाना चाहिये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा के आरम्भ में ही अपने राष्ट्रीय चिह्नों, प्रतीकों आदि के इतिहास से अवगत कराना चाहिये । इस प्रकार राष्ट्रीय चिह्नों के प्रति श्रद्धा और सम्मान आरम्भ से ही उनके मस्तिष्क में बैठ जायगा और फिर इस प्रकार की असम्मान और उपेक्षा आदि की स्थिति पैदा ही न होगी ।

इस विधेयक में 3 वर्ष के दण्ड की व्यवस्था है । मेरे विचार से यह दण्ड कम से कम छ: मास तथा अधिकाधिक 3 वर्ष होना चाहिये । दो चार दिन के दण्ड से काम नहीं चलेगा ।

आजकल राष्ट्र गान दिन भर में सुबह से रात तक कभी भी बजा अथवा गा लिया जाता है । इसके लिये कोई समय निर्धारित होना चाहिये और रात्रि के 10-11 बजे से प्रात: बहुत सुबह तक की अवधि में इसे गाया अथवा बजाया नहीं जाना चाहिये ।

सरकार ने यह विधेयक पेश करके उचित कार्य किया है । इससे विशेष रूप से हमारे नवयुवकों तथा बालकों में व्याप्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अश्रद्धा और उपेक्षा को कम करने में सहायता मिलेगी ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I welcome this Bill which has come here after putting great pressure on the Government. It should have been brought much earlier and got passed.

Here in this House itself, those are certain people and also certain political parties who have no faith in the Constitution and they even perform the "Holi" of this sacred document. I am not against making amendments but insulting the Constitution is a big crime and such a crime should be treated inimical for the country. The same thing should be adhered to in respect of the national flag and the national anthem.

To be quite clear, I do not admit that a tri-colour flag is our national flag. We consider only that flag as our national flag which bears an **Ashoka Chakra** on it. The ruling party here also has a tri-colour flag as party flag. But that is not the national flag and any insult to that flag is no crime.

Carrying national flag in political movements has been noticed and it should be stopped.

This Bill does not speak of the provisions made for our national symbols and emblems in our missions abroad and also in foreign countries where our national flag has sometimes been insulted. There should be provision that our national flag in a foreign country should receive the same respect and honour as is available in the national flag of the country. There should also be a provision that in case of any disrespect to our national flag in a foreign country, the matter should be brought before the U.N.O.

I am not satisfied with the provision of the punishment. It should be more. It is very shameful to insult national honour and national symbols.

Then there is no provision of punishment to those who burn the effigies of our national leaders *viz.* Mahatma Gandhi, Lok Manya Tilak, Jawahar Lal and many more. Such great persons are the source of inspiration and guidance for the whole nation. Therefore, he who insults such great men should also be punished.

With these words, I support and welcome this Bill.

**Shri N. N. Pandey** (Gorakhpur) : I heartily welcome this Bill and hope that it will be utilised just for the spirit with which it has been constituted.

It is true that respect and honour for national symbols should be brought about by persuasion and by adequate education, but when the Government found that certain people have delibreately started insulting, burning and also defaming the national symbols and emblems, it became necessary to introduce such a legislation. However, all the parties should endeavour to educate the people in regard to maintaining respect and honour for such things.

We find that the flags on Rashtrapati Bhavan and various other Raj Bhavans are not the national flags. The Government should ensure that with effect from next 15th August, all these buildings should put national flags only.

I was in Leningrad recently and noticed how great respect do the Russians pay to the national leaders. Similarly we should also feel it our foremost duty to honour and respect our Constitution and national flag, national anthem and so on, from the very core of our heart.

Then, there is no meaning in asking for a reduction in the punishment and it should have been rather more.

Finally, I support this Bill and thank the hon. Minister and the Government for bringing it here.

**श्री जी० विश्वनाथन** (वान्डीवाश) : यह विधेयक राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अब जबकि हम इसके लिए कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था कर रहें हैं तभी हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या लोगों को राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत के महत्व का ज्ञान कराया गया है या नहीं तथा साथ ही इस बात का भी विचार करना पड़ेगा कि क्या किसी ने राष्ट्रीय ध्वज की नकल की है अथवा नहीं ? आजकल दोनों कांग्रेसों के झण्डे राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते हैं और लोगों में इस बात को लेकर संदेह है कि कौन सा राष्ट्रीय ध्वज है और कौन सा दल का ध्वज। राष्ट्रध्वज के सम्बन्ध में बनाए गए नियमों का कांग्रेसी ही पालन नहीं करते हैं। अब दोनों कांग्रेसों को, जैसा कि उन्होंने चुनाव चिह्न के लिए किया है एक से झण्डे नहीं रखने चाहिए तथा उनके झण्डे राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते नहीं होने चाहिएं।

इसके अतिरिक्त अपमान और आलोचना के बीच का अन्तर बहुत ही मामूली सा है। इस कारण इसका गलत उपयोग किया गया है। एक जगह कुछ कहने पर मुकदमा चलाया जाता है तथा दूसरी जगह प्रशंसा की जाती है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि 3वर्ष के कारावास के दण्ड को बढ़ा कर 5,7 या 10 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, परन्तु एक कानून के विद्यार्थी के नाते मेरा कहना है कि यह दण्ड बहुत अधिक है। इसे घटाकर 6 महीने या एक वर्ष कर दिया जाये।

इस विधेयक को लागू करने से पहले हमें लोगों को इस सम्बन्ध में शिक्षित करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान के चिह्नों आदि का अपमान करना दण्डनीय अपराध है।

**Shri Mool Chand Daga** (Kali) : It is a matter of disgrace to bring such a bill. But in our country there are certain people who are not loyal towards the nation and that is why this bill has been introduced.

The difference in the national flag and congress flag is very clear and is well known.

The necessity of bringing this bill arose on account of some indecent acts done knowingly towards the national flag. The provision of 3 years punishment is not the minimum, but the provision is that it may extend to three years. And it depends on the enormity of the crime that how much punishment should be given.

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : श्रीमान्, कांग्रेस के झण्डे और राष्ट्रीय झण्डे में समानता होने के कारण जनता को दल ने बहुत गुमराह किया है और झण्डे की समानता का लाभ दल के हितों के लिए उठाया है। अतः उन्हें तुरन्त तिरंगे झण्डे का उपयोग करना बन्द कर देना चाहिए।

हर राष्ट्र का एक ही राष्ट्रीय झण्डा होता है पर हमारे यहां जम्मू और काश्मीर का झण्डा अलग है। यह अन्तर समाप्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तमिलनाडु के अलग झण्डे की मांग की थी। यह सब समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन पर भी राष्ट्रीय झण्डा ही फहराया जाना चाहिए।

सिन्ध अब भारत में न होकर पाकिस्तान में है अतः राष्ट्रगान में से सिन्ध को निकाल दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**). . . .

अन्त में मेरा कहना है कि दण्ड और कठोर होना चाहिए तथा इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए ।

**Shri Ram Sahai Pandey** (Rajnandgaon) : Sir, when we think over the importance of the national flag we remember that night of 14th August, 1947 when flag was created under the Presidentship of Rashtra Ratna Rajeandra Prasad in the Constituent Assembly.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

## राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य के संबंध में चर्चा
## DISCUSSION RE. WORKING OF NATIONALISED BANKS

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** (बेगूसराय) : मैं इस चर्चा को आलोचना की दृष्टि से ही नहीं उठा रहा हूं । यह निश्चित है कि राष्ट्रीयकरण के प्रारम्भ में कुछ समस्याएं उठे । अतः हमें बैंकों के कार्यकरण का परीक्षण करना चाहिए उसे सुधारना और सही अर्थों में समाजवादी बनाना चाहिए ।

[ **श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।**
**Shri K. N. Tiwary in the Chair** ]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में मिलने वाले समाचारों से यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शाखाएं ऐसी जगहों पर खुली हुई है जहां पहले बैंक नहीं थे तथा उन लोगों को ऋण मिले हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, पर पहले वे इससे वंचित रह जाते थे । इस विस्तार कार्यक्रम में हमने 300 करोड़ रुपये खर्च किये हैं पर अभी भी बहुत से गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलनी है ।

बैंकों में रुपया जमा कराने के बजाये उनसे ऋण अधिक लिया गया और संसाधनों को अपेक्षित सीमा तक नहीं जुटाया गया । जमा राशि में वृद्धि होने का कारण मुद्रास्फीति भी हो सकता है । साथ-साथ 'काले धन' के बाजार में आने के कारण जमा राशि पर्याप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार करने से रिजर्व बैंक उन्हें रोकता क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाता संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता ।

जहां तक लाभ का प्रश्न है वह जमा राशि के इतनी मात्रा में आने पर भी वही है जो 1968 में था । सरकार को विभिन्न बैंकों से बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ है । यहां तक कि सेन्ट्रल बैंक से तो उसे केवल 1.8 प्रतिशत नाम मात्र का ही लाभ मिला है ।

बैंकों के कार्यकरण में अत्यन्त गिरावट आ गई है । वहां अब अनपेक्षित देरी होती है तथा भ्रष्टाचार फल गया ।

कर्मचारियों द्वारा नियम के अनुसार काम करने और हड़ताल करने की घटनाएं बढ़ गई हैं । उनमें समाजवाद की भावना भरने में सरकार असफल रही है और सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकती है ।

सरकार को अलग-अलग ब्याज दर लेने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति को स्पष्ट कर देना चाहिए ।

गरीब लोगों को अभी बड़ी ब्याज दर पर बाहर बाजार से रुपया लेना पड़ता है । इस दिशा में कुछ अवश्य किया जाना चाहिए अन्यथा गरीब लोग इस योजना से लाभ नहीं उठा सकेंगे ।

मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने आप को अलग-अलग उद्योगों और व्यापारों का विशेषज्ञ बनाना चाहिए । क्या इस दिशा में कुछ किया जा रहा है ?

विभिन्न औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में सहयोग होना चाहिए ।

यह एक आश्चर्य की बात है कि संसद् बैंकों के कार्यकरण में कोई सहयोग नहीं दे रही है । मेरा इससे यह कहने का अर्थ नहीं है कि वह उनके [illegible] प्रति के कार्यों में हस्तक्षेप करें । पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का अध्ययन करती है उसी प्रकार बैंकों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए भी कोई संसदीय समिति होनी चाहिए ।

ऋण सम्बन्धी हमारी योजना भी त्रुटिपूर्ण हैं । हमें चाहिए कि हम किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए ऋण दें ।

नागर वाला जैसे मामले जनता के मन में अत्यन्त सन्देह पैदा करते हैं । वित्त मंत्री ने भी माना है कि इस सम्बन्ध में बताई गई कहानी को सच मान कर स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः मैं चाहूंगा कि वे, अपने संतोष के लिए भी-इस संदेह को लोगों के मन से दूर करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें । इन सब मामलों की एक आयोग द्वारा जांच की जानी अत्यन्त आवश्यक है । सरकार का इस तरह कि किसी जांच से बचने का प्रयत्न लोगों के मन में और सन्देह पैदा करता है । यदि सरकार ने अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की है तो यह उसकी गलती है और यदि उसने कोई कार्रवाई की है तो वह उसे सभा को बताए और सम्बन्धित कागजातों को सभा पटल पर रखे ।

यह एक बड़े ही आश्चर्य की बात है कि स्टेट बैंक के एजेन्ट का नाम इस तमाम घटना में कहीं नहीं आया जबकि खजाने की चाबी उसके पास होती है और उसने ही वह सब रुपया दिया । क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई ? क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की ? यह सभी आवश्यक बातें हैं ।

इस सब घटना से सम्बन्धित वित्त मंत्री का एक पत्र हमारे पास है जो उन्होंने श्री बसु के पत्र के उत्तर में लिखा है । यह उत्तर देने में उन्होंने 20 दिन लिये । यदि मामला इतना ही सामान्य था तो उन्हें यह उत्तर देने में केवल 10 मिनट लगने चाहिये थे । उसमें लिखा गया है कि यह रुपया करेन्सी चेस्ट से लिया गया था । अब प्रश्न उठता है कि यह करेन्सी चेस्ट क्या है ? कौन उससे रुपया निकालता या जमा करता है ? पिछले एक या दो वर्षों में उसमें सामान्यतया कितना रुपया रहा ? कितना रुपया निकाला गया ? स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट की शाखा की करेन्सी चेस्ट से पिछले छः महीनों में कितना रुपया निकाला गया ? रुपया निकालने के क्या नियम हैं ? इसके अतिरिक्त रुपया निकलवाने के अन्य क्या नियम हैं ? इन सब प्रश्नों के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रश्न इस सम्बन्ध में उठते हैं जिनके उत्तर देने से वित्त मंत्री स्वयं को नहीं बचा सकते ।

इसके अतिरिक्त एक अन्य बात जो बड़ी ही हास्यास्पद लगती है वह यह है कि इसे एक षड्यंत्र नहीं माना गया है। यह केवल नागरवाला और श्री मल्होत्रा का ही काम नहीं है। इसके पीछे अन्य लोग भी हैं, और सबने मिलकर यह सब कार्य किया है।

स्टेट बैंक में अनेक अधिकारी हैं। क्या वे वहां पर दर्शन मात्र के लिये हैं ? नागरवाला कांड के सम्बन्ध में केवल एक या दो व्यक्तियों पर ही मुकद्दमा क्यों चलाया गया और उन पर भी मुकद्दमा एक साथ क्यों नहीं चलाया गया ? समाचार पत्रों में यह भी समाचार आया था कि दो अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं किन्तु उनका नाम नहीं बताया गया है और बाद में वे क्यों छोड़ दिये गये ? पुलिस ने भी इस मामले में बड़े असाधारण ढंग से कार्य किया है। पहले पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास नागरवाला की महिला आवाज में बोली का टेप रिकार्ड है किन्तु वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। नागरवाला ने जिन 6 टैक्सियों का और जिस डिफैंस कालोनी स्थित फ्लैट का उपयोग किया उनका ब्यौरा पुलिस ने नहीं बताया। उस फ्लैट में कैसे लोग रहते हैं, इसका भी पुलिस ने कोई पता नहीं लगाया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और पुलिस इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। अतः मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस मामले की पूर्ण जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाये।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** (गौहाटी) : श्रीमान्, समाजवादी नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में हमारी सरकार ने बैंक-राष्ट्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों का लाभ अर्थव्यवस्था के उपेक्षित वर्ग को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय-करण से पूर्व हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधा प्रदान करने वाले केवल 5000 केन्द्र थे। परन्तु अब राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 19 जुलाई 1969 से 30 अप्रैल, 1971 के बीच बैंकों की 2934 नयी शाखाएं खोली गई हैं जिनमें से 2011 शाखाएं ऐसे स्थानों पर खोली गई हैं जहां पहले बैंक सुविधाएं बिल्कुल न थीं। अब ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सुविधा की दृष्टि से वहां की 65.6 प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी होने लगी हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में जमा राशि में 461 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण संतोषजनक है। साथ ही मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे राज्य आसाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य संतोषजनक नहीं है। उदाहरणार्थ 1970 में एक बैंक की 8 शाखाएं मेरे राज्य में खुली हैं और 1971 में उसने एक भी शाखा नई नहीं खोली हैं, हालांकि उसे वहां अधिक से अधिक शाखाएं खोलने को कहा गया था। नामरूप और गोपालपाड़ा जैसे पिछड़े जिलों में तो दस दस मील तक भी बैंक-सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। जहां बैंक सुविधाएं हैं वहां भी निर्धन वर्ग को यथोचित लाभ नहीं मिला पा रहा है। मेरा सुझाव है कि बैंक अधिकारियों का ऐसा मार्गदर्शन किया जाये जिससे उनमें उपेक्षित लोगों और किसानों को बैंक सुविधा प्रदान करने की भावना पैदा हो।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : श्रीमान्, बैंक-राष्ट्रीयकरण की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी संदर्भ में मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि गत दो वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि बैंकों के प्रबन्धक और कर्मचारी वे ही लोग हैं जो पहले थे और वे केवल निहित स्वार्थों एकाधिकारवादियों और बड़े पूंजीपतियों के हितों का ध्यान ही रखते हैं कृषकों, छोटे व्यापारियों अथवा बेरोजगार इंजीनियरों का नहीं। इन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। आम लोगों के लिये बैंक-राष्ट्रीयकरण एक नारा मात्र बना है। सरकार ने इस नीति की घोषणा की है कि छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाये। इसके लिये रिजर्व बैंक ने एक लीड बैंक स्कीम तैयार की है। इसी संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषकों को ऋण देने

के लिये जो आवेदन पत्र तैयार किया गया है उसमें विभिन्न प्रकार के ब्यौरे मांगे गये हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में निरक्षरता इतनी अधिक है कि किसान अपना आवेदन-पत्र भी स्वयं नहीं भर सकते हैं। दूसरे, उन्हें ऋण लेने के लिये अपनी कोई अचल सम्पत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और तीसरे ऋण लेने के लिये हर किसान को दो व्यक्तियों की जमानत दिलानी पड़ती है। इस प्रक्रिया से गुजरने में हर निर्धन कृषक को कठिनाई होती है। अतः वित्त मंत्री को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा निर्धन कृषक द्वारा लिये गये ऋण से केवल वे धनी व्यक्ति ही लाभ उठाते जायेंगे, जो उनकी जमानत आदि देते हैं। आवेदन-पत्र में एक शर्त यह भी होती है कि ऋण लेनें वाले किसान को अपने कृषि उत्पादन को बैंक द्वारा नियुक्त किये गये अभिकर्ता के माध्यम से बेचना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि किसान को वास्तव में लाभ हो तो इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना चाहिये। अन्यथा ऋण देने की योजना केवल मजाक बन कर रह जायेगी।

कृषि क्षेत्र को ऋण सुविधा देने की स्थिति अब भी शोचनीय है। चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों से मार्च 1971 तक 4000 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई, किन्तु इसमें से केवल 198.8 करोड़ रुपये की राशि ही कृषि क्षेत्र को गई। साथ हीं मैं इस बात की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बैंक, ऋण मांगने वाले लोगों को तंग करते हैं। किसी को किसी शर्त के पूरा होने पर ऋण नहीं दिया जाता और किसी के आवेदन पत्र पर विचार ही नहीं किया जाता। इस आशय के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यूनाइटिड कर्मशियल बैंक की दिल्ली स्थित ब्रांच ने कलकत्ता स्थित बैंक से रुपया मंगाने में चार सप्ताह का समय लिया है। यह है काम करने की गति इन बैंकों में।

एक सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति ऋण की राशि दिसम्बर 1967 53.20 पैसे में थी, किन्तु पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में यह राशि 10 पैसे में ही बैठती है। केवल बर्दवान जिले में यह राशि 21 रुपये है जहां कि अनेक कोयला खानें हैं।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये, क्योंकि इनकी वर्तमान स्थिति से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

**श्री एच० एम० पटेल** (ढंढुका) : सभापति महोदय, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को काम करते थोड़ा ही समय हुआ है इसलिए उनके कार्य के सम्बन्ध में बहुत गहराई तक जाने का अभी कोई औचित्य नहीं है। किन्तु उनके बारे में कुछ बातें अवश्य ही विचारणीय हैं। पहली बात यह है कि ऋण-राशि की सीमा निश्चित कर दी गई है, इससे उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

इस समय मैं स्टैट बैंक से 60 लाख रुपये की राशि निकाले जाने के कांड के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस कांड से बैंक के कार्यकरण के बारे में संदेह होता है। स्टेट बैंक को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि यह घटना कैसे घटी है, जिससे बैंक के जमाकर्ताओं का डर दूर हो जाता। ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है, पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं कई बार घट चुकी हैं। यदि टेलीफोन पर मांगने से ही बिना रसीद लिए राशि नहीं दी जाती तो यह घटना ही न घटती। वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यह राशि "करेन्सी चैस्ट" से निकाली गई थी। वहां से निकालने पर यह राशि बैंक के हिसाब-किताब में दर्ज की जानी चाहिए थी। दूसरे "करेन्सी चैस्ट" से राशि उसी समय निकाली जाती है जबकि ग्राहकों को उसकी आवश्यकता होती है। मैं यह जानना चाहूंगा, कि यह राशि किसके लिए निकाली गई थी। उसकी बैंक में जमा राशि कितनी थी ?

यह केवल प्रक्रिया की बात नहीं है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय को स्पष्टोकरण दे देना चाहिये।

यदि किसी व्यक्ति को बैंक से राशि लेनी है तो वह सम्बन्धित अधिकारी के पास जाता है, किन्तु इस मामले में मुख्य खजांची से सीधा सम्पर्क किया गया था। यदि इसे वैयक्तिक सम्पर्क भी मान लिया जाये, तो भी यह तो असाधारण लगता है कि 60 लाख रुपये की राशि केवल टेलीफोन के आधार पर ही दे दी जाये। जिस व्यक्ति या संस्था के टेलीफोन के आधार यह राशि दी गई थी वह व्यक्ति या संस्था भी महत्वपूर्ण होना चाहिए था। व्यक्ति विशेष को स्थान विशेष पर राशि दी गई। व्यक्ति विशेष ने किसी संकेत या संकेत-शब्द का प्रयोग किया होगा। इन सब बातों की ओर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। यह घटना अपनी किस्म की पहली नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसी घटनाओं के होने से उनके कार्य का अनुमान लग जाता है। वित्त मंत्री ने केवल इतना कहा कि इस मामले में प्रक्रिया भंग की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि इस कांड से संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री एन० एन० पाण्डेय** (गोरखपुर) : यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है। अतः माननीय सदस्य को इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : न्यायालय इस बात पर विचार नहीं करेगा। नियमों आदि का उल्लंघन किस प्रकार किया गया। हम जानना चाहते हैं कि नियमों और विनियमों का उल्लंघन कैसे किया गया था। हम चर्चा बैंक के कार्य के बारे में कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के बारे में नहीं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। इस चर्चा को न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं माना जा सकता।

**सभापति महोदय** : सभा में यह प्रक्रिया रही है कि यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उसका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता।

**श्री श्याम नन्दन मिश्र** : आप इसके किस पहलू पर आपत्ति कर रहे हैं ?

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair]**

**श्री एच० एम० पटेल** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट बैंक के कार्यों और वहां की प्रक्रिया के बारे में बोल रहा था। 'करेन्सी चैस्ट' से राशि किसी व्यक्ति की मांग पर या बैंक की अपनी आवश्यकता के लिए निकाली जाती है। इस मामले में यह राशि किसके नाम में दर्ज की गई।

**श्री एन० एन० पांडे** : यह मामला विचाराधीन है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कार्यवाही के बारे में मालूम है। यद्यपि हमें इस चर्चा को सीमित रखना चाहिए ताकि उसका प्रभाव न्यायालय की कार्यवाही पर न पड़े किन्तु साथ ही हम आवश्यकता से अधिक भावुक भी नहीं होना चाहिए।

**श्री एच० एम० पटेल** : हम तो चाहते हैं कि स्टेट बैंक में ठीक प्रक्रिया अपनाई जाये। इस कांड से लोगों के मन में चिन्ता हुई है ? उसे दूर करने के लिए सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए था जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता जिनमें यह कांड घटा।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस पर सामान्य रूप से चर्चा करें ? इसे स्पष्ट न बनायें ?

**श्री एच० एम० पटेल** (ढंढुका) : वास्तव में स्टेट बैंक को स्पष्ट करना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही कैसे की जाती है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वह किसी भी परिस्थिति में केवल टेलीफोन करने से धन नहीं देते हैं और यह भी बताना चाहिये कि लिखित अनुदेशों के बिना किसी को धन नहीं दिया जाता है। ऐसा करने के लिये भी उचित फार्म पर रसीद प्राप्त करने के बाद धन दिया जाता है। यदि किसी मामले में उक्त तरीके से धन नहीं दिया गया है, तो उन्हें बताना चाहिये कि उस मामले में पर्याप्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। यह बात लोक हित में है। बैंकों को सामान्य प्रक्रिया की उपेक्षा कर किसी भी परिस्थिति में कार्यवाही नहीं करनी चाहिये अन्यथा बैंकों से जनता का विश्वास उठ जायेगा जिससे बहुत हानि हो सकती है। यदि इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई हों तो यह बात और भी महत्वपूर्ण होगी, परन्तु मुझे आशा है कि अपनी किस्म का यह एक ही मामला है।

**Shri Bhogendra Jha** (Jainagar) : I would like to point out that the nationatised banks do not fulfil the aspirations of the people. No doubt, it was a step in the right direction but there is great discontentment among the masses. I want to know whether the time is not ripe to nationalise all the rest of the banks which have been left out. The policies of the nationalised banks should also be changed. The purpose of nationalisation was to provide banking facilities to the backward areas. But the number of branches opened in the backward areas is not very encouraging. I would, therefore, suggest that a branch should be opened in each development block by the end of this financial year. At present there is one bank for a population of 47,000 in the country but there is one bank for the population 1,35,000 in Bihar. This disparity should be removed.

I have come to know that Government has not yet implemented the scheme of preferential rate of interest. According to this scheme the people belonging to the lower strata of society can get loans on nominal interest. This scheme should be implemented immediately. The nationalised banks should give 50 percent of loans for agricultural purpose. So far only the people belonging to upper strata of society in the rural areas have been able to get loans. The small farmers are still neglected. They are not able to get even one percent of the total loans. Nationalised banks should advance loans for various irrigation and other schemes which have been languishing for lack of funds. I feel that there are many people like Nagarwala who manage to get money from the banks. The Finance Minister should conduct a thorough probe as to how people like Nagarwala can get so much amount from a bank by mere asking whereas the people of rural areas have to wait for 6 months to one year for getting a loan. Government should make a rule that the amount of loan will be paid within 2 months of the receipt of application forms. If the time limit is fixed, then common man need not give bribe to get a loan. In view of this the procedure for giving loan should be streamlined.

***श्री था० किरुत्तिनन** (शिवगंज) : सरकार को इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये प्रभावशाली उपाय करने चाहिये। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों की आशाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। अब भी बैंकों के इंचार्ज वही प्रबन्धक निदेशक हैं जो राष्ट्रीयकरण से पहले उनका संचालन करते थे यद्यपि उनका पदानाम कस्टोडियन रख दिया गया है। बैंक कार्य सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं कस्टोडियनों की प्रतिभा और क्षमता को चुनौती नहीं देता परन्तु प्रश्न यह है कि वे अब भी उसी पुरानी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो जन साधारण के हितों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में ये बैंक

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

*Hindi tranlsaition of the speech delivered in Tamil.

समाज के कमजोर वर्गों की प्रगति और कल्याण के लिये कैसे कार्य कर सकते हैं ? यदि किसी व्यक्ति को लाखों रुपये दे दिये जाय और वह उस राशि की मनमर्जी से व्यवस्था कर सकता हो तो वह निश्चय ही निरंकुश हो जायेगा। वह इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि उसके कार्यों से राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं।

देश के सभी प्रगतिशील राजनीतिक दल राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि इतनी बड़ी राशि केवल 75 एकाधिकार गृहों द्वारा उपयोग न, किया जाये। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह था कि इन करोड़ों रुपयों की राशि का उपयोग गरीब जनता, मध्य वर्ग, किसान परिवारों और लघु उद्योगपतियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिये किया जाये। परन्तु इस क्रांतिकारी कार्यवाही का वांछित परिणाम नहीं निकला। वित्त मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिये कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को एक बोर्ड गठित करना चाहिये जिससे उच्च प्रबन्धक शक्ति का अनुचित प्रयोग न कर सकें। वास्तव में देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिये। मुझे इस बात का दुख है कि आजकल इन बैंकों में भ्रष्टाचार और कदाचार का बोलबाला है। ऋण मंजूर करवाने के लिये रिश्वतें दी जाती हैं। उच्च प्रबन्धकों के परिचित और परिवारों के सदस्य ऋण सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिये उक्त बोर्ड का गठित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त बोर्ड में श्रम प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जाने चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के नियम इसी प्रकार के हैं जैसे सरकारी सेवा के हैं। सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये कोटा निर्धारित किया जाता है। इन बैंकों के लिये भी भर्ती नियम बनाये जाने चाहिये जिससे उक्त जातियों के लिये पदों का पर्याप्त आरक्षण किया जा सके।

**Shri Jaganathrao Joshi** (Shajapur) : The people in rural areas had expected that small farmers would be able to get loans at cheaper rate of interest and also quickly after nationalisation. But it has been observed during the last 2 years that it has brought no relief to the villagers and conversely men like Nagarwala can manage to get money on telephone. This is a serious matter and Government should look into it.

The object of nationalisation was to help the small farmers, small scale industrialists and backward classes. But the point is whether that policy has been honestly implemented to the lowest level ? There has been no significant change in the policy of the banks during the last two years. The banks demand security which the poor men cannot give. The result is that they cannot avail themselves of the facilities provided by the banks.

The reason for brain drain is that talented people are not given due respect. In case a talented man comes to the bank with a blue print to establish any industry and the bank is satisfied about the capability of that man, he should be given money. The people who cannot offer security but have talent should be given loans by the banks.

There was great discontentment among the staff of the State Bank of India due to irregularities in the matter of promotions. Government should look into this matter to remove the discontentment.

There used to be many cases of misappropriation and malpractices prior to nationalisation. The recent incident would shake the confidence of the people in the banking system. There is no improvement after nationalisation. The case of Nagarwala has not been properly investigated. The court has disposed of this case with supersonic speed. It was not a public trial. The Government does not want us to discuss this matter on the plea that the matter is **sub judice**. Government should

furnish details of the case. I want to know the name of persons from whose account the amount was given to Nagarwala and how such amount was there in his account ? Had the Government given all these detail there no suspicions would have arisen.

**श्री मधु दंडवते** (राजापुर) : राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का शीघ्र विकास सुनिश्चित करना था । इसका दूसरा उद्देश्य जमा राशि को बढ़ाना और तीसरा समाज के उन वर्गों की वास्तविक आकांक्षाओं को संतुष्ट करना था जिन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ में अपना हिस्सा नहीं मिलता था । राष्ट्रीयकृत बकों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था । इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं ।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जमा राशि में वृद्धि हुई है यद्यपि कुछ विशेष प्रयत्न करके इस राशि को और भी बढ़ाया जा सकता था । राष्ट्रीयकरण से पूर्व 65,000 व्यक्तियों के लिये एक बक की व्यवस्था थी और अब 47,000 व्यक्तियों के लिये है । कुछ प्रगति हुई है परन्तु अभी बैंक उद्योग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विषमता काफी है । जिन लोगों के हाथ में सरकारी उपक्रमों की बागडोर है वे अब भी उन्हें गैर-सरकारी मान कर चलाना चाहते हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न मजदूर संघों ने कई योजनाएं प्रस्तुत की हैं परन्तु सरकार उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सकी है । अतः बैंकों के प्रबन्ध में मजदूरों को सम्मिलित करने का सिद्धांत केवल कागजी कार्यवाही रह गई है । समाज के पिछड़े वर्गों को ऋण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं । इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है । सरकार ने ऋण गारन्टी निगम की स्थापना की है । इसका उद्देश्य यह था कि उपेक्षित क्षेत्रों में लोगों को दिये गये ऋण की जोखिम यह अपने ऊपर ले लें । परन्तु भ्रष्टाचार और अध्यक्षता के कारण इस प्रयास का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है । वित्त मंत्री को इस पहलू पर प्रकाश डालना चाहिये । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ब्याज की दरों में भिन्नता लाने के लिये डा० हजारे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । हमारे क्षेत्र के बहुत से किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिये घूस देनी पड़ी है । यदि नागरवाला के मामले की तरह की कोई घटना होती है तो उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । यदि सरकारी क्षेत्र का नाम रोशन करना है तो उन्हें ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करना चाहिये और ग्रामीण जनता के लिये चलते फिरते बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये । इसके साथ ही बैंकों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागिता भी सुनिश्चित करना चाहिये । इन उपायों के परिणाम अच्छे निकलेंगे ।

**प्रो० एस० एल० सक्सेना** (महाराज गंज) : राष्ट्रीयकरण से पूर्व 65,000 लोगों के लिये एक बैंक था और अब 47,000 लोगों के लिये एक बैंक की व्यवस्था बताई जाती है । परन्तु उत्तर प्रदेश में अब भी 82,000 लोगों के लिये एक बैंक की व्यवस्था है । इससे पता चला है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है । वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में बैंक सुविधाओं का विस्तार समान रूप से किया जाये । बिहार में 1,20,000 लोगों के लिये एक बैंक है, समस्त देश में यह अनुपात समान होना चाहिये । इस प्रकार जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दी गई अग्रिम राशि 10 प्रतिशत से लगभग 18 प्रतिशत तक बढ़ी है । इसका वितरण उचित ढंग से नहीं हुआ है । वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अधिक संसाधन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जायें ।

**श्री जगन्नाथ राव** (छतरपुर) : क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखें प्रकाशित किये हैं और यदि हां, तो क्या उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा ताकि संसद् उनकी प्रगति के बारे में जान सके और इस पर चर्चा कर सके ?

कुछ मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे किसानों, उद्यमकर्ताओं और स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों को वसूल नहीं कर सके हैं । अतः वित्त मंत्री इस बारे में ब्यौरा दें, यदि वह इस समय न दे सकें तो किसी भावी तिथि को दें, ताकि हम बैंकों के कार्य संचालन के बारे में जान सकें ।

स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इसमें जो कर्मचारी सेवा में आये थे, उन्होंने सेवा के पुराने विनियमों के लिये अपनी स्वेच्छा व्यक्त की और भविष्यनिधि में अंशदान दिया । परन्तु अब स्टेट बैंक आफ इंडिया उनके अंशदान के समान अंशदान नहीं दे रहा है । साथ ही वे अपने अंशदान की जमा राशि वापस भी नहीं निकाल सकते ।

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)** : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकर किया है कि बैंकों द्वारा अब उन क्षेत्रों को भी ऋण दिये जाने लगे हैं जो अब तक उपेक्षित रहे हैं । शाखाओं का भी विस्तार किया गया है ताकि हम उन क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास कर सकें जहां बैंक नहीं है अथवा आवश्यकता से कम संख्या में बैंक हैं और विस्तार की यह प्रक्रिया जारी है । यह प्रश्न उठाया गया है कि हम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जितना कार्य हम कर सकते थे, क्या उतना कार्य हमने किया है ? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया गया था । उपेक्षित क्षेत्र की ओर से ऋण की मांग को काफी समय से पूरा नहीं किया जा सका । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि भारतीय जीवन की यह एक सामान्य समस्या है, यह केवल राष्ट्रीकृत बैंकों तक ही सीमित नहीं है । मैंने इस प्रश्न पर बैंकों के अभिरक्षकों के साथ विचार विमर्श किया है । उनके साथ पहली बैठक में मैंने उन्हें बता दिया था कि राष्ट्रीयकरण के नये कार्यक्रम के लिये यह बात अच्छी नहीं है कि भष्टाचार के बारे में भावना फैलती रही और हमने निरोधात्मक उपाय करने का निर्णय किया है और कई बैंकों में सतर्कता केन्द्र भी खोले हैं ।

जहां तक उपेक्षित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । स्टेट बैंक में 993 कार्यालयों की वृद्धि हुई है और अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में यह संख्या लगभग 2,113 है । जहां तक बिहार में कार्यालयों की संख्या का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों से केवल यही कहना है कि वहां इस मामले में चहुंमुखी सुधार हुआ है और हम इस पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बैंकों के कार्य करने का सम्बन्ध है, हमें देखना चाहिये कि छोटे से छोटे व्यक्ति को बैंकों द्वारा कितना लाभ मिल रहा है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि क्या बड़े-बड़े लेखों को यथापूर्व लाभ कमाने दिया जा रहा है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और 25 लाख रुपये से अधिक धनराशि वाले लेखों की बैंकों द्वारा तथा स्वयं रिजर्व बैंक द्वारा ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि बड़े लेखों को हमें एकदम कुछ नहीं देना चाहिये क्योंकि अन्ततोगत्वा हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पादकता कार्य भी अवश्य चलते रहें।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राष्ट्रीकृत बैंकों की भी कुछ ऐसी योजनायें अथवा कार्यक्रम हैं जो देश की योजनाओं से सम्बन्धित हों। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश की आर्थिक योजनाओं में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुये हमने प्रमुख बैंक योजना आरम्भ की है। इसके पीछे विचार यह है कि प्रमुख बैंक को जिले में विकास कार्यक्रम बना कर समन्वित भूमिका निभानी होगी और अन्य बैंकों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिये प्रमुख कार्य करना होगा। जहां तक विभिन्न क्षेत्रों का सम्बन्ध है, बैंकों के कार्यकरण में काफी असमानता है। विशेषकर पूर्वी भारत में बैंक व्यवस्था की काफी उपेक्षा की गई है। इस मामले में हम आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाये हैं, क्योंकि इनकी प्रगति से मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। मैं थोड़ा और सक्रिय होकर कुछ क्षेत्रों में इस मामले पर विचार करने के लिये जाना चाहता हूं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमें धैर्य से काम लेना चाहिये। सबसे पहला कार्य सभी क्षेत्रों में समुचित बैंक व्यवस्था करना है और फिर प्रत्येक जिले का अच्छी प्रकार से सर्वेक्षण करना तथा उसके विकास के लिये योजनायें तैयार करना होगा। इसके बाद हमें संसाधन जुटाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करने होंगे। यदि हम यह चाहें कि प्रमुख बैंकों को धन बांटने देना चाहिये, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह कार्य बैंकों के संचालन से होगा और बैंक संचालन वित्तीय औचित्य पर निर्भर होता है। यदि कोई प्रतिभूति नहीं होगी तो भी इन बैंकों को ऋण लेने वालों की साख को तो ध्यान में रखना ही होगा।

माननीय सदस्यों द्वारा विशिष्टीकरण के बारे में कही गई बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है, और जिनसे यह आशा की जाती है कि वे किसानों को ऋण दें, वही लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और केवल वाणिज्य तथा व्यापार का ही कार्य कर रहे हैं। उन्हे कृषि सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। अतः यह प्रश्न उन कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का है।

मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रशंसा किये बिना नहीं रहता क्योंकि उन्हें एक विभिन्न वातावरण में कार्य करना था। अब ये बैंक प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिये पूर्णतः तैयार हैं। किन्तु उन्हें भी कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। अभिरक्षक अकेला अथवा एक-दो आदमियों से मिलकर वचन पूरा नहीं कर सकता है। हम जब नये बोर्ड गठित करेंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसे इसपर प्रसन्नता होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में वह हमारी नीति की अन्य परीक्षा होगी। तब निदेशकों के बोर्ड नये सामाजिक उद्देश्यों के प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति के क्रियान्वयन में निदेश देंगे। जब श्रमिकों, शिल्पियों, कृषकों, कर्मचारियों और धन जमाकर्त्ताओं के प्रतिनिधि नये बोर्डों में होंगे तो इस समस्या को सुलझाने के लिये नये ढंग से प्रयास किये जायेंगे।

जहां तक बैंकों के नियंत्रण करने के लिये एक संसदीय समिति गठित करने का प्रश्न है, हमारा ऐसी समिति गठित करने का कोई विचार नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिसाब देखने के लिये संसद् विद्यमान है। हम संसद् में मामले पर चर्चा कर सकते हैं। परामर्शदात्री समिति में सदस्यगण अनेक प्रश्न उठा सकते हैं। हम एक और समिति नहीं चाहते।

जहां तक बैंकों के नियंत्रण को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अधीन देने का सम्बन्ध है, ऐसा करना समय से पूर्व होगा क्योंकि अभी तक हमें नये बोर्डों के कार्यकरण को देखना है।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज की विभिन्न दरों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है । उसमें दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं । प्रतिवेदन में बहुमत से विचार व्यक्त किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में ब्याज की विभिन्न दरों का सिद्धान्त ही अपनाया जाये । किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि ये ब्याज की विभिन्न दरें क्या होनी चाहिएं । उनका सुझाव है कि यह 8.5 प्रतिशत होनी चाहिये । इस विषय पर सरकार आगे विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि व्यापार आदि में विशेषज्ञता हो सकती है । इस समय मैं यह कह सकता हूं कि प्रमुख बैंक योजना को स्वीकार करके हमने निश्चित रूप से विशेषीकृत क्षेत्र कार्यालय के विचार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । जो बैंक अविकसित क्षेत्रों के लिये हैं, कम से कम उन्हें कार्यक्रम तैयार करने के लिये तो उत्तरदायी ठहराया ही जा सकता है ।

माननीय सदस्य का सुझाव है कि राजस्थान, गंडक, कोसी आदि परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना चाहिये । राष्ट्रीयकृत बैंक निश्चय ही विभिन्न परियोजनाओं के लिये ऋण देने में योगदान करते हैं । वे राज्य वित्त निगमों, विद्युत बोर्डों, आवास निगमों आदि को ऋण देते हैं परन्तु उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे किसी परियोजना को आरम्भ करेंगे ।

यह कहा गया है कि नागरवाला के मामले में क्या कार्यवाही की गई है । यह मामला न्यायालय के समक्ष है, इस बारे में हम कोई राय देना नहीं चाहते । इसे न्यायालय ही निर्णीत कर सकते हैं ।

जहां तक इस मामले को उचित ढंग से बनाने का सम्बन्ध है और धन निकालने की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं और इस बारे में मैं और जानकारी देता हूं । नगद धन रिजर्व बैंक की ओर से स्टेट बैंक आफ इंडिया में रखा जाता है । स्टेट बैंक रिजर्व बैंक की ओर से कार्य करता है । धन रिजर्व बैंक का होता है और जब तक यह धन बाहर नहीं आता तब तक मुद्रा नहीं बनता ।

नकद धन और तिजोरी की शेष राशि सदैव कोष-कक्ष में मुख्य कोषाध्यक्ष और एक प्राधिकृत पर्यवेक्षण अधिकारी, जिसे नकदी का प्रभारी अधिकारी कहा जाता है, की संयुक्त अभिरक्षा में रखी जाती है ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) : जब दोनों ही अधिकारी स्टेट बैंक के हैं तो यह कैसे होता है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** मुख्य कोषाध्यक्ष की सहायता के लिये उप-मुख्य कोषाध्यक्ष और उप-प्रधान कोषाध्यक्ष होते हैं । प्रतिदिन प्रातःकाल जब बैंक खुलता है, तो नकद के दोनों अभिरक्षक (मुख्य कोषाध्यक्ष अथवा उसका सहायक और प्रभारी अधिकारी) कोषकक्ष में इकट्ठे प्रवेश करते हैं । उसके बाद मुख्य कोषाध्यक्ष अथवा उसका सहायक नकदी के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार विभिन्न मूल्य-वर्गों में नकदी निकालता है, धन निकालने सम्बन्धी प्रविष्टियां वाल्ट रजिस्टर में लिखी जाती हैं, यह रजिस्टर कोष-कक्ष में रखा जाता है और दोनों अभिरक्षक प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हैं । इसके बाद नकदी को पेटियों में रखा जाता है और उन पेटियों को ताला लगा कर उप-प्रधान कोषाध्यक्ष को सौंप दिया जाता है और इसके बदले में रसीद ली जाती है । उसके बाद

सारे दिन उप-प्रधान कोषाध्यक्ष भुगतान करने वाले विभिन्न कोषाध्यक्षों की आवश्यकतानुसार धन बांटता है और इसके बदले में एक विशेष पुस्तक में उनसे रसीद लेता है।

कार्य समाप्त होने पर मुख्य कोषाध्यक्ष दिन में तिजोरी से निकाले गये धन का हिसाब-किताब करता है और भुगतान करने वाले कोषाध्यक्षों के पास बचा हुआ धन तथा धन प्राप्त करने वाले कोषाध्यक्षों के पास आया हुआ धन प्रभारी अधिकारी (नकदी) और मुख्य कोषाध्यक्ष द्वारा इकट्ठे तिजोरी में जमा कर दिया जाता हैं।

जहां तक सामान्तया तिजोरी में दैनिक रूप से गत वर्ष में रखे गये धन का सम्बन्ध है, यह 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये होता है। आम दिनों में 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये धन निकाला जाता है परन्तु महीने के पहले और आखिरी दिन यह राशि 80 लाख रुपये से 90 लाख रुपये हो जाती है।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या 24 तारीख अन्तिम दिन था।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** यह अन्तिम दिन नहीं था।

**श्री एच० एम० पटेल : खड़े हुये।**

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अब और अधिक प्रश्न न कीजिये।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या नागरवाला के मामले में कोई विभागीय जांच की गई है और कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** इस मामले में विभागीय कार्यवाही की गई हैं और सम्बन्धित व्यक्ति को निलम्बित कर दिया गया है, अब चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अत: विभागीय कार्यवाही को रोकना पड़ेगा।

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) : पहले यह कहा गया था कि मामला न्यायाधीन है। जो बात न्यायाधीन नहीं है, वह नागरवाला धन को हटाये जाने की प्रक्रिया है।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** जो अपराध हैं, वहां न्यायाधीन है।

**श्री पीलू मोदी :** इस चर्चा की अनुमति देने के परिणामस्वरूप श्री चह्वाण ने जो बात स्वीकार की है, उससे स्थिति और बिगड़ रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे तत्पश्चात् नियम 193 के अन्तर्गत एक घंटे की चर्चा करेंगे। श्री पांडे।

---

## आशिक्षित बेरोजगारों के लिये द्रुत कार्यक्रम *

**Crash Programme for the educated unemployed****

**Shri N. N. Pandey** (Gorakhpur) : In reply given by the hon. Minister to question No. 1595 on 25th May, certain points relating to the amount allocated to various States were not clarified.

* आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion.

[ श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
**Shri K. N. Tiwary in the Chair** ]

The number of unemployed per sons were 5.3 lakhs in the first plan, 7.1 lakhs in the second plan, 9.6 lakhs in the third plan while in the fourth plan, the number of such persons has increased to 12.6 lakhs. During the elections, we have assured the people that we will undertake such schemes under which both educated and uneducated people will get employment opportunities and the people, especially poor people felt much encouraged to hear such pledges.

Crash programme of 50 crores of rupees has not been implemented in any State. The hon. Minister has said that 10 percent of the amount has been earmarked to purchase the equipment. But I have come to know from the District Magistrate of Gorakhpur that no amount has been sanctioned by the Government for the supervisory work. He has also admitted that certain States have not sent their project. In these circumstances, I do not think that the Government can solve the problem of unemployment in the country.

I would like to know from the hon. Minister the names of the project being undertaken by the various States, the numember of persons employed and yet to be employed.

**Shri Ramavtar Shastri** (Patna) : It is a matter of surprise that the Government are not aware of the actual number of unemployed persons in the country. Now I would like to put certain question in this connection.

Is it a fact that in the confe rence of congress leaders of the Centre and the States, Shri C. Subramaniam declared on the 28th May, 1970 that the unemployed problem would be solved in the country by 1985 ?

Is it also a fact that he announced to give employment to all the Engineers, Doctors etc. by 1972 and other degree holders by 1975 ? May I know whether after assuming [the charge of the Planning Ministr y he has prepared any scheme to give effect to this previous announcement ?

Is it a fact that the Government have appointed a committee to assess the number of unem- ployed persons in the country ; if so, the time by which the report of that committee will be submit- ted to the Government ?

Are Government prepar ed to accept the demand of giving employment or unemployment allowance to the unemployed, and if not, the reasons thereof ?

Have the Bihar Gov ernment prepared a scheme to give employment to the unemployed engi- neers, and if so, the details thereof ?

Is it a fact that Rajasthan Gover nment have prepared a scheme to allot irrigated land to unemployed graduates, if so, the details thereof.

What is the stage of the implementation of crash programme in the various States and how have they tried to implement it ?

**Shri M. C. Daga** (Pali) : I want to know the steps proposed to be taken by the Government to solve the problems of under-employed, seasonal unemployed and totally unemployed persons under the cash programme.

Government intends to provide jobs to one thousand persons in a district. I want to know the criterion to be adopted to select those one thousand persons. May I know whether Government propose to give preference to the people of scheduled caste and scheduled tribes in thisregard ?

May I also know wh ether the Government will seek cooperation of the representatives of the people and village Panchayats etc. in the construction of roads and other projects under the crash programme ?

**The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) :** Sir, the list showing State-wise allocation of funds is quite long. We have adopted the criterion to allocate Rs. 12.50 lakhs to every district. But certain big districts have been allocated additional amount. State-wise break-up relating to this additional amount is like this : Kerala Rs. 34 lakhs, Orissa Rs. 20.50 lakhs, Tamil Nadu Rs. 103 lakhs, Uttar Pradesh Rs. 4 lakhs, West Bengal Rs. 99 lakhs, Bihar Rs. 245.50 lakhs and Andhra Pradesh Rs. 56.50 lakhs.

Schemes from Nagaland and Dadar Nagar Haveli have not been received as yet out of 355 districts 336 have sent their schemes. Proposals from 19 districts have not been received by the Government. Schemes of 317 districts have been sanctioned and the funds have been released. The proposals of 7 districts have been processed and the sanction is being issued. Cities, like Calcutta and Bombay are not covered by this scheme.

60 per cent amount will be spent on road construction, 25 percent amount will be spent on Minor Irrigation Schemes and 15 percent amount will be spent on the work like afforestation, soil conservation and reclamation.

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur) : May I know whether administrative expenditure will be incurred out of Rs. 12.50 lakhs earmarked for a district or additional amount will be given for this purpose ?

**Shri Sher Singh :** The expenditure on supervisory staff will be borne by the States and the concerned Departments.

Eight States have started the implementation of programme and Five States have assured to start it shortly. It is hoped that after the rainy season road construction and Minor Irrigation work will be undertaken in all the States.

An Expert Committee, under the chairmanship of Shri B. Bhagawati has been appointed to assess the number of unemployed persons. But we will not wait for the Report of the committee and therefore, crash programme will be started as soon as possible.

I would like to tell Shri Ramavatar Shastri that this scheme covers specially the unskilled unemployed persons who remain without jobs for eight months during one year. Under the said scheme we will select proper projects and no money will be allowed to be infructuous. It has been decided that **Pakka** roads will be constructed.

Regarding the employment of the persons we will not insist upon it that the number of persons should be one thousand. We will take into account the mandays which will be 2.50 lakhs to 3 lakhs.

Regarding the delay in starting the implementation of the programme, I would like to say that we had to select such projects by which permanent assests would be prepared. Estimates were also to be prepared properly. We did not want to give these works to the contractors in order to save the labour from their exploitation.

**Shri Ramji Ram** (Akbarpur) : May I know whether the agricultural workers who are forced to work on two rupees per day basis and who are not allowed to do any other work, will be provided with the work under this programme ?

**Shri Sher Singh :** If hon. Member gives more information in this regard, the concerned States will be asked to take steps in this direction.

## राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात गलाने के कारखाने की छत का एक भाग गिर जाने के बारे में चर्चा

**Discussion Re : Collapse of portion of roof of Steel Melting Shop of Rourkela Steel Plant**

**श्री जे० बी० पटनायक** (कटक) : महोदय ! आपने मुझे यह चर्चा आरम्भ करने का अवसर दिया है। इसके लिये मैं आभारी हूं। मंत्री महोदय ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात गलाने के कारखाने की छत का एक भाग गिर जाने के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

इस कारखाने की छत का गिरना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस दुर्घटना के फलस्वरूप बहुत सी मशीनों को क्षति पहुंची है तथा छ: एल० डी० कनवर्टर्स और दो वात भट्टियों में काम होना बन्द हो गया है। मेरे विचार से मंत्री महोदय यदि सही सही नहीं तो अनुमानित हानि का उल्लेख तो कर ही सकते हैं। छत को तो क्षति पहुंची ही है, साथ साथ मलवा उठाने में भी कुछ लागत आयेगी। सम्भवत: कारखाने के पुनर्निर्माण पर करोड़ों रुपयों की लागत आयेगी।

उत्पादन के सम्बन्ध में गम्भीर क्षति हुई है। वर्ष 1969-70 में श्रमिकों के झगड़े के कारण वहां 1,12,000 टन विक्रीयोग्य इस्पात का कम उत्पादन हुआ था तथा लगभग 2,92,000 काम के घंटे बर्बाद हुए थे। मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार एल० डी० कनवर्टर्स को लगाने में लगभग छ: महीने लगेंगे। अत: इस संयंत्र का कार्य छ: महीने के लिये स्थगित हो गया है। इस्पात के उत्पादन में एल० डी० प्रक्रिया आधुनिकतम प्रक्रिया मानी जाती है जो केवल भारत के इसी संयंत्र में उपलब्ध थी। इस दुर्घटना के कारण यह प्रक्रिया रुक गई है। इस प्रकार देश को कितना घाटा हुआ है, इसीसे उनका अनुमान लगाया जा सकता है।

इस क्षति का प्रभाव हमारे विदेश व्यापार तथा आन्तरिक खपत पर भी पड़ेगा। वर्ष 1970-71 में हमने 4,64,773 टन कच्चे लोहे का निर्यात किया तथा 5,33,262 टन इस्पात का निर्यात किया।

इसमें से सरकारी क्षेत्र का भाग 65 से 70 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के कारखानों के माध्यम से 53 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अनुमान है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य और भी अधिक होगा किन्तु इस दुर्घटना के कारण सम्भवत: हम आधा माल भी निर्यात नहीं कर सकते। इतना ही नहीं इस दुर्घटना का प्रभाव हमारे रक्षा उत्पादन पर भी पड़ेगा तथा अन्य उद्योगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस घटना के कारण कारखाने में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने उनको वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं।

क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये हैं कि एल० डी० कनवर्टर्स को छ: महीने से पहले ही लगाया जा सके ? क्या पश्चिम जर्मनी से सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वे अपने विशेषज्ञ भेजकर कुछ ही सप्ताहों में इन कनवर्टर्स को लगा सकते हैं ?

जहां तक दुर्घटना के कारणों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी है। किन्तु मेरा कहना यह है कि यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है। वर्ष 1962 या 1963 में भी इसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी।

उस समय भी इस्पात गलाने वाले कारखाने की छत का एक छोटा टुकड़ा गिर गया था तथा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में दुर्घटना का कारण लौह अयस्क की टनों धूल का जमना तथा देखभाल में असावधानी बरतना बताया गया था। उस समय सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही की होगी। किन्तु उसी कारखाने में अब पुनः इस प्रकार की घटना घटित हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि कुएं की धूल को साफ करने के लिये कारखाने में लगभग एक करोड़ रुपये के मूल्य का यंत्र लगाया गया था किन्तु उसका उपयोग कभी नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने राज्य सभा में यह स्वीकार किया है कि राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उचित देखभाल नहीं की जाती है।

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
**Shri Sezhiyan in the Chair**]

इस त्रुटि के लिये अवश्य ही कोई न कोई व्यक्ति उत्तरदायी होगा। अतः उसको दण्ड मिलना ही चाहिये। प्रजातंत्र प्रणाली तथा समाजवादी व्यवस्था में बड़े से बड़े अधिकारी यहां तक मंत्रियों की भी आलोचना की जा सकती है। अतः किसी भी अधिकारी का पक्ष क्यों लिया जाता है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भारी वर्षा को इस दुर्घटना का कारण बताया है। यह कारण इतना तर्क संगत नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई और कारण भी अवश्य होंगे। काफी धूल जमने तथा भारी वर्षा होने के कारण यह छत गिर गई होगी।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस प्रकार की दुर्घटना पहले हो गई थी तो सरकार ने उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि जांच समिति का प्रतिवेदन आने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करनी चाहिये तथा सदन को जांच समिति के निष्कर्षों से अवगत कराना चाहिये। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उचित देखभाल करने के हर सम्भव प्रयत्न होने चाहिये, जिससे देश के विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले इन उद्योगों को कोई क्षति न हो।

**श्री पी० के० देव** (कालाहांडी) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 3902 करोड़ रुपयों की पूंजी लगाने पर भी उनसे केवल 1.3 प्रतिशत की वसूली होती है। इस प्रकार करदाता के धन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि गैर सरकारी कारखाने में ऐसी घटना हुई होती, तो उनके निदेशकों को पाठ पढ़ा दिया गया होता।

यह नहीं कहा जा सकता कि केवल कुप्रबन्ध के कारण यह दुर्घटना घटी है। यह दुर्घटना ठेकेदार द्वारा अपने कार्य में की गई उपेक्षा के कारण हुई है।

इस्पात और खान मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि 1970-71 में श्रम सम्बन्धी झगड़ों के कारण 12 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ। उसके उपरांत प्रबन्धकों और श्रमिकों में अच्छे सम्बन्ध बने तथा स्थिति में सुधार हुआ।

मैं प्रबन्धकों पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने ठेकेदार को दंड क्यों नहीं दिया । इसी प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है तथा यह घटना इतनी गम्भीर है कि इससे पांच एल० डी० कन्वर्टर्स छः महीने के लिये बन्द रहेंगे तथा दो धमन भट्टी भी बन्द रहेंगी । इससे इस एकक तथा अन्य सहायक उद्योगों के कार्यकरण पर स्थायीरूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा देश को विदेशी मुद्रा के बारे में घाटा होगा ।

यह अनुमान लगाया गया है कि छः महीने की अवधि में 100 करोड़ रुपयों का घाटा होगा । इसके लिये भी बड़े बड़े अधिकारी उत्तरदायी हैं । यदि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इस घटना की जांच कराई जाये जिसमें कर्मचारियों, मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान स्टील के अधिकारियों के प्रतिनिधि भाग लें तथा जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करे तो मुझे संतोष होगा और तभी सही बातें सामने आ सकती हैं । मैं माननीय मंत्री से यह भी आश्वासन चाहता हूं कि किसी भी श्रमिक को बिना रोजगार दिये नहीं छोड़ा जायेगा, क्योंकि इस दुर्घटना में उनका कोई कसूर नहीं है ।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह अपना त्याग पत्र दें, क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया था तथा हाल में जापान में भी एक मंत्री ने अपने विभाग में दुर्घटना होने पर त्याग पत्र दिया है ।

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur) : May I know the reasons for which the recommendations of the committee appointed in 1962 at the time of similar accident taken place there were not implemented properly to avoid such happenings ?

I have come to know that the cause of the accident was the accumulation of iron dust and not the heavy rains.

**इस्पात और खाद्य मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम)** : हिन्दी अनुवाद से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना भारी वर्षा के कारण हुई है । वास्तव में मेरे कहने का यह आशय नहीं है ।

**Shri Sarjoo Pandey** : Secondly, I want to know the reasons for which the roof of the shop was got constructed by the contractor when Maintenance Department is there. The contractors are very corrupt and they never use proper material in the construction work. Besides, why were not the suggestions given by Australian consortium implemented ?

May I also know the reasons for which the hon. Minister did not meet the workers and he only consulted the big officers in this matter ? He should try to know the reasons for the collapse of the roof from the workers also.

I would also like to know the justification in appointing big officers instead of the Members of the Lok Sabha in the Enquiry Committee. I am afraid that this committee will not look into the entire matter properly.

I also demand that the suggestion made by the previous committee, appointed in 1962 and by the consortium should be laid on the Table of the House. The name of the officers responsible for not implementing the suggestion and the action proposed to be taken against them should also be given in this statement.

**श्री एस० एस० महापात्र** (बालासोर) : मैं श्री पी० के० देव की इस मांग से सहमत नहीं हूं कि इस्पात मंत्री से त्यागपत्र मांगा जाये । वह महान श्रमिक संघ नेता हैं और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है । मुझे आशा है कि वह न केवल इस्पात उत्पादन के मामले में अपितु श्रम समस्या सुलझाने में भी अपना अमूल्य योगदान देंगे ।

खेद है कि अब तक सभी सरकारी इस्पात कारखानों में घाटा ही होता रहा है । रूरकेला में छत बैठने का मूल कारण धूल का छत पर जमा हो जाना और उस पर वर्षा के कारण भार अत्यधिक बढ़ जाने से छत का ध्वस्त होना था । मैं स्वयं कारखाने के अन्दर गया हूं और मैंने देखा है कि वहां रख-रखाव की स्थिति बहुत खराब है । सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत असंतोषजनक है, इसलिए चार सप्ताह में चार व्यक्ति मर गए । वहां कोई सशस्त्र प्रहरी नहीं थे, डाकू आए और दो व्यक्तियों को मार गए । तीसरी घटना अब छत गिरने की हुई है । अबकी बार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के डी० आई० जी० को वहां भेजा गया है और बाद में लूम्बा समिति भी नियुक्त की गई है । जांच रिपोर्ट पढ़ कर मन्त्री महोदय को मेरी बात का विश्वास हो जाएगा । ठेकेदार वहां बहुत निन्दनीय कार्य कर रहे हैं । ठेके देने में भी कारखाना अधिकारियों का स्वार्थ निहित होता है । ये लोग वहां समाजवाद आने देंगे । जहां श्रमिक हड़ताल आदि न करके सरकार को पूरा समर्थन दे रहे हैं, वहां अन्य कर्मचारी एवं अधिकारीगण अपने कृत्यों से, बदले की भावना से काम लेकर सहयोग नहीं दे रहे और श्रमिकों को तंग कर रहे हैं ।

मैं मन्त्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रूरकेला में शान्ति तभी रहेगी, जब मंत्री महोदय स्वयं हस्तक्षेप करके स्थिति सुधारें, क्योंकि वहां उच्च अधिकारी आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं ।

जैसाकि एक अंग्रेजी समाचारपत्र में छपा है, एक भारतीय इस्पात वैज्ञानिक ने दावा किया है और उन्होंने एक जर्मन फर्म से करार भी किया है कि इस्पात 50 रुपये प्रति मीटरिक टन पर तैयार किया जा सकता है और इसकी उत्पादन लागत मात्र 5 रुपये होगी । मुझे पता चला है कि इस सम्बन्ध में एक फाइल मन्त्री महोदय के पास है । उन्हें चाहिये कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर इतना सस्ता इस्पात भारत में बनाने की शीघ्र व्यवस्था करें, वर्ना श्री सूरी की भांति वह भी विदेश चले जाएंगे और भारत सूरी ट्रांसमीटर की भांति इनकी तकनीकी से भी वंचित रह जाएगा ।

**श्री स्वर्ण सिंह सोखी** (जमशेदपुर) : रूरकेला में इस वर्ष 11 जुलाई की दुर्घटना से पहले भी ऐसी ही छत गिरने की दुर्घटना हुई थी और तब की गई जांच के अनुसार इसके लिए अधिकारीगण दोषी पाए गए थे, जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । उन्होंने ठेकेदारों से मिल कर छत साफ करने के लिए मंजूर राशि हड़प ली थी ।

इस बार भी दोष अधिकारियों का है, जिन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिये । इससे करोड़ों रुपयों की हानि हुई है । मंत्री महोदय को चाहिये कि दोषी व्यक्तियों को कठोरतम दण्ड दिलाएं और कारखाना शीघ्र से शीघ्र चलाएं ।

**श्री गजाधर माझी** (सुन्दरगढ़) : यह पहली दुर्घटना नहीं है । इसी प्रकार की यह दूसरी घटना है, जहां जन-धन की हानि हुई है । यह दुर्घटना अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के परिणाम-स्वरूप हुई है । हमें मन्त्री महोदय के विरुद्ध तो कुछ नहीं कहना परन्तु मन्त्रालय से इतना अवश्य पूछना है कि उसने पहली और अब की दुर्घटना में पाए गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की । सरकार ने जांच के तौर पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तुरन्त नहीं की, जिससे

अधिकारियों की लापरवाही सिद्ध हो सकती, इसलिए मुझे संदेह है कि जांच समिति वास्तविक कारण नहीं खोज पाएगी। दूसरे, दोषी अधिकारी अपने हितों में उन्हें गुमराह करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। अतः मेरा माननीय मन्त्री से निवेदन है कि वह दोषियों को तुरन्त निलम्बित करें और सभा में आश्वासन दें कि समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले श्रमिकों की सेवा की रक्षा की जाएगी।

**इस्पात और खाद्य मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम)** : सभापति महोदय, यह दुर्घटना वास्तव में ही बहुत दुभाग्यपूर्ण है। क्योंकि जांच समिति मामले की जांच कर रही है, अतः इस समय किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह समिति इसी मास के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि समिति को जिस सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिये, उसे छिपाया या नष्ट किया जा सकता है क्योंकि 16 तारीख को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक अधिकारी वहां पहुंच गया था, 17 को मैं स्वयं वहां गया और 21 तारीख को समिति के सदस्य वहां पहुंच गए। समिति ने भी वह स्थिति अवश्य देखी होगी जो श्री सोखी ने काफी बाद में देखी। उक्त अधिकारी की रिपोर्ट भी समिति के पास है। उच्च न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग से, जो श्री सिंहदेव ने की थी और जिससे श्री सूरज पाण्डे सहमत थे, मैं सहमत नहीं हूं। विधिवेत्ताओं द्वारा जांच में बहुत समय लगता है, इसका मुझे स्वयं अनुभव है। यह समिति तकनीकी जानकारों की है और वे जांच करने में काफी सक्षम हैं। समिति के अध्यक्ष सेना में मुख्य इंजीनियर थे।

हमें समिति से अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। परन्तु इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैं यह विश्वास पुनः दिलाना चाहता हूं कि जांच के बाद सभी दोषियों को दण्ड अवश्य दिया जाएगा।

क्षति का जो 100 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया, वह सरलता से बतलाया जा सकता है, परन्तु सत्य नहीं है। वास्तव में केवल लगभग एक करोड़ की हानि हुई है, जो ऐसे कारखानों में ऐसी दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति को देखते हुए बहुत कम है।

उत्पादन में होने वाली क्षति अधिक गम्भीर है, इससे 36 करोड़ रुपये की हानि होने की आशंका है।

पहले मैंने सभा को बताया था कि कारखाना 15 जनवरी तक पुनः चालू हो सकेगा परन्तु अब हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और 15 दिसम्बर से पूर्व यह कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता। श्री माझी भी मेरे साथ वहां गए थे और उन्होंने देखा है कि मलबा हटाने का और दूसरा कार्य कितनी शीघ्रता से किया जा रहा है।

दुर्घटना का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कुछ क्रेन बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जितनी जल्दी इन्हें ठीक करके काम में लाया जा सकेगा, शेष कार्य भी उतना ही शीघ्र पूरा होगा।

रेलवे प्रशासन इस कार्य में जो सहयोग दे रहा है, उसके लिए हम सब बहुत अभारी हैं।

अब मैं अपने मित्र श्री महापात्र द्वारा जिस भारती प्रक्रिया की सराहना की है, उसका उल्लेख करूंगा। हमने एक विशेषज्ञ समिति को यह मामला सौंपा था, जिसकी रिपोर्ट मन्त्रालय में कल

ही प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है। पूरे सोच विचार के पश्चात् ही इस पर कोई निर्णय किया जाएगा।

**सभापति महोदय** : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगति की जाती है।

**इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 12 अगस्त, 1971/21 श्रावण, 1893 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday August 12, 1971/Sravana 21, 1893 (Saka).**